खण्ड-265, अंक-5
बुधवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1888
(23 मार्च, 1966 ई0)

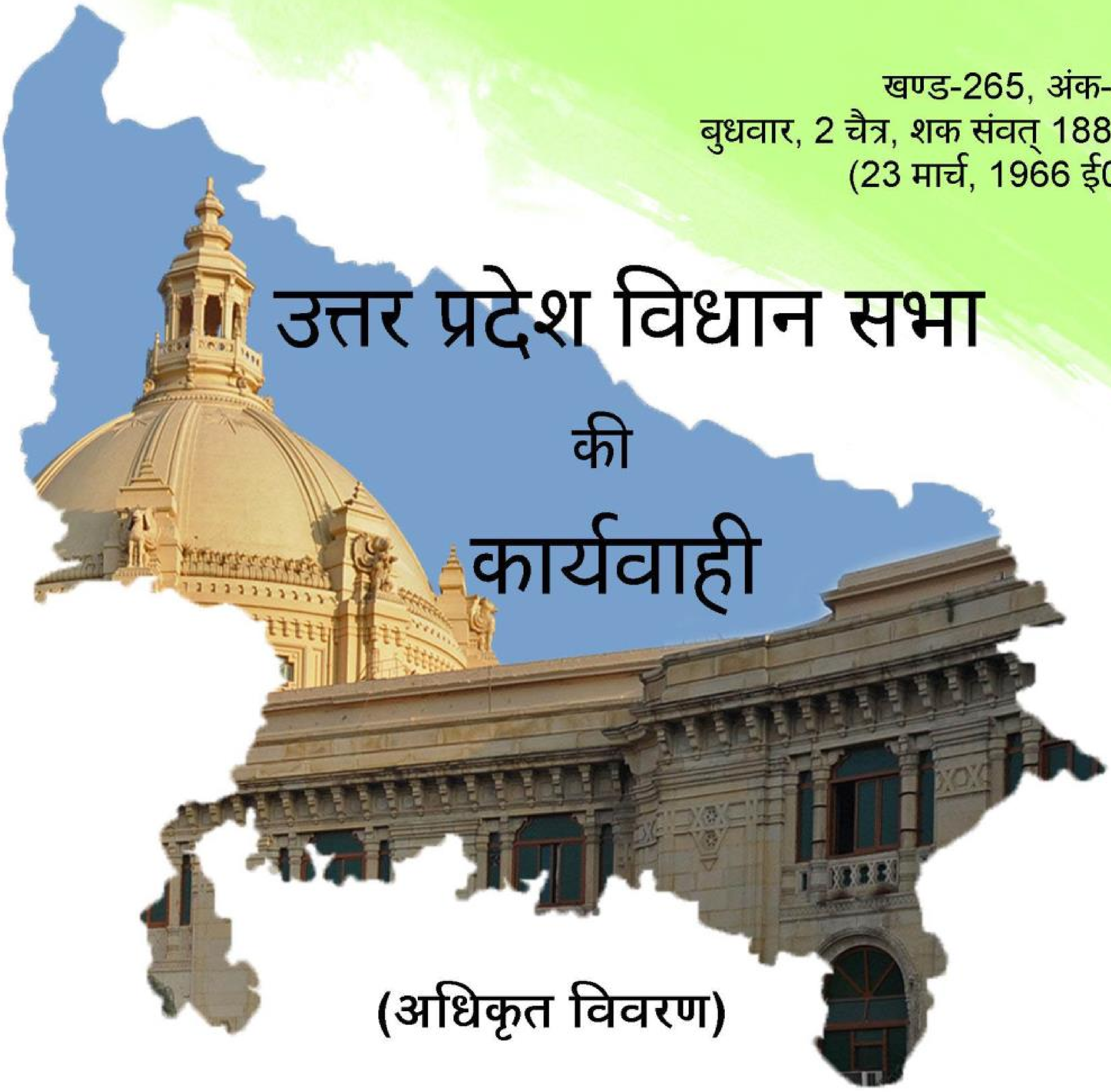

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY SEP 1959 UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुलहसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेधनाथ, श्री
अशरफअली खां, श्री
अहमदबख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
ऊमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथदीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रशेखरसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नी लाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलीलअब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तारावतीअग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयारामशाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालकरवरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तमिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य श्री
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिवक श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
निमाजहसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैन सिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितई राम, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

कल सिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल, शर्मा, श्री
बांकेलाल श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बनरवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भोला लाल, श्री
भूप, सिंह श्री
मंगलदेव श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाम, श्री
मन्नारस, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री
मुरलीधरकुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मदरफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेढ़ी लाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखी सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावतीराठौर, श्रीमती
विश्वनाथपांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तलानायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवधनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिव मूर्ति, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा श्री
शौकतहमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्री राम, श्री
श्रीरामतिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंहयूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिग्रामजैसवाल, श्री
सियादुलारी श्रीमती
सियारामगंगवार, डाक्टर

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेताकृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथतिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्तकांडपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

बुधवार, २३ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बलिया में श्री चन्द्रभानु गुप्त का आगमन

**१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि गत २६ फरवरी को श्री चन्द्रभानु गुप्त, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के बलिया आगमन के अवसर पर सरकार द्वारा बलिया जिला अधिकारियों के नाम एक सिक्रेट जी० ओ० जारी किया गया था कि श्री गुप्त का स्वागत कैबिनेट मिनिस्टर की तरह किया जावे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब कोई आदेश नहीं थे तो ४, ५ स्टेशन पहले ही से जिलाधीश, पुलिस कप्तान और कचेहरी के मैजिस्ट्रेट लोग इनके स्वागत में क्यों गये ? गार्ड आफ आनर दिया गया और मिनिस्टर की तरह स्वागत क्यों किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गुप्ता जी स्टेट सिटीजन्स काउंसिल के चेयरमैन हैं और उसकी मीटिंग के सिलसिले में गये थे। अगर उनको लेने के लिये कोई स्टेशन पर आये तो दुनिया में कोई नई चीज नहीं हो गई।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार जिलों को आदेश भेजेगी कि वह जिलों में जावें तो समस्त अधिकारी एकत्रित हुआ करें जिस से चन्दा वसूल होने में आसानी हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि सुरक्षा कोष के लिये धन जमा करने वालों के टी० ए० में अधिक खर्च न हो और गड़बड़ी न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सुरक्षा कोष में कोई गड़बड़ी नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपके आदेश के विरुद्ध जो अफसर अपना काम छोड़ कर दिन भर गुप्ता जी के पीछे लगे रहे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे आदेश के विरुद्ध कोई काम नहीं किया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने उनके स्वागत के लिये कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों उनके पीछे दौरे पर पुलिस फोर्स रहती है और जिन सड़कों से गुजरते हैं वहां सिपाही तैनात किये जाते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सीक्योरिटी के लिये कुछ इन्तजाम होता है और नेताओं के लिये भी है । पी० सी० सी० प्रेसीडेन्ट त्रिपाठी जी के लिये भी है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

वहां अदालतों में काम बन्द हो गया और केसेज में तारीखें पड़ीं जैसा कि काशीनाथ जी कहते हैं । तो सरकार जांच करावेगी कि उस दिन बलिया में सब केसेज में तारीखें पड़ीं और उसका कारण क्या था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे इसकी सूचना नहीं है । कई कारण अदालतों के बन्द होने के हो सकते हैं । अगर आप कोई स्पेसिफिक बात कहेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

(८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।)

*२-४—श्री कृष्णानन्द राय—

(८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।)

सिविल अस्पताल, झांसी में सिनेमा इन्सपेक्टर की मृत्यु

*५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी के सिनेमा इंस्पेक्टर को दिनांक २८ जनवरी, १९६६ की रात में ३ बजे सिविल अस्पताल, झांसी में उनके दिमाग में फ्रैक्चर व अन्य गम्भीर चोटों की दशा में भर्ती किया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिनांक २९ जनवरी, १९६६ के प्रातः १० बजे तक किसी भी प्रकार की उपचार रूपी सहायता उन्हें नहीं दी गई और उनकी मृत्यु हो गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बाऊदयाल खन्ना)—

जी हां ।

जी नहीं । रोगी के अस्पताल में आते ही ड्यूटी परतैनात डाक्टर ने उसको तुरन्त देखा और यथोचित उपचार किया परन्तु उचित उपचार के बावजूद भी रोगी को न बचाया जा सका ।

*६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सिनेमा इंस्पेक्टर की मृत्यु का समय व तिथि क्या है और उनके लाश के पोस्ट मार्टम किये जाने की तिथि व समय क्या है ? दुर्घटना कहां व किस प्रकार हुई ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

उक्त इंस्पेक्टर की मृत्यु दिनांक २८ जनवरी, १९६६ को दोपहर १२ बजकर ५५ मिनट पर हुई । उसका पोस्ट मार्टम दिनांक २९ जनवरी, १९६६ को सुबह ११ बजकर ५० मिनट पर किया गया । दुर्घटना झांसी-दतिया रोड पर झांसी से करीब ४ मील दूरी पर एक मोड़ पर कार उलट जाने के कारण हुई ?

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा सूला चार्ज है कि जिस समय से अस्पताल में मरीज को दाखिल किया गया, १० बजे तक उसका कोई उपचार नहीं किया गया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दवाइयों के इश्यू रजिस्टर में उस रोगी के नाम में कोई दवा इश्यू है या नहीं ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि कोई इलाज १० बजे तक नहीं हुआ । जैसे ही रोगी वहां पहुंचा, तुरन्त ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया और पेशेन्ट्स की जो टिकट्स रखी जाती हैं उस पर भी उसका इन्दराज है कि क्या-क्या दवाइयां उसको दी गयीं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

दवाइयों के रजिस्टर में रोगी के नाम से कौन-कौन सी दवायें इश्यू की गयीं ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

डेकोड्रिन का एक इंजेक्शन लगाया गया, ग्लूकोज सैलाइन दिया गया और टेरामाइसिन २५० मि० ग्रा० इंट्राविनस दिया गया । अस्पताल में मरीज के आने के बाद ही ये दवायें दी गयीं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिविल सर्जन को मरीज की तुरन्त ही सूचना दी गयी थी ? मरीज को सिविल सर्जन ने कब देखा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो डाक्टर रात को ड्यूटी पर मौजूद था उसने उस समय उसका इलाज किया। सिविल सर्जन को सुबह इत्तला की गयी और उन्होंने मरीज को ९ बजे देखा।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने यह स्वयं ही स्वीकार किया है कि उसका पोस्ट मार्टम २९ जनवरी, १९६६ को हुआ और ११ बजे। यह २४ घंटे के बाद पोस्टमार्टम क्यों किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

२९ तारीख को पोस्टमार्टम करने का कारण यह था कि पुलिस से कागजात दिन छिपने के वक्त पहुंचे जब कि नियमों के अनुसार दिन छिपने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो जाता है। इस कारण से पोस्टमार्टम उस दिन नहीं हो सका।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दैनिक जागरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अखबार की बात पर यहां कोई प्रश्न न पूछिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ३१ जनवरी, सन् ६६ के दैनिक जागरण में चौथे पृष्ठ पर यह बयान निकला है कि पुलिस कप्तान की तरफ से और डाक्टरों ने भी बयान दिया है कि हमारी रिपोर्ट भेजने के बावजूद पुलिस ने कोई खबर नहीं ली और पोस्टमार्टम वक्त से नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर था वह तो मंत्री जी ने दे दिया, बाकी अखबार में क्या छपा है इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

जिस समय यह घटना घटी और वह कार से गिर गये बेहोश हो कर उस समय कार में और कौन-कौन व्यक्ति थे और उनके किस-किस प्रकार की चोटें आयीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कार में ५ व्यक्ति थे। लल्लू तो मोटर चला रहे थे और उनके बराबर में यह रोहतगी साहब बैठे थे जिनकी मृत्यु हुई और उनके पीछे इनके ३ दोस्त और बैठे थे। अब मैं इनका तफसील और बता दूं वर्ना इनको फिर तकलीफ करनी होगी। जो कार ड्राइव कर रहे थे उनकी रीढ़ की हड्डी २ जगह से टूटी और श्री रोहतगी को भी बहुत सी चोटें आयीं और खास चोट जिससे उनकी मृत्यु हुई है वह यह थी कि उनका ब्रेन स्पेज हो गया था और पीछे जो ३ आदमी बैठे थे उनमें से एक के कन्धे पर थोड़ासी चोट लगी थी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ब्लाक तोड़ना

*१—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

४ अगस्त, १९६५ के बालोजी अग्रवाल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न १०७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह तोड़े जाने वाले २२४ ब्लाक कौन-कौन से हैं ?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अभी जिला अधिकारियों तथा जिला परिषद् की कार्य समितियों के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। उसके बाद वह कमेटी आफ डाइरेक्शन के सामने अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे। इसलिए अभी यह बताना कठिन है कि तोड़े जाने वाले ब्लाकों की क्या सही संख्या होगी तथा कौन-कौन से ब्लाक तोड़े जायेंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर में जो कहा गया है कि अभी विचार हो रहा है तो यह विचार कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक निश्चय हो सकेगा ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

करीब-करीब ५१ जिले इस प्रदेश में हैं, जिनमें से ४ पहाड़ के जिले हैं जहां कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसे ही रामपुर और देहरादून के २ जिले और हैं, इस तरह से बाकी ४५ जिले रह गए। इनमें से ३६ की रिपोर्ट आ गई है और बाकी ९ जिलों की रिपोर्ट और आ जाय तब सब चीज को आखिरी तरीके पर देखा जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मन्त्री जी प्रदेश के सारे एकरेज और जन-संख्या को देखते हुए किसी औसत क्षेत्रफल या आबादी के आधार पर ब्लाक बनायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, एक क्राइटीरिया यह भी रखा गया है कि आबादी १ लाख से १ लाख ५० हजार के करीब रहनी चाहिए। अगर एक दो हजार इधर उधर हो जायें तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा नदी, नाले और यातायात के जरिए, इन सभी को ध्यान में रखा जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने विकास खण्डों को कोई आदेश प्रसारित किए हैं कि जो विकास खण्ड टूटेंगे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दूसरे बगल वाले विकास खण्डों में लेली जाय ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि हम अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि बनने वाले विकास खण्डों की क्या बाउन्डरीज होंगी और कौन २ से ब्लाक टूटेंगे, इसलिए कब्ल-अजवक्त इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर शिक्षण केन्द्र खुले हुए हैं उन ब्लाकों को नहीं तोड़ा जायगा ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, शिक्षण केन्द्रों पर जो ब्लाक हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जायगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने हर जिले में दो प्रकार के आदेश दिए हैं, एक आदेश जिला के अधिकारियों को कि वे अपने सुझाव भेजें कि उनकी राय में किन-किन ब्लाकों को तोड़ा जाय और दूसरा आदेश जिला परिषदों को भेजा है कि उनकी कार्यकारिणी कौन-कौन से ब्लाकों को तोड़ना चाहती है? यदि हां, तो दोनों आदेशों में कौन-कौन सा आधार रखा गया है?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, शुरू में यह खयाल किया गया कि चूंकि ब्लाकों के तोड़ने में राजनीति भी आ सकती है इसलिए पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए कि वे अपने अधिकारों से सलाह करके और नक्शों की सहायता से या और जो दूसरे आधार बनाए गए, उनको देखकर अपने सुझाव भेजें। उसके बाद सामुदायिक की स्टैंडिंग कमेटी के कहने पर कि इनको जिला परिषदों को भी भेजा जाय और उनकी एग्जीक्यूटिव कौन्सिल के जो विचार आयें उनको भी ध्यान में रखा जाय। लिहाजा हमने जिलाधीशों से जो राय आयी थी, उनको जिला परिषदों को भेजा और उनको हिदायत की कि सहूलियत के लिए लौट फेर हो सकता है। तो हम फिर उस पर विचार करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो ब्लाक, स्टेज एक और दो के रखे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या यह नीति बनायी है कि स्टेज १ वाले या स्टेज २ वाले ब्लाक तोड़े जायेंगे?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी हमारे सामने उपस्थित है और यह सही है कि कुछ ऐसे ब्लाक हैं जो पहली स्टेज में हैं और उन पर ज्यादा रुपया लगा है। लिहाजा हमने हिदायत दी है कि जिस हिस्से को पूरा फायदा नहीं मिला है उसको ध्यान में रखा जाय।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी ब्लाकों की हदबन्दी को तोड़ते वक्त पंचायतों की हदबन्दी पर भी विचार करेंगे?

श्री राममूर्ति—

पंचायती अदालतों के पूरे के पूरे गांव नए ब्लाकों में डाले जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मन्त्री जी बतायेंगे कि इन ब्लाकों के खंडित होने के बाद उनके ब्लाक प्रमुख तथा उन के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या स्थिति होगी?

श्री राममूर्ति—

मैं पहले भी इस बारे में ब्योरेवार बता चुका हूं और फिर बताए देता हूं कि जो ब्लाक टूटेगा उस टूटने वाले ब्लाक का गांव जिसमें ब्लाक प्रमुख रहते हैं जिस दूसरे नये ब्लाक में मिल जायेंगे और प्रमुख जी और कोआप्टेड मेम्बर साधारण सदस्य रहेंगे। जिला परिषद् के दोनों के दोनों मेम्बर बने रहेंगे। इसके अलावा जो और कोआप्टेड मेम्बर हैं जिस का गांव जिस ब्लाक में पड़ेगा उसका वह साधारण मेम्बर बना रहेगा।

श्री रियासत हुसैन—

इस वक्त एक-एक पंचायत में १० से १३ ग्राम सभायें शामिल हैं और उन पंचायती अदालतों में बहुत सी हदबन्दी में गड़बड़ी है। मेरा मतलब यह है कि जब ब्लाकों की हदबन्दी होगी तो पंचायती अदालतों में जो १०, से १३ ग्राम सभाएं हैं उनको भी उचित ढंग से देख कर पंचायती अदालतों को ठीक करने का विचार मन्त्री जी करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह नया सवाल है इसलिए कि न्याय पंचायत के बारे में जब दूसरा विधेयक पेश करेंगे तो विचार किया जायगा कि किस तरह से उनको रीआर्गेनाइज करें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ब्लाक्स टूटेंगे उनके कर्मचारी और कहीं खपा दिए जायेंगे या उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, माननीय सदस्य इम्पलाईज के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राममूर्ति—

इसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि न मालूम कितने अपनी-अपनी जगह पर रिवर्ट हो जाएंगे और अगर निकालने की जरूरत पड़ जाएगी तो निकाल भी दिए जाएंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मन्त्री जी ने घोषणा की कि विकास खंडों को तोड़ने की तो क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो एक तरह की बेचैनी फैली हुई है, एक अनिश्चित वातावरण फैला हुआ है विकास खंडों में और कर्मचारियों में जो काफी विकास खंडों के टूटने से नीचे जाएंगे जो आफिशिएट कर रहे हैं, इस कारण काम नहीं चल रहा है। अतः इस बात को देखते हुए विकास खंडों के बारे में कोई जल्दी निर्णय करेंगे ब्लाकों के पुनर्गठन में ?

श्री राममूर्ति—

हमारी तरफ से बड़ी कोशिश है। मैं चाहता था कि ३१ मार्च तक काम खत्म हो जाय। लेकिन जिला परिषदों से रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तो उन को रिमाइन्डर्स दिए जाते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

जैसा कि मन्त्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि जिलों में कौन ब्लाक टूटेंगे इसकी जानकारी आपने जिला अधिकारियों और जिला परिषद् की कार्य समिति के द्वारा ली। फिर पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह सावधानी क्यों बरती गई। तो उन दोनों की संस्तुतियों में और बनी हुई सूचियों में विरोध हो सकता है तो अन्तिम फैसला जब डायरेक्शन कमेटी लेने लगेगी और ऐसे जिलों में जब विरोध होगा तो क्या आपकी कमेटी के सदस्य उन जिलों का दौरा करके नया निर्णय लेने का कष्ट उठाएंगे या वैसे ही किसी तरह से आप फैसला कर लेंगे ?

श्री राममूर्ति—

वैसे तो जो मालूमात हमारे पास जिला परिषद् की एक्जीक्यूटिव द्वारा भेजी गई हो या जो जिलाधीश ने भेजी हो उन दोनों को एक्जामिन कर लेंगे और अगर कोई विरोध होगा तो यहां बैठ कर कोशिश करेंगे और अगर जरूरत होगी तो किसी को भेज सकते हैं। मैंने तो यह भी कहा था कि अगर किसी माननीय सदस्य के दिमाग में कोई नक्शा हो अपने क्षेत्र के बारे में तो वह भी दे दें तो उस को भी हम कंसीडर कर लेंगे और सहूलियत के साथ ऐडजस्ट कर सकते हों तो वह भी कोशिश की जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

ब्लाकों के टूटने की खबर से सारे प्रदेश में रेवड़ी बंट रही है और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक ब्लाकों के तोड़ने के सम्बन्ध में आदेश निश्चित रूप से प्रसारित हो जाएंगे ?

श्री राममूर्ति—

मेरा खयाल यह है कि अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा मेहनत से काम इसलिए कर रहे हैं ताकि रेकार्ड अच्छा बना रहे ताकि टूटने से उनका नम्बर न आए।

मलगा नाले पर पुल बनाने की मांग

*२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले की नदीगांव ब्लाक के ग्राम रवा के पास से जाने वाले मलगा नाले पर बरसात में प्रति वर्ष कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसके बचाव के लिए सरकार की ओर से नदीगांव ब्लाक द्वारा इस पर पुल बनवाये जाने हेतु कोई एस्टीमेट तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें सरकार कितना व्यय करने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात सही है कि जालौन जिले के नदीगांव ब्लाक के ग्राम रवा के पास से जाने वाले मलगा नाले पर बरसात में अक्सर काफी हानि होती है।

गांव सभा रवा द्वारा केवल दो हजार रुपए के मूल्य का श्रम दिए जाने के आश्वासन पर जिला नियोजन विभाग के ओवरसियर द्वारा प्रश्नगत पुल निर्माण का एस्टीमेट बनवाया गया था अनुमानित खर्चा २०,००० रु० आंका गया है। स्थानीय विकास कार्य निधि से केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार केवल पेय जल की सरल व्यवस्था पर ही व्यय किया जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रान्ट के अनुसार ५० प्रतिशत लागत मूल्य का जन सहयोग प्राप्त नहीं है। अतः इस कार्य का निर्माण गांव सभा द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री विजयसिंह—

माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि वहां पर बड़ी हानि होती है लेकिन उन्होंने एक ही गांव का अन्दाज लगाया है जो कि दो हजार रुपया देने को तैयार हुआ जब कि वहां १ मील के अन्दर ४, ५ गांव सभाएं हैं जिनके लिए आवागमन का रास्ता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर एक ही ग्राम सभा का श्रम क्यों जोड़ा गया जब कि ५, ४ अन्य ग्राम सभाएं भी अपना हिस्सा देने को तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विजय सिंह तैयार हों अन्य ५ गांव सभाओं से ५० परसेन्ट अपना हिस्सा दिलाने के लिये तो मुझे क्या एतराज है।

श्री विजयसिंह—

मैं वहां से ५० परसेन्ट उनका हिस्सा दिलाने के लिए तैयार हूं।

[२३ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

गांव सभा, काठतराव सम्बन्धी धन के प्रयोग में अनियमितता

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री दिनांक २५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि १,८०० की धनराशि ग्राम सभा काठतराव की पास-बुक में कब जमा हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१,८०० रु० की धनराशि को गांव सभा काठतराव की पास-बुक में जमा नहीं किया गया क्योंकि यह निर्माण कार्य में व्यय किया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बतलायेंगे कि यह धनराशि ८ मई, १९६१ को प्राप्त हुई थी और अब तक पूरा कार्य नहीं हो सका है और न पूरे रुपए का ही उपयोग हुआ है जब कि नियमों में यह प्रतिबन्ध है कि जैसे ही अनुदान मिले उसी वक्त गांव सभा कोष में वह जमा कर दिया जाय तो यह रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिन कार्यों के लिए रुपया दिया गया था मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि वह प्राइमरी पाठशालाओं के भवन के सिलसिले में था और वे बन चुकी हैं यानी पूरा ब्लाक बन कर तैयार हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि उस समय रुपया जमा होना चाहिए था जो नियमों के विरुद्ध नहीं हुआ। पहले रुपया जमा कराया या काम कराया जितना रुपया खर्च करने को मिला ?

श्री अध्यक्ष—

श्रीमान का कहना यह है कि १,८०० रुपए की धनराशि ग्राम सभा के पास जमा कब हुई और ठीक समय पर जमा क्यों नहीं हुई ?

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष जी, उत्तर में है कि रुपया व्यय किया गया था तो इसका मतलब यह हुआ कि रुपया निकलने से पहले ही व्यय हो गया था।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी स्पष्ट कीजिए।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर जी पांडेय हमारे बहुत पुराने साथी हैं और विरोधी दल के मशहूर नेता हैं। उनका जब हुक्म होता है या सवाल होता है तो मैं खास तौर से कह देता हूं कि जरा मेहरबानी कर इसका उत्तर दिया जाय। जब जवाब आया तो पूछवाया कि कुछ कार्यवाही भी हुई है तो जवाब आया कि इरेगुलेरिटी जरूर हुई है लेकिन मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वैसे वार्निंग वगैरा की कार्यवाही की गई है और यह आश्वासन दिलाया गया है कि ऐसी बात भविष्य में नहीं होगी। वैसे रुपया जमा करने का मर्ज काफी बड़ा है। यह पंचायत राज

[श्री राममूर्ति]

है। जब तक हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी न डालेंगे तब तक मजबूत नहीं हो सकते और जिम्मेदारी डालने से घपलेबाजी होती ही है। अब तय करना है कि हम क्या करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों तो हमें उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी होगी और थोड़ी बहुत कमी हमें बर्दाश्त करनी होगी। जब मामला ऐसा होगा कि जब न्याय या डी० जी० सी० कहें कि इन पर केस चल सकता है तब हम गुरेज नहीं करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता था कि जो यह काम हुआ है उसका अन्तिम दिनांक कौन है, जब यह सामान खरीदा गया?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मेरे पास सूचना है कि प्राइमरी पाठशाला का भवन २०-६-६४ को पूर्ण हुआ।

विधायक, श्री राम सुन्दर पाण्डेय का जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ को पत्र

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २८ मार्च, सन् १९६४ को लिखित एक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है कि दिनांक २५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न २, ३ और ४ के उत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए पुनः जांच की मांग की गई है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त पत्र पर जांच जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़ के माध्यम से कराई गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मन्त्री जी का ध्यान उस पत्र की ओर गया है कि रुपए का भुगतान और भवन का निर्माण कार्य इस साल न होकर ४ साल बाद हुआ है और यदि हां, तो फिर जांच करने वाले अधिकारी ने पुरानी रिपोर्ट पर ही यह कह दिया है या नए सिरे से जांच की गई है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जब अनुदान स्वीकृत होता है तो गांव के और लोगों का सहयोग होता है तो आमतौर से सूबे में हर जगह २, ३, ४ साल लग जाते हैं तो इसमें कुछ देर होते हुए कुछ अनियमितता नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति विधेयक, १९६० के अध्याय ४ की धारा २१० की उपधारा (१) को देखा है जिसमें है कि अगर गांव सभा के प्रधान या प्रमुख जो धनराशि दी जाय अनुदान के रूप में, अगर उसको वह खर्च नहीं करता है या अनियमित खर्च करता है एक साल में तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उसको निलम्बित किया जाय तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसमें जांच की गई, लेकिन ऐसी कोई अनियमितता नहीं पायी गयी जिससे जिला परिषद् या क्षेत्रीय परिषद् ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियमों में यह प्राविधान नहीं है कि अनुदान के लिए जो रुपया दिया जाय, वह पासबुक में जमा न हो तो वह अनियमित कार्य होगा? तो क्या रुपया जमा न करना अनियमितता है या नहीं?

श्री अध्य —

यह तो अभी विकास मन्त्री ने स्वयं कहा कि ऐसी अनियमितता होती ही रहती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक तरफ सरकार कहती है कि यह नियमित है और एक तरफ वह कहती है कि यह अनियमित है तो इन दोनों में क्या सही है? इसका आप स्पष्टीकरण दें। भवन निर्माण हेतु अनुदान रुपया मिला, लेकिन श्रीमन्, वह ४ साल तक जमा नहीं किया गया, ४ साल तक इमारत नहीं बनी। आज भी मैं देख रहा हूं कि अब भी इमारत पूर्ण नहीं है और गलत बयान दिया जा रहा है।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अनियमितता हुई, इरेंगुलेरिटी अवश्य हुई, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि उसमें केस चल सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि केस चला नहीं सकते या केस चलाने की बात आप नहीं सोचते हैं। नियमों में इतना ही लिखा हुआ है कि आप उसे निलम्बित कर दें तो जो अनियमित कार्य हुआ है उसके लिए आपने उसका जवाब तलब किया? निलम्बित किया या नहीं? और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया?

श्री राममूर्ति—

जो अधिनियम बना हुआ है उसके अन्तर्गत यह अधिकार परगनाधीश को है, सरकार की तरफ से उसके लिए कोई आदेश नहीं जारी किया जाता है। यह उस पर है कि किस पर वह केस चलाए, सजा दे या न दे। तो यह पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे जूरिस्डिक्शन में नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियमों में मैंने पढ़ा है परगनाधीश को कोई अधिकार नहीं है प्रमुख को हटाने के लिए कि....

श्री राममूर्ति—

इसमें गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यही तो आप समझ नहीं रहे हैं, प्रमुख पर जिम्मेदारी है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रमुख कोई अनियमित कार्य करे या सदस्य जिला परिषद् कोई गलत कार्य करे तो इस धारा के अनुसार कमिश्नर या सरकार उसको निलम्बित कर सकती है, पद से हटा सकती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें चांज जो की गई, उसमें प्रमुख की अनियमितता नहीं आयी। प्रमुख को कमिश्नर रिमूव कर सकते हैं अपनी राय से कर सकते हैं या गवर्नमेंट के डाइरेक्शन से कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख की अनियमितता है नहीं तो कैसे कमिश्नर कर दे।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

रुपये का जमा न करना पासबुक में, जिस काम के लिये अनुदान दिया गया है, उस काम में इस्तेमाल न करना अनियमितता नहीं है, तो आखिर अनियमितता की क्या परिभाषा है? एक तरफ यह भी कहा जाता है कि यह अनियमितता है तो दोनों कथनों में जो विरोध है उसे भी स्पष्ट कर दें।

श्री राममूर्ति—

आज कल के जमाने में सब परिभाषाएं बदल हो जाती हैं। हम तो उसको मानते हैं, जो हमें हमारे कानून के सलाहकार हमें बताते हैं। जो उनकी निगाह में नियमित होता है उसे नियमित और अनियमित होता है उसे अनियमित हम मानते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, हम इस पर आपके जरिये सरकार को नोटिस देंगे, आप विचार कर लीजिएगा। यदि दफा ५० में आता हो तो अवश्य हमें समय दीजिएगा क्योंकि जो भुलावा और धपलेबाजी बंशीधर पांडेय जी की तरफ से की जा रही है, वह साफ हो सके।

बी० डी० ओ० शेरगढ़ के विरुद्ध आरोप

*४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० शेरगढ़ जिला बरेली अपने निवासस्थान नगर बरेली सिविल लाइन्स में एक बड़ा मकान बना रहे हैं तथा इस मकान के बनाने में कुल कितना सीमेन्ट खर्च हो चुका है और किन-किन तारीखों में इन्हें कितने सीमेंट के परमिट दिये हैं?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शेरगढ़ ब्लाक, जिला बरेली के ९० प्रतिशत कर्मचारियों ने बी०डी० ओ० के विरुद्ध विभाग से शिकायत की है उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा क्या यह सच है कि जांच के समय ए० डी० ओ० कृषि ने झगड़े के कारण बताते हुए एक यह भी कारण बताया कि बी० डी० ओ० मुझसे झूठी सीमेंट की दरख्वास्तों पर तसदीक कराना चाहते थे जिसे करने से मैंने इन्कार कर दिया?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड शेरगढ़ (बरेली) के कर्मचारियों ने क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की थी, जिसकी जांच जिला नियोजन अधिकारी बरेली द्वारा करने पर निराधार पाई गई उक्त शिकायत में जिन कर्मचारियों की सांठ गांठ होना पाया गया उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और कुछ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जांच के समय सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ने यह भी कहा था कि क्षेत्र विकास अधिकारी उनसे कुछ दरख्वास्तों पर सिफारिश कराना चाहते थे पर जिसे उन्होंने मना कर दिया था परन्तु जांच के अवसर पर वे यह सिद्ध नहीं कर सके।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा शेरगढ़ जिनके मकान में बी० डी० ओ० रहते हैं, कितना रुपया पंचायत का कितने समय से बाकी है और बी० डी० ओ० ने उसे प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम सभा शेरगढ़ की कैश बुक देखने से पता चलता है कि श्री रामकुमार मित्तल भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा शेरगढ़ पर सन् १९६४ से १५०७.१० न० पै० बाकी थे। यह धन उन्होंने कैश बुक पर हस्ताक्षर करके स्वीकार भी किया था।

भूतपूर्व खण्ड विकास अधिकारी श्री (एस० एन० जैन) जो कि उनके मकान में रहते थे तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत तथा पंचायत मंत्री द्वारा मौखिक, व्यक्तिगत रूप से तथा पत्रों द्वारा भूतपूर्व प्रधान से धन जमा करने को कहा गया था और अब उनसे सम्पूर्ण धन वसूल हो गया है।

रवि० - 265, 1966

डायरमेकिंग लिमिटेड, लखनऊ, तथा मोहन नगर में मदिरा निर्माण

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डायर मेकिंग लिमिटेड, लखनऊ, मोहननगर, गाजियाबाद द्वारा कौन-कौन सी पेय वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनका अलग-अलग विगत तीन वर्षों में कितनी बार नमूना (सैम्पुल) भरा गया और उनके क्या परिणाम रहे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डायर मेकिंग लिमिटेड, लखनऊ में १—देशी मदिरा और २—भारतीय विदेशी मदिरा दो प्रकार की पेय वस्तुएं बनाई जाती हैं और डायर मेकिंग लिमिटेड, मोहननगर गाजियाबाद में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, साइडर तथा अन्य सुरासव रहित पेय बनाये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में सुरासव रहित पेय पदार्थों के भरे गये नमूनों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या राज्य सरकार का ध्यान उक्त संस्था द्वारा बनाई जाने वाली पेय वस्तुओं को तैयार करने में जन-स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग किये जाने की ओर गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संस्था द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं में किस प्रकार का कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है इसकी छानबीन कराने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चूंकि बनाई जाने वाली पेय वस्तुओं में जनस्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिये छानबीन कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

विगत ३ वर्षों में कितने नमूने इन वस्तुओं के लिये गये ? और जो चीजें गलत पायी गयीं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पिछले ३ वर्षों में जो नमूने भरे गये वह तालिका में तफसील से दिये हुये हैं। ६२–६३ में २ नमूने ऐसे पाये गये जो पीने योग्य नहीं थे। ६३–६४ में ९ और ६४–६५ में ६। जब ऐसे मिलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वह विदड्रा कर लिये जाते हैं और जब पीने योग्य बन जाती है तो दोबारा जांच की जाती है तभी बाजार में आती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस सूची में यह लिखा हुआ है कि विगत २ वर्षों में बीयर अच्छा होने के कारण कोई नमूने नहीं भेजे गये। तो क्या मापदंड आपके पास है जिससे आप यह जानते हैं कि बीयर ठीक थी और वह २ वर्ष तक ठीक चलती रही ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरा नमूना भेजने से मतलब है। मैंने यह कहा कि कोई खराब नहीं निकला।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

उसमें साफ लिखा है कि इसमें २ साल तक नमूने नहीं भरे गये और वह चीज अच्छी थी। तो जब तक नमूना नहीं भरा गया तब तक कैसे पता चला कि वह अच्छा था या खराब था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मैनेजरसिंह—

क्या कोई अधिकारी नियुक्त था जो बीयर का रसास्वादन करके यह रिपोर्ट देता है कि वह चीज ऐसी थी जिसके लिये नमूना भरने की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एक गलतफहमी है। जवाब में ये शब्द नहीं हैं कि नमूने भरे गये। बल्कि यह है कि नमूने भेजे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आपका जवाब तो बहुत साफ है।

श्री मैनेजरसिंह—

कैसे सरकार को मालूम हुआ कि आपने केमिकल टेस्ट किया कोई, जिससे मालूम हुआ ? मेरा सवाल यह था कि किसी अधिकारी ने रसास्वादन करके देख लिया कि यह कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, वह विधि बता दीजिये जिस तरह से टेस्ट होता है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसका टेस्ट तो हमारे केमिकल एग्जामिनर करते हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो इस नमूने को टेस्ट करते हैं वह शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

फिर पूछियेगा कि मंत्री जी पीते हैं या नहीं। (हंसी)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो २ नमूने खराब पाये गये उनमें कितने परसेंटेज की कमी थी जिसके कारण उनको दोबारा ठीक कराने के लिये भेजा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नमूने की जो जांच कराई गई उसमें परसेंटेज की बात नहीं थी। वह पीने योग्य नहीं थी। उसमें ऐसी चीजें मौजूद थीं जो पीने के बाद हानिकारक होतीं।

*९-११—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में ट्रैक्टर तकावी

*१२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में सन् १९६२, १९६३, १९६४ तथा १९६५ के १ दिसम्बर तक कितने लोगों को कितनी-कितनी ट्रैक्टर तकावी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी समिति से दी गई है इसकी ब्यौरेवार तथा अन्य नामवार सूची दिये जाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भूमि विकास बैंक तथा सहकारी समितियां कर्ज देती हैं न कि तकावी। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की जालौन शाखा के माध्यम से १ जनवरी, १९६२ से १ दिसम्बर, १९६५ तक १९ लोगों को १,११,८९० रु० का दीर्घकालीन ऋण ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिया गया। ऋणकों की सूची तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लेने का धन बताना बैंक की परम्परा के विपरीत हैं।

*१३—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६५ से दिनांक ३० नवम्बर, १९६५ तक कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र भूमि बन्धक बैंक से ट्रैक्टर की तकावी लेने को पड़े हैं और कितने लोगों को चेक अभी लखनऊ की प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक आफिस में पड़े हैं और क्यों ? तथा इनकी नामवार सूची दिये जाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भूमि बन्धक बैंक से कर्जा लेने के लिये किसानों को एक सीलिंग सर्टीफिकेट की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो वह कितने जिलों में जिलाधीशों, परगनाधीशों द्वारा दिये गये और कितनों में नहीं दिये गये और न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० केवल उन्हीं ऋण प्रार्थियों से सीलिंग सर्टीफिकेट मांगता है जिनकी भूमि सीलिंग ऐक्ट में आई हुई रहती है या आने की संभावना होती है। यह सर्टीफिकेट हर जिले में नियत अधिकारी देता है। इस बैंक के लिये यह बताना संभव नहीं है कि कितने लोगों से यह सर्टीफिकेट मांगा गया तथा कितनों से प्राप्त हुआ।

श्री विजयसिंह—

जो सूचना एकत्रित की जा रही है वह कब तक एकत्रित हो जायगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

न्यूनतम वेतन निर्धारण

*१५—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन द्वारा की गयी, आवश्यकता पर आधारित, निम्नतम वेतन सम्बन्धी सिफारिश को उत्तर प्रदेश में लागू करने में गत ८ वर्षों में क्या प्रगति हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गत ८ वर्षों में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु चार समितियां नियुक्त की गईं। इनमें से २ समितियों की सिफारिशों को शासन ने निर्णय लेकर प्रदेश में लागू कर दिया है। इन दोनों समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में १५ वें श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) पर पूर्ण विचार किया है। शेष २ समितियों में से एक का प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है जो कि शासन के विचाराधीन है और दूसरी समिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त होना शेष है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन समिति के द्वारा कितना न्यून वेज फिक्स किया गया है?

श्री बंशीधर पांडेय—

समिति इसलिये बनाई गई थी कि जो श्रम सम्मेलन ने ४, ५ सिफारिशें की थीं इन नार्म्स के आधार पर निम्नतम वेतन निर्धारित किया जाय तो उसी आधार पर गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई। दो की रिपोर्ट आई है लेकिन मैं उनका विवरण नहीं बतला सकता। दो कमेटी का आना अभी शेष है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैंने इसलिये सवाल किया था कि उस समिति की सिफारिश के मुताबिक निम्नतम वेजेज यहां होना चाहिये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो फैसला किया है वह उस तरफ जा रही है या नहीं?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो रिपोर्ट आई है सरकार को बिल्कुल मंशा है कि उसको देखकर विचार करे। सरकार चाहती है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो सम्भावित नार्म्स हैं उन पर अधिक से अधिक विचार किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १५वें श्रम सम्मेलन ने अपनी सिफारिश की थी और जिसके आधार पर ४ समितियों का निर्माण हुआ तो उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि आज के महंगाई भत्ते को देखते हुये और उसके स्तर को देखते हुये निम्नतम वेतन तय होना चाहिये। यदि मानते हैं कि वह पहले के मुताबिक नहीं है तो उन्होंने क्या प्रगति अपनी रिपोर्ट में की है, इस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट आई है। इसके बाद ही सरकार विचार करेगी।

श्री उग्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन उद्योगों में जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक निम्नतम वेतन कितना निर्धारित किया गया है?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह कहां कहां निर्धारित किया गया है इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन जो दो कमेटियों ने अपनी रेकमेंडेशन्स दे दी हैं उन पर सरकार ने विचार किया है और जहां मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है वहां उसे इन्फोर्स भी कर दिया है।

श्री भोलालाल—

१५वें सम्मेलन के अनुसार सरकार ने समितियों की नियुक्ति की थी और क्या उनमें से किसी कमेटी की सिफारिश आयी भी है ? आखिर उनकी रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा और सरकार उसे कब इंफोर्स करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वे तो कमेटियां हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देंगी।

कानपुर में कपड़ा उद्योग प्रतिष्ठान तथा जे० के० काटन मिल पर बकाया ग्रेचुइटी

*१६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर स्थित जे० के० काटन मिल के ऊपर ग्रेचुइटी की अदायगी के मद में कितनी रकम बाकी है और १९६४ का बोनस निर्धारित अवधि में अदा हुआ या नहीं ? क्या सरकार इस प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति की जांच करायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस मिल पर श्रमिकों की ग्रेचुइटी का लगभग ६८,००० रु० बाकी है। इस मिल ने श्रमिकों को १९६४ का बोनस निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया।

अभी इस मिल के बन्द होने की कोई संभावना नहीं है। अतः इस समय इसकी आर्थिक स्थिति की जांच कराना आवश्यक नहीं है।

*१७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित कपड़ा उद्योग के कितने और कौन से प्रतिष्ठान बन्द हैं ? इन प्रतिष्ठानों की उत्पादन-क्षमता क्या है ? और कितने कर्मचारियों को रोजगार मिलता है ? क्या सरकार इन प्रतिष्ठानों को हाथ में लेकर चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ये सब विवरण एक तालिका में दे दिए गए हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१७ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

६८ हजार रुपया जे० के० काटन मिल पर मजदूरों की ग्रेचुइटी का बकाया है और यह पिछले ६ साल से बाकी है। ९० दिन के अन्दर उनको ग्रेचुइटी का पैसा मिल जाना चाहिये, लेकिन उन पर ३, ३ साल से पैसा बकाया है और वे नहीं दे रहे हैं। उन्होंने १९६४ का बोनस भी नहीं दिया और १९६५ का ड्यू हो गया। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वे इस सबके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि वह मिल बन्द न हो और वहां के मजदूर भूखों न मरें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस ६८ हजार रुपये के बारे में सरकार ने एक शो काज नोटिस जारी किया था, उसे लेकर वे हाईकोर्ट में चले गये और इसलिये जब तक उसका फैसला न हो जाय तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

वे बोनस के लिये हाईकोर्ट गये हैं, ग्रेचुइटी के लिये नहीं।

श्री उग्रसेन—

जब उन्होंने यह ६८ हजार रुपया ६ साल तक नहीं दिया तो सरकार ने उनको यह शो काज नोटिस किस तारीख को सर्व किया ? और क्या ग्रेचुइटी न देने पर उन पर मुकदमा चलाया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ग्रेचुइटी के संबंध में लेबर कमिश्नर महोदय उन पर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जो बोनस का मामला है उसमें उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया है और यह शो काज नोटिस ३१ अगस्त, १९६५ तक का बांटना था बोनस उसके लिये दिया गया था ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

जो ९ कारखाने बन्द पड़े हैं, सवाल १७ के जवाब में, उनका क्या होगा ? सरकार आश्वासन के बावजूद भी वह बन्द पड़े हैं । क्या सरकार उनके लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री उग्रसेन—

इसका तो कम से कम श्रम मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिये ।

बड़ागांव एलोपैथिक अस्पताल की इमारत

*१८—श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में बड़ागांव एलोपैथिक अस्पताल की इमारत अब तक क्यों नहीं बनी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बड़ागांव ब्लाक । जिला वाराणसी के राजकीय एलोपैथिक अस्पताल का भवन निर्माण कार्य जिसके लिये अप्रैल, १९६२ में ६२, ००० रु० के व्यय की स्वीकृति दी गई थी । इसे संकट-कालीन स्थित के कारण अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया गया था, और यह कहना कठिन है कि कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

श्री ऊबल—

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि वहां का जो अस्पताल है वह कच्ची इमारत में चल रहा है । अपनी इमारत नहीं है तो वह जल्द से जल्द बन जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

विचार तो हो ही रहा है और जमीन आदि ले ली गयी है, लेकिन यह कहना कि कब तक बन जायगा यह कठिन है, यही जवाब दिया है ।

नौगढ़ तथा विरावं में चिकित्सक न होना

*१९—श्री ऊबल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पताल नौगढ़ तथा हसनपुर विरावं में डाक्टर नहीं हैं और जो डाक्टर नौगढ़ में भेजा गया उसे भी १५ अक्तूबर, १९६५ से हटा दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीय अस्पताल, नौगढ़ तथा विरावं में चिकित्सक नहीं हैं। जो डाक्टर नौगढ में भेजे गये थे उनका वहां से स्थानान्तरण दिनांक ३१-१०-६५ (अपरान्ह) को हो गया।

नौगढ़ में भेजे जाने के पहले यह डाक्टर भृगुखाल, जिला गढ़वाल में तैनात थे। चूंकि पर्वतीय जिलों में विशेषकर वहां के देहाती क्षेत्र में, बहुत कम डाक्टर जाना चाहते हैं, इस कारण से जो डाक्टर वहां थे उन्हीं को वहां की जनता के आग्रह पर फिर से वहीं भेज दिया गया।

शराब बिक्री से आय तथा शराबबन्दी

(प्र०-265

*२०—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शराब बिक्री से सरकार को पिछले दो वर्ष में प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

निर्दिष्ट अवधि में प्रदेश में शराब की बिक्री से सरकार को हुई आमदनी के आंकड़े नीचे दिये हुए हैं:

	रु०
१९६३-६४	८,६९,६३,७७२
१९६४-६५	१०,१२,७६,७२२

*२१—श्री मंगलदेव—

क्या आबकारी मंत्री जनहित के लिये पूरे प्रदेश में शराबबन्दी करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लखनऊ मेडिकल कालेज को सरकारी प्रबन्ध में लेने का सुझाव

*२२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार लखनऊ मेडिकल कालेज को अपने कंट्रोल में लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

लखनऊ मेडिकल कालेज को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी अधिकारियों का दौरा

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के हेड क्वार्टर, लखनऊ में कितने डी० आर० और एग्रीकल्चर आफिसर्स हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

कोआपरेटिव सोसाइटीज के हेड क्वार्टर लखनऊ (कार्यालय), सहकारी समिति निबंधक उत्तर प्रदेश, लखनऊ में ५ डी० आर० हैं और १ एग्रीकल्चर आफिसर है।

*२४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त अफसरान और कोआपरेटिव इन्स्पेक्टरान ने जो लखनऊ हेडक्वार्टर में हैं, कहां-कहां का दौरा १९६५-६६ में १ फरवरी तक किया और हर दौरे की रकम कितनी-कितनी उन लोगों ने ली ?

श्री बनारसीदास—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१७–५२६ पर)

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बम्हौरा का भवन

*२५—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बम्भौरा, जिला सीतापुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो अब तक उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बम्भौरा, जिला सीतापुर के भवन निर्माण का आदेश २८ नवम्बर, सन् १९६३ को जारी किया गया था, किन्तु देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने के कारण ऐसे निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया गया । स्थिति सुधरने पर पुनः इस पर विचार किया जायगा ।

बिड़ला रिंग बांध

*२६—श्री मैनेजरसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत बिड़ला रिंग बांध के पुनर्निर्माण का कार्य जन शक्ति उपयोग योजना के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम में स्वीकृत था किन्तु बैरिया विकास खन्ड उक्त योजना में न किये जाने के कारण कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या विभागीय योजना के अन्तर्गत कार्य कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह कार्य ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृत नहीं था ।

इस बांध के पुनर्निर्माण का कार्य विभागीय योजना के अन्तर्गत कराने का अभी विचार नहीं है ।

*२७—श्री जगन्नाथ राव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में परिवार नियोजन केन्द्रों में छटनी

*२९—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में परिवार नियोजन केन्द्रों से जो निम्न श्रेणी के १६ कर्मचारी अक्तूबर, १९६५ में सेवा कार्य से मुक्त कर दिये गये हैं उनके रिक्त स्थानों पर कुछ लोग रखे गये हैं, उनमें पुराने कर्मचारी लिये या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिन पदों से निम्नश्रेणी के कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया था वह पद ही समाप्त हो गये । अतः उन पदों पर नये या पुराने कर्मचारियों को रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर सदर अस्पताल में डाक्टर व कम्पाउन्डर्स

*३०—श्री रघुवीरराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में सदर अस्पताल में कितने डाक्टर और कम्पाउन्डर हैं इनमें से प्रत्येक डाक्टर और कितने कम्पाउन्डर कितने-कितने दिनों से इस अस्पताल में हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला गाजीपुर के सदर अस्पताल में ३ डाक्टर हैं:

प्रथम—डा० एल० के० चौधरी .. .. .. २०-७-६४ से,

द्वितीय—डा० एस० के० दास गुप्ता .. .. २३-७-६४ से तथा

तृतीय—डा० आर० एस० सिंह .. .. १-१०-६२ से

उक्त अस्पताल में कार्य कर रहे हैं। वहां कुल ८ कम्पाउन्डर हैं जो इस अस्पताल में कार्य कर रहे हैं, उनके नाम एवं तिथियां जब से वे वहां हैं इस प्रकार हैं :

नाम	तिथि
१—श्री मो० हनीफ	१-४-४७ से
२—श्री मो० सौबराती	२५-११-५४ से
३—श्री मो० ताहिर खां	१-१-६६ से
४—श्री मो० निजामुद्दीन खां	३०-३-५८ से
५—श्री कन्हैयाप्रसाद	२-७-४९ से
६—श्री हरिशंकरसिंह	२६-१०-६४ से
७—श्री मुसाफिरसिंह	१-१-६६ से
८—श्री सीताराम सिंह	९-१०-५९ से

*३१—श्री रघुवीरराम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर सदर अस्पताल में कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर हैं इनमें से कितने गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टरों में केवल डा० आर० एस० सिंह तथा कम्पाउन्डरों में सभी जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं।

एटा जिले में परिवार नियोजन में महिला कर्मचारी

*३२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि एटा जिले में परिवार नियोजन के कार्य में नियुक्त किन-किन महिला कर्मचारियों को जनवरी, १९६६ में सेवा से मुक्त किया गया ? क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि उनकी सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता क्या थी और जो अब काम कर रही हैं उनकी सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एटा जिले में परिवार नियोजन कार्य से माह जनवरी, १९६६ में एक महिला कर्मचारी को सेवा से मुक्त किया गया, जिसका विवरण निम्न है:

नाम		सेवा अवधि	शैक्षिक योग्यता
श्रीमती के० एस० उर्मिला	..	१–८–६० से १४–१–६६	हाई स्कूल

वर्तमान समय में जो ८ महिला कर्मचारी परिवार नियोजन में अब भी कार्य कर रहे हैं उनका विवरण निम्नलिखित है—

नाम		सेवा अवधि	शैक्षिक योग्यता
१—श्रीमती मुन्नी देवी पान्डे	..	२७–२–६५ से	विद्याविनोदिनी
२—श्रीमती हेमलता ..	..	२३–६–६४	हाईस्कूल
३—श्रीमती पी० आर० चड्ढा	..	२६–६–६५	हाईस्कूल
४—श्रीमती एस० सी० पी० सिंह		२०–६–६४	हाईस्कूल
५—श्रीमती सावित्री विसारिया	..	१८–७–६४	हाईस्कूल
६—श्रीमती अनारदेवी गुप्ता	..	२५–५–६३	विद्या विनोदिनी
७—श्रीमती शकुन्तला	..	२८–८–५९	बी० ए०
८—कुमारी एम० जे० बेगम	..	९–१०–५९	बी० ए०

जिला परिषद् कर्मचारी संघ, इलाहाबाद की मांगें

*३३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कर्मचारी संघ, इलाहाबाद के मंत्री द्वारा कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई ज्ञापन ७ मार्च, १९६५ अथवा उसके आस-पास कभी उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। १ अप्रैल, १९६५ से ५ रु० का विवेक भत्ता २०० रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले जिला परिषदों के कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया तथा उसी तारीख से ५ रु० से १० रु० तक की वृद्धि मंहगाई भत्ते में इस शर्त के साथ की गयी कि इस वृद्धि पर आय व्यय को परिषदें स्वयं वहन करेंगी।

*३४–३६—श्री हिम्मतसिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहायक निबन्धक, लखनऊ के विरुद्ध जांच

*३७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला लखनऊ की पीठासीन सहायक निबन्धक के विरुद्ध शासन को कुल कितने शिकायती पत्र मिले हैं ? माह फरवरी, में शासन को ऐसे भेजे गये शिकायती पत्र को क्या मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

सहायक निबंधक, लखनऊ के विरुद्ध केवल एक गुमनाम तथा दिनांक रहित शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर गुमनाम होते हुए भी जांच कराई जा रही है। जांच समाप्त होने तक उक्त शिकायत को सदन में रखना उचित न होगा।

*३८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या यह सत्य है कि यह सहायक निबन्धक जिला विकास सहकारी सघ लिमिटेड के भवन में रहते हैं ? यदि हां, तो कुल कितना किराया संघ को देते हैं ? क्या यह सत्य है कि नियमानुसार वह अपने वेतन का दशांश न देकर बहुत ही कम पैसा, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए देते हैं ?

श्री बनारसीदास--

यह सत्य है कि वर्तमान सहायक निबन्धक, लखनऊ जिला विकास सहकारी संघ के भवन के ऊपरी भाग में रहते हैं। यह इस संस्था के अवैतनिक मन्त्री भी हैं इमारत का ऊपरी भाग उन्हें डी० सी० डी० एफ० के संचालक मन्डल ने प्रस्ताव सं० ९ दिनांक ८-८-६४ के द्वारा किराए पर दिया, जिसका किराया २० रु० प्रतिमाह है जब कि पूरी इमारत का किराया ८२-०९ पैसा प्रति माह मय भूमि कर के है। इमारत का कुल रकबा ६,५६१ वर्गफुट है जिसमें जितना भाग ए० आर० के पास किराए में है उसका क्षेत्रफल लगभग १,०८० वर्गफुट है, शेष लगभग ५,४८१ वर्गफीट कार्यालय के पास है। क्षेत्रफल का अनुपात देखते हुए किराया उचित है अतः वेतन का १० प्रतिशत देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३९--श्री रामकिशोर वर्मा--

इन शिकायती-पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

उपरोक्त शिकायती-पत्र की जांच निबन्धक द्वारा कराई जा रही है।

फैजाबाद जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर तथा मैनेजर, सहकारी बैंक

*४०--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के कोआपरेटिव सुपरवाइजरों में से किन-किन की तनख्वाहें अप्रैल, १९६५ से फरवरी, १९६६ तक बाकी हैं और कितना-कितना धन होता है ?

श्री बनारसीदास--

फैजाबाद जिले के किसी कोआपरेटिव सुपरवाइजर की तनख्वाह अप्रैल, ६५ से फरवरी, ६६ तक की बाकी नहीं है।

*४१--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

अप्रैल, १९६५ से फरवरी, १९६६ तक फैजाबाद जिले के कोआपरेटिव सोसाइटी के कौन-कौन सुपरवाइजर इस जिले से बदल कर दूसरे जिलों को गए हैं ? इनमें से किन-किन के वेतन बाकी हैं और क्यों ?

श्री बनारसीदास:--

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५२७ पर)

*४२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

फैजाबाद जिला सहकारी बैंक के मैनेजर की नियुक्ति में किन-किन नियमों का पालन किया गया है ? वर्तमान मैनेजर की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता और अनुभव क्या-क्या है ?

श्री बनारसीदास—

फैजाबाद जिला सहकारी बैंक में मैनेजर की जगह पर अभी तक स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो सकी है। फैजाबाद जिला सहकारी बैंक की सेवा नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए पैनल में से ही मैनेजर की नियुक्ति की जा सकती है जिसके लिए रजिस्ट्रार से नाम उपलब्ध नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में बैंक की अकबरपुर शाखा पर नियुक्ति मैनेजर, श्री अल्लन खां से ही जिला सहकारी बैंक के मैनेजर का काम लिया जा रहा है, जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं अनुभव निम्न है।

(१) यह हाईस्कूल पास हैं।

(२) टांडा सहकारी बैंक यूनियन, फैजाबाद के मैनेजर के पद पर दिनांक १३-५-४९ से ८-१-५९ तक कार्य कर चुके हैं।

(३) यह फैजाबाद, जिला सहकारी बैंक के मैनेजर के पद पर भी पहले दो बार अस्थायी रूप से ९-११-६२ से २७-६-६३ तक एवं २७-१२-६३ से ४-२-६४ तक आफिशिएट कर चुके हैं।

(४) यह ब्रांच मैनेजर के पद पर बैंक द्वारा कन्फर्म्ड हो चुके हैं।

श्रम विभाग के होम्योपैथिक डाक्टरों का वेतन

*४३—श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेतन अभिनवीकरण समिति ने श्रम विभाग के अधीन कार्य करने वाले होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए कोई वेतन-क्रम निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

*४४—क्या सरकार श्रम विभाग के अधीन कार्य करने वाले होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए वेतन-क्रम निर्धारित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

वेतन अभिनवीकरण समिति ने श्रम विभाग के होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए कोई वेतन क्रम अलग से प्रस्तावित नहीं किया है। अपनी अनुशंसाओं में इन डाक्टरों के लिए उन्होंने वही वेतन-क्रम दिए जाने के लिए कहा है जो कि चिकित्सा विभाग के होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए हैं। चिकित्सा विभाग के होम्योपैथिक डाक्टरों के वेतन-क्रम के मामले पर अलग से विचार किया जा रहा है।

गोविन्दगढ़ हाउसिंग सोसाइटी

*४५—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में गोविन्दगढ़ नामक जो हाउसिंग सोसाइटी १९५१-५२ में बनाई गई थी उसका क्या हुआ ? क्या वह खत्म हो गई है ?

श्री बनारसीदास—

गोविन्दगढ़ हाउसिंग सोसाइटी दिनांक ७-३-५१ को रजिस्ट्री संख्या ६२२ के अनुसार निबन्धित हुई। समिति के नियमानुसार समापन की कोई कार्यवाही अभी नहीं हुई बताई जाती है। यह समिति प्रारम्भ से ही निष्क्रिय (dorment) रही है।

*४६—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उस सोसाइटी में जो रुपया जमा है वह कैसे मिलेगा और उसको अब तक न वापस करने की क्या वजह है ?

श्री बनारसीदास—

आय-व्यय का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है। यदि कोई रुपया जमा किया गया है तो उस समिति के पदाधिकारी ही उसके लिए उत्तरदायी हैं। जिन सदस्यों ने रुपया जमा किया है वे अपने रुपए की वापसी इत्यादि के विषय में समिति के सरपंच के जरिए समिति के खिलाफ सालिसी कार्यवाही कर सकते हैं। उक्त रुपए की वापसी न होने के कारण, समिति के तत्कालीन सरपंच खजांची वगैरह ही बता सकते हैं।

कानपुर जिले में विकास खण्डों का पुनर्गठन

*४७—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में कितने विकास खण्डों को समाप्त कर उनको दूसरे विकास खण्डों में जोड़ने की योजना है तथा उनके नाम क्या हैं ? इन विकास खण्डों के तोड़ने के चयन का क्या आधार है ?

श्री राममूर्ति—

जिला अधिकारी तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। जिस पर अन्तिम निर्णय कमेटी आफ डाइरेक्शन लेगी। विकास खण्डों के पुनर्गठन में भौगोलिक स्थिति, यातायात के साधन और जनसंख्या पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। तहसील तथा न्याय पंचायतों की सीमा को कहीं नहीं तोड़ा गया है। जहां भवनों का निर्माण हो चुका है उन्हें उपयोग में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा जहां तक सम्भव है खण्ड सुसंगठित बनाये जा रहे हैं।

*४८—श्री राजनारायण मिश्र —

क्या जिला कानपुर के सन्दलपुर ब्लाक को तोड़ने के विषय में जिला अधिकारी ने सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो कब ? उक्त सन्दलपुर ब्लाक कब खुला और अब किस श्रेणी में है तथा जिले में इस ब्लाक के बाद भी कोई ब्लाक खुला है ?

श्री राममूर्ति—

अभी तक जैसा प्रश्न ४७ के उत्तर में कहा गया है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सन्दलपुर ब्लाक पूर्ण प्रसार विकास खण्ड के रूप में १-१०-१९६१ को खोला गया था जो १-१०-१९६२ से प्रथम चरण विकास खण्ड है। इसके बाद खोले गए विकास खण्डों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२८ पर)

*४९—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

स्वास्थ्य विभाग, जिला फतेहपुर से कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*५०—सर्वश्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) तथा रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर के सेनीटरी इन्सपेक्टर श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना व क्लर्क, श्री राधे सरन श्रीवास्तव व क्लर्क

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोप में कब व कहां के लिए किया गया था और क्या यह सच है कि इन को स्थानान्तरित किए जाने के बाद ही व नई जगह का चार्ज लेने के पूर्व ही इन सभी को लम्बी छुट्टियां उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अधिकारी द्वारा दे दी गई ? यदि हां, तो किस आधार पर व किस उद्देश्य से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५२९ पर)

एटा जिले में कथित निलम्बित मेकैनिकल इन्सपेक्टर

*५१--सर्वश्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा), लोकपालसिंह (जिला एटा) तथा रामसिंह (जिला एटा)--

क्या विकास मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में काम करने वाले कौन-कौन मेकैनिकल इन्सपेक्टर आज कल अपनी सेवाओं से नि लम्बित हैं तथा किस-किस तिथि से ?

श्री राममूर्ति--

एटा जिले में आजकल कोई भी मेकैनिकल इन्सपेक्टर निलम्बित नहीं है।

*५२--सर्वश्री गंगाप्रसाद वर्मा, लोकपालसिंह तथा रामसिंह (एटा)--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित निलम्बित किस-किस कर्मचारी को चार्जशीट किस-किस तिथि को दी गई ?

श्री राममूर्ति--

उक्त उत्तर के अनुसार चार्जशीट देने का प्रश्न नहीं उठता।

*५३-५५--सर्वश्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली), यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा हरीशकुमार गंगवार--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिए गए।]

सहकारी भट्टा बर्डपुर

*५६--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

क्या सहकारिता मन्त्री बस्ती जिले के विकास खण्ड, बर्डपुर नं० ९ के सहकारी भट्ठे के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में उसका मैनेजर कौन था ?

(ख) जिन-जिन वर्षों में भट्ठा चला उन वर्षों की बैलेन्स शीट अर्थात् लाभ हानि क्या रही है ?

श्री बनारसीदास--

(क) बर्डपुर भट्ठे पर वर्ष ६३-६४ में श्री मंगल प्रसाद चौधरी भट्ठा मैनेजर थे।

(ख) बर्डपुर भट्ठा वर्ष ६३-६४ और ६४-६५ में चलाया गया। वर्ष ६३-६४ में ९०८६.०० रु० तथा वर्ष ६४-६५ में १३,५६३.०० रु० की हानि हुई।

विकास खण्ड अधिकारी, विधूना

*५७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सत्य है कि विकास खण्ड अधिकारी, विधूना, जिला कानपुर को, दिनांक २८ अक्तूबर, १९६५ को ग्राम अमलीपुर व परसौली का फर्जी दौड़ा मूवमेंट रजिस्टर दिखलाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने पकड़ा था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी :

(अ) उत्तर प्रदेश सरकार के वह उच्च अधिकारी कौन थे ?

(ब) विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं।

(अ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ब) कोई प्रश्न नहीं उठता।

*५८-५९--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रधान, गांव पंचायत, इटारा के विरुद्ध शिकायत

*६२--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत, इटारा, परगना व जिला कानपुर के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन गबन, पंचायत का जाली लेखा बनाने तथा अनेक प्रकार की अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं ? यदि हां, तो वह आरोप क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रधान, गांव पंचायत इटारा,परगना व जिला कानपुर के विरूद्ध गांव पंचायत की भूमि अवैधानिक तरीके नीलाम किए जाने व उस पर अनाधिकार कब्जा करने तथा गांव पंचायत का रूपया अनियमित रूप से अपने पास रखने और खर्च करने के सम्बन्ध में शिकायतें जिला अधिकारियों को प्राप्त हुई थी । इन शिकायतों पर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा जांच की जा रही है । बिना जांच समाप्त हुए प्रधान के विरूद्ध किसी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६३-६५--श्री प्रेमसुन्दर (जिला मेरठ) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)--

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर

*६६--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर, जिला गोंडा के मैनेजिंग डायरेक्टर के तथा अन्य अधिकारियों के चुनाव के लिये दिसम्बर ,१९६५ में कोई तिथि निश्चित की गई थी ? यदि हां, तो क्या चुनाव हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं । अतः चुनाव होने का प्रश्न नहीं उठता।

मिसरिख ब्लाक तोड़ना

*६७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिसरिख, जिला सीतापुर का ब्लाक तोड़ने के बाद उन गांवों को किन ब्लाकों में शामिल किया गया जो उस ब्लाक में थे ? कृपया गांववार बतलाने का कष्ट करें ?

श्री राममूर्ति—

जिला अधिकारी के प्रस्ताव आ गये हैं पर जिला परिषद् की कार्य समिति के सुझाव अभी नहीं आये हैं। उन के आ जाने पर ही विचार हो सकेगा।

*६८—श्री उमाशंकर—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

गांव सभा, राजगढ़ का आडिट

*६९—श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, राजगढ़ ब्लाक सदर, जिला प्रतापगढ़ में एक हजार रुपये का गबन सन् १९५६ में हुआ और इस सम्बन्ध में विशेष आडिट कराया गया है उसने गबन को सही बताया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई और गबन किसने किया ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा, राजगढ़, जिला प्रतापगढ़ के आडिट के समय पंचायत की कोष बुक में एक हजार रुपये का हिसाब अंकित नहीं पाया गया। मामले की जांच किये जाने पर हिसाब ठीक पाया गया और कोई गबन नहीं मिला।

*७०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए भूमि

*७१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो मेडिकल कालेज खोलने की योजना है उस पर कुल कितना व्यय होगा तथा अभी तक भूमि अर्जित की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक होगा तथा इमारत बनने की कार्यवाही शुरू करने में देरी का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गोरखपुर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज की स्थापना पर चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में २६५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

उक्त कालेज के लिये अभी तक कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है। उपयुक्त भूमि की खोज की जा रही है जिसके मिलने के पश्चात भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

महिला विधायकों के लिए चिकित्सा प्रबन्ध

*७२—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डफरिन अस्पताल, लखनऊ में महिला विधायकों के लिये चिकित्सा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है, जैसा कि विधायकों के लिये बलरामपुर अस्पताल में है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा के जो प्रबन्ध प्रथम श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के लिये है नियमानुसार वे ही प्रबन्ध विधायकों के लिये भी किये गये है । अतः यह कहना कि किसी चिकित्सालय विशेष में विधायकों के लिये चिकित्सा के विशेष प्रबन्ध है सही नहीं है ।

*७३—श्रीमती रामरती—

यदि नहीं ,तो क्या सरकार इस अस्पताल में महिला विधायकों के लिये विशेश प्रबन्ध करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले में प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गनाइजर सम्बन्धी कागजात

१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय रक्षक दल प्रान्तीय कमान्डेन्ट ने ८ जनवरी, १९६५ को उन्नाव जिले के किन-किन ब्लाक आर्गनाइजरों के पेंशन के कागजात बना कर भेजने के लिये तथा वेतन भुगतान के लिये जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

८ जनवरी, १९६५ को नहीं बल्कि अपने पत्र दिनांक ४–१–१९६५ में प्रशासकीय समादेष्टा उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव से कहा था कि वे श्री निहालसिंह, ब्लाक आर्गनाइजर, प्रान्तीय रक्षक दल के अवकाश संबंधी वेतन व उनके पेंशन संबंधी कागजात बना कर भेजे । यद्यपि श्री निहाल सिंह, मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं तथापि कुछ परीक्षण अभी अवशेष हैं जिन पर सिविल सर्जन, फतेहगढ़ आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी ।

टाउन हाल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, शाहजहांपुर

२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में टाउन हाल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों का रुपया फंसा पड़ा है और जबकि सोसाइटी खत्म भी हो चुकी है तो वह रुपया सरकार कब तक वापस कर देगी ?

श्री बनारसीदास—

टाउन हाल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, जिला शाहजहांपुर खत्म नहीं हुआ है बल्कि पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय है । इस भंडार को विघटित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । समिति के विघटन के बाद नियमानुसार सदस्यों के हिस्से की पूंजी की वापसी सम्भव हो सकेगी ।

बी० एम० बी० एस० तथा बी० ए० एम० एम० एस० के पाठ्यक्रम

३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० एम० बी० एस० तथा बी० ए० एम० एम० एस० के पाठ्यक्रम में समानता होते हुए भी उनकी सरकारी मान्यताओं तथा राजकीय नौकरी में आये उन स्नातकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में क्या असमानता है तथा क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बी० एम० बी० एस० तथा बी० ए० एम० एम० एस० कोर्स के पाठ्यक्रमों में समानता नहीं है। अतः उनसे संबंधित अन्य बातों में समानता होने का प्रश्न नहीं उठता।

४—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।

बस्ती जिले में सहकारी भट्ठे

५—श्री उमाशंकर—

क्या सहकारिता मंत्री जी कृपा कर के यह बतलायेंगे कि बस्ती जनपद में जिला सहकारी संघ के द्वारा कितने ईंट के भट्ठे पिछले १९६४–६५ वर्ष में चलाये गये और किस-किस भट्ठे में कितना-कितना लाभ या हानि हुआ ?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी संघ लि०, बस्ती द्वारा वर्ष ६४–६५ में ७ भट्ठे चलाये गये। जिनका विवरण संलग्न है।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५३० पर]

६—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि बर्डपुर जिला बस्ती के ईंट का भट्ठा पिछले दो वर्षों से लगातार घाटा होने के बावजूद चलाया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

यह सत्य है कि बर्डपुर भट्ठा वर्ष ६३–६४ व ६४–६५ में घाटे पर चला। परन्तु यह भट्ठा इस वर्ष (६५–६६) में नहीं चलाया जा रहा है।

७—श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला सहकारी संघ के ईंट के भट्ठों में प्रति एक लाख ईंट पकाने में औसत कितने टन कोयला खपत का आया है ?

श्री बनारसीदास—

प्रति एक लाख ईंट पकाने में औसतन २४ टन कोयले की खपत हुयी है।

मिर्जापुर, वाराणसी तथा जौनपुर जिलों में बुनकरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव आया है वाराणसी और मिर्जापुर के १७ हजार बुनकरों ने २१ मार्च से हड़ताल कर दी है, यह माननीय गया प्रसाद, माननीय शिव नाथ सिंह, माननीय राधे श्याम शर्मा को। नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय उग्रसेन, की सूचना उसी विषय पर है और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय रक्षपाल सिंह, माननीय मुकुट बिहारी लाल, माननीय मतोला सिंह की भी नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें हैं। तो नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने यह स्वीकार किया है। माननीय श्रम मंत्री, कब इस पर वक्तव्य दो जियेगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

२९ तारीख को।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आपने कहा था कि कल उद्योग विभाग की बहस है, मंत्री जी उस पर प्रकाश डालेंगे लेकिन प्रकाश नहीं डाला। कप्तानगंज चीनी मिल, देवरिया की जो स्थिति है वहां ६ लाख मन गन्ना जलाने की स्थिति में आ गया है। चीनी मिल सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना नहीं ले रही है और असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस पर मंत्री जी का वक्तव्य दिला दीजिये। यह हमारा ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं लिया जा सकता है, एक ही लिया जा सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आपने परसों नियम ५२ वाला सरकार की कार्यवाही के लिये भेजा था, तो जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया है इस पर ?

श्री अध्यक्ष—

एक तो बुनकरों का सवाल है और दूसरा विषय माननीय बांकेलाल जी ने उठाया है। पहले वाले पर मैं उम्मीद करता था कि उद्योग संबंधी विवाद में चर्चा होगी। तो उस समय उत्तर आ जायगा। उसकी चर्चा उठी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया जो कि संतोषजनक होता। मैंने कार्यवाही देखी तो मुझे संतोष नहीं हुआ इसलिये, मैंने इसको नियम ५२ में ले लिया है। जहां तक बांके लाल जी वाला प्रश्न है, मैंने देखा कि आदरणीय एस० एस० पी० के सदस्यों में से ३ सदस्य बोले थे लेकिन इस संबंध में कोई चर्चा नहीं उठाई, इस वजह से...

एक सदस्य—

चर्चा उठाई, कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा, उसमें चर्चा नहीं है, इस वजह से मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

आपको कोई व्यवस्था करनी होगी कि एक तरफ तो माननीय गया प्रसाद ने आपके कथनानुसार बुनकरों का सवाल उठाया, और उसका उधर से कोई जवाब नहीं मिला, और आप यह कहें कि हमने या हमारी तरफ से किसी ने वह प्रश्न उठाया नहीं, यह दोनों बातें ऐसी हैं जिनमें विरोधाभास सा मालूम होता है। जो प्रश्न उठाया गया उसका उत्तर मिला नहीं। कल माननीय कल्याण चन्द मोहिले जी ने कप्तानगंज का मामला उठाया था और उसका उत्तर मिला नहीं। उसके बाद अगर हम प्रश्न उठावें तो वह स्वीकार न हो, तो अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि हम क्या करें ? हमारे हकों की कैसे रक्षा हो ? इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि प्रश्न अगर किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं मिलता और नहीं किया जाता है तो यह कहा जाता है कि प्रश्न नहीं उठाया गया, फिर नियम ५२ का प्रश्न भी न लायें तो क्या करें ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आपने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसका उत्तर नहीं मिला था, मगर कप्तानगंज वाले का भी तो उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सही भी हो, तो भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि एक दिन में एक ही नियम ५२ का प्रस्ताव लिया जा सकता है।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५७,८१,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, वह बहुत छोटी सी मांग है। हमने इस कार्य की विवरण पुस्तिका सदस्यों को बांट दी है और आशा है उन्होंने इसे पढ़ा होगा। मुझे इस संबंध में बाद में जवाब भी देना है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय सदस्यों की बात पहिले सुन लूं और उसके बाद जो उत्तर देना होगा वह दूंगा। हमारे विभाग ने पिछले दिनों बहुत अच्छा काम किया है। जब वहां लड़ाई हुई तो हमने बाद में इसकी सूचनायें मंगाई और उस पर फिल्म बनाई जो प्रदर्शित की और हमने उसको दिल्ली में भी दिखाया है। हमारी जो फिल्म थी वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने तमाम भारत वर्ष में प्रदर्शन के लिये ले ली थीं। हमने कुछ अच्छी पुस्तकें हिन्दी समिति से प्रकाशित की हैं और वे पुस्तकें ऐसी हैं कि उनका यहीं नहीं बल्कि तमाम देश भर में सम्मान हुआ है। क्योंकि हमारा काम तो ऐसा है कि जिसे सब लोग जानते हैं इसलिये उसमें बहस की गुंजायश नहीं है। मैं आशा करता है कि तमाम लोग कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेकर इसे वैसे ही पास कर देंगे। अगर इसमें शिकायत होगी तो उसका मैं जवाब दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कटौती का प्रास्ताव पेश कर रहा हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने की उद्देश्य–विभाग की निष्क्रियता, विभाग का दलीय स्वार्थ में उपयोग और सामान्य नीतियों की चर्चा तथा सुझाव एवं शिकायतें हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की हर सरकार अपने सूचना के इस विभाग को संगठित करती है, उसको संचालित करती है ताकि वह अपने देश के अन्दर और देश के बाहर वह अपनी नीतियों को अपने कार्यकलापों को अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सके और उनको शिक्षित कर सके और जो सरकार की नीतियां हैं वे जनता के दिमाग में मजबूत बन सकें और उसमें सरकार काम करे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय यादव इस कटौती के प्रस्ताव को कम्युनिस्ट दल प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा निर्दलीय होकर ?

श्री अध्यक्ष—

ये हमारे सदन के सदस्य हैं यही हमारे लिये काफी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिये कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेकर उसे सर्वसम्मति से पास करें। श्रीमन्, मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर सरकार का ध्यान खास रूप से सींचना चाहता हूं, मैं निजी रूप से उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से असंतुष्ट हूं, बहुत ही मायूस हूं और मैं समझता हूं कि यह विभाग अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। जो मेरी पहली शिकायत है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का वर्तमान संगठन, इसका वर्तमान स्वरूप, इसका दृष्टिकोण और उसका चीजों को समझने का जो नजरिया है वह सारा का

सारा गलत है और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर इस विभाग की स्थापना होनी चाहिये वह इस संगठन में रहने वाले नहीं कर पा रहे हैं।

सबसे बड़ी कमजोरी इस विभाग की जो आजादी के बाद लगातार बनी हुई है, वह यह है कि इस सरकार की जो मौलिक नीतियां हैं, जिनकी प्रस्थापना के लिये और उनको दृढ़ बनाने के लिये हमारे देश में राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है उन पर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का हमला भी हो रहा है, हमें उनको और मजबूत करने के लिये प्रयास करना चाहिये, लेकिन खेद है कि यह विभाग उन नीतियों के संबंध में शिक्षित करने, और उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने में पूर्णतया असफल रहा है कि हमारे देश और प्रदेश के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं और धर्मनिरपेक्षता को हमने क्यों अपनाया है। हमारे देश में विभिन्न वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं, उनके अन्दर एक सहयोग की भावना, एक सहृदयता की सद्भावना कैसे पैदा हो, हमारे नियोजन में क्या कमजोरी है, क्यों जनता इसको नहीं अपना रही है, इन तमाम बातों से जैसे इस विभाग का कोई संबंध ही नहीं है। सरकार की राष्ट्रीय नीति को प्रचारित करने में तथा जनता को शिक्षित करने में विभाग ने आजादी के बाद से आज तक अपनी आंख बन्द कर रखी है। . मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग पर्सनल पब्लिसिटी का एक संघ-सा बन गया है, जिसका काम व्यक्तिगत मंत्रियों के कार्यक्रम का प्रचार करना, उनके दौरे का प्रचार करना, उनके नाम से लेख लिखना और उन्हें छपवाना ही रह गया है। अगर आज उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से सदन का कोई माननीय सदस्य यह जानना चाहे कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे यहां की प्रगति के मुख्तलिफ आंकड़े क्या हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर उसे लगातार मायूस होना पड़ेगा। यह स्थिति उस समय है जबकि हमारे हेडक्वार्टर पर १५–१६ सूचना अधिकारी रहते हैं, उनके जिम्मे विभाग के अलग-अलग काम बंटे हुए हैं और उनकी मुख्यतः यह जिम्मेदारी है कि वे विभाग संबंधी आंकड़े रखें और लोगों को उपलब्ध करावें। लेकिन अब उनका केवल एक काम रह गया है, एक-एक सूचना अधिकारी एक-एक मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया गया है। जब वे मिनिस्टर दौरा करते हैं तो उनके साथ वह जाता है, और उनका भाषण जो अखबारों में निकलता है उसको कटिंग मिनिस्टर साहब के सामने पेश करता है, उनकी फोटो छपवाता है और जो भी उसका कार्यक्रम होता है उसको सामने रखता है। मैं समझता हूं कि यह काम कमजोरी है इस विभाग की।

दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और खासतौर से अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सूचना विभाग है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह इस राज्य की और इस राष्ट्र की सेवा करने का बजाय कुसेवा कर रहा है और जब मैं इस बात को कहता हूं तो कोई हल्के ढंग से नहीं कहता हूं, मैं प्रमाण सहित इस बात को कहना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने जब चीन ने हमला किया तो उत्तराखंड पर एक फिल्म तैयार की। वह फिल्म राष्ट्रीयता की दृष्टि से आपत्तिजनक थी। उसमें जो आपत्तिजनक बात थी उसको देख कर हर भारतीय को कष्ट होगा। इस विभाग ने जो फिल्म तैयार की थी उसमें हमारी भूमि को चीन की भूमि दिखलाया गया था। इस फिल्म के तैयार करने में साढ़े ५ हजार रुपया खर्च हुआ है और इसके बाद हमारी भूमि को चीन की सीमा के अन्दर दिखलाना, यह बड़ी भारी आपत्तिजनक बात थी। आज तक वह फिल्म प्रकाशित नहीं हो पायी है।

तीसरी बात यह है कि हमारे सूचना विभाग ने हिन्दुस्तान–पाकिस्तान झगड़े के समय एक पोस्टर छपवाया जिसकी तरफ श्रीमन्, आपकी दृष्टि भी गयी होगी, जिसमें लिखा है "अंगद का पांव दुश्मन की जमीन पर' अखबारों में भी इसका प्रचार हुआ जो हमारी राष्ट्रीय नीति के विपरीत था। पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई उसमें हमने कभी नहीं कहा कि दुश्मन की जमीन पर हमने कब्जा किया है, और हम वहां से नहीं हटना

[श्री चन्द्रजीत यादव]

चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने तो बराबर यही कहा कि हमने आक्रमण नहीं किया है, हमने तो केवल अपने बचाव के लिये यह कार्यवाही की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग का जो पोस्टर छपा उससे यही लगता था कि हमने दुश्मन की जमीन पर कब्जा किया है और वहां से हम नहीं हटना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने निरन्तर यह वक्तव्य किया कि अपने बचाव के लिये हिन्दुस्तान ने यह कदम उठाया है। जैसे ही पाकिस्तान हमारी जमीन से हट जायगा, हम भी उसकी जमीन से हट जायेंगे। जब आपके सूचना विभाग की यह स्थिति है कि अपनी जमीन को भी चीन की सीमा में दिखलाता है, और पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करने जैसा पोस्टर छपवाता है जबकि हमला उसने काश्मीर पर किया था और उसे वहां से हटना पड़ा, मैं समझता हूं कि उसकी यह नीति जो प्रचार करने की है, हमारी अपनी नीति के विपरीत है और मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इस प्रकार का कार्य कर रहा है। श्रीमन्, चौथी बात यह है कि आप हिन्दी के बारे में बहुत चिंतित हैं। आपने अभी कहा कि जब दूसरे राज्यों से हमारे पास अंग्रेजी में पत्र आते हैं तो दुख होता है। लेकिन तथ्य यह है कि हम अपनी ही भाषा का प्रचार नहीं करते। एक नहीं अनेक बार इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया कि राज्य सरकार अपना कार्यसंचालन हिन्दी में करे। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का प्रचार करने की मुख्य जिम्मेदारी सूचना विभाग पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी उस दिन ही दस दिन हो हुए लखनऊ महिला समिति ने एक आयोजन किया था। वहां की संयोजिका ने निदेशक महोदय को पत्र लिखा कि उस अवसर पर आप फिल्म दिखाने की कृपा करें। निदेशक महोदय के विभाग के सुपरिंटेंडेंट ने जिस फार्म पर जवाब कि दिया वह हिन्दी में था, लेकिन उसमें यह जो जवाब दिया गया कि फिल्म दिखाने की व्यवस्था की जायगी, यह उत्तर अंग्रेजी में दिया। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की कार्यवाही है। आप लाख कहें, लेकिन इस सरकार पर सदन में कही हुई बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सूचना विभाग पर तो यह स्पष्ट ही लांछन है कि उसके बड़े से बड़े अधिकारी इसकी उपेक्षा करते हैं।

उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग अपनी ओर से कुछ प्रकाशन भी करता है उसमें भी घोर अराजकता और अक्षमता है। चीन की लड़ाई के सम्बन्ध में जितने भी प्रकाशन हुए वह लड़ाई बन्द होने के तीन महीने बाद तक मिलते रहे और इसी प्रकार पाकिस्तान की लड़ाई बन्द होने के बाद ताशकन्द समझौता हो गया, लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई पेम्फलेट नहीं आये जो आ आने चाहिये थे और लड़ाई के पैम्फलेट बहुत दिनों बाद तक आते रहे। यह इस विभाग की निरंकुशता और अराजकता का प्रमाण है।

कुछ अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकायें भी इस विभाग द्वारा प्रकाशित होती हैं। एक हिन्दी पत्रिका निकलती है "त्रिपथगा"। उसका प्रकाशन कभी भी समय पर नहीं होता। कायदा यह है कि जब महीना खत्म हो तो उसके आगे महीने की पत्रिका निकल जानी चाहिये। यानी जनवरी की पत्रिका दिसम्बर के आखीर में निकल जानी चाहिये और जनवरी के शुरू में लोगों को मिल जानी चाहिये। लेकिन जनवरी की पत्रिका जनवरी के २ सप्ताह तक नहीं मिली। जब प्रधान मंत्री जी की मृत्यु हो जाती है तब ३ सप्ताह बाद निकलती है। फरवरी और मार्च की पत्रिका अभी तक नहीं निकली। जो पत्रिका समय पर नहीं निकलती उसका क्या मूल्य रह जाता है।

इसी प्रकार उर्दू की एक पत्रिका "नयादौर" निकलती है। इसकी जनवरी की पत्रिका आजतक नहीं निकली। आप तो केवल हिन्दी की कुछ किताबें निकाल कर अपना संतोष कर लेते हैं, यह बड़े दुःख की बात है।

इस विभाग की ओर से कुछ पैम्फलेट्स भी निकाले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों के सम्बन्ध में यह एक पैम्फलेट निकाला गया है। यह कृषि की समस्याओं पर है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि किसानों को क्या करना चाहिये कि वे इन कठिनाइयों पर विजय पा सकें।

उन समस्याओं का कोई हल इस पैम्फलेट में नहीं है। यह तो केवल सरकारी प्रचार का साधन मात्र है। जो बात जनता को बतायी जानी चाहिये वह नहीं बतायी जाती है, जनता को कोई मार्ग दर्शन नहीं दिया जाता, केवल सरकारी प्रचार किया जाता है। किसी एक व्यक्ति या संस्था का प्रचार करना, बड़े दुख की बात है। उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिये था जो किसानों की समझ में आ सकती। श्रीमन्, आप तो विद्वान हैं आप उसकी भाषा को समझ जायेंगे क्योंकि हिन्दी के अच्छे जानकार हैं, लेकिन साधारण किसान जिसके लिये इस पैम्फलेट को छापा गया है, वह इसको नहीं समझ सकता। फिर यह पेम्फलेट जिन लोगों के लिये छापा जाता है, उन तक पहुंचाया भी नहीं जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लाख पैम्फलेट किसानों में भिजवाये गये ?

इसके अलावा इस प्रदेश में उर्दू के अन्दर कदाचित् कभी भी कोई पैम्फलेट नहीं निकलता सो निकलना चाहिये। क्या उर्दू जानने वाली जनता को हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ सिखाना नहीं है, क्या हमें उन्हें सेकुरलरिज्म के बारे में सिखाना नहीं है, क्या उन्हें हमें आपके सहयोग और एक संस्कृति के विषय में और पाकिस्तान के खतरे के सम्बन्ध में सिखाना नहीं और क्या हमें उनमें देश के लिये एक सही भावना को पैदा करना नहीं है ? लेकिन उर्दू की पत्रिका में इस तरह की चीजें बहुत ही कम प्रकाशित होती हैं, यह बहुत ही खेदजनक बात है। इस कमी को विभाग को दूर करना चाहिये।

इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पिछले ५ सालों में इस विभाग के अधिकारियों ने केवल अपने ही दृष्टिकोण को बल दिया है और न कोई विभागीय संगठन है और न कोई प्रकाशन ही उसके ठीक से निकलते हैं, उसके पास कोई योजना और कोई विचार नहीं है, उसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, हमारे सूचना विभाग के अधिकारी राज्य के कोने कोने में दौरे पर विचरा करते हैं और मैं आप को बताना चाहता हूं कि इस राज्य में विभाग के इन अधिकारियों का दौरा बनाने की स्थिति क्या है। उन्होंने किस तरह से दौरे के प्रोग्राम और यात्रिक भत्ता लिया है यह मैं आप को बता दूं। सन् ६३–६४ में ९८,२१६ रुपया और सन् ६४–६५ में बड़ी एकोनामी के बाद नियमित व्यवस्था ६५ हजार की की गई और ६५ हजार के स्थान पर वास्तविक व्यय उस साल दिया गया १,३३,०८८ रुपया। इस तरह से सौ प्रतिशत से भी ऊपर व्यय किया गया। इन सरकारी अधिकारियों द्वारा, जो सूचना विभाग के द्वारा एकनामी का प्रचार करते हैं। जो विभाग बचत और मितव्ययिता का प्रचार करे उसके लिये यह खेद का विषय है कि वह इस तरह से स्वयं ही उसकी अवहेलना करे और मनमाना खर्च करे। यह दुख की बात है। दूसरे राज्यों में जो यह मूविंग वान्स हैं, वह जाते हैं उस पर सन् ६४–६५ में ९५,२०० रुपया व्यय किया गया और ६३–६४ में ८८ हजार खर्च किया गया। इस तरह से यात्रा व्यय का बजट निरन्तर बढ़ता ही गया है। मैं समझता हूं कि यह विभाग के लिये अत्यन्त खेद और दुख की बात है।

इसके अलावा हमारा सूचना विभाग सरकार की नीतियों के विरुद्ध इस तरह के कार्य करता है और मैं आपका ध्यान इस विभाग की कुछ अन्य बातों की तरफ भी आकृष्ट करूंगा। इस राज्य का सूचना विभाग यहां के पत्रकारों से भी एक ब्यूरोक्रेटिक व्यवहार करता है, यह भी एक दुख की बात है। इस विभाग का कर्तव्य था कि वह सही समाचार देने में पत्रकारों की सहायता करे, उनके साथ सहयोग करे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक खेदजनक स्थिति ऐसी बनी हुई है, एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक रुख बना हुआ है और एक अजीब टेंशन की सी स्थिति है जिससे पत्रकारों की बहुत शिकायत है। हमारे सूचना मंत्री जी इस बात का पत्रों को उपदेश देते हैं कि उनको एक आब्जेक्टिव तरीके से समाचारों को छापना चाहिये, लेकिन जो प्रश्न इसी सदन में पूछे जाते हैं और जिन में सरकार की स्थिति नाजुक होती है और सरकार का पर्दाफाश होता है उन न्यूज को जहां तक होता है इस विभाग के द्वारा स्वयं सप्रेस किया जाता है और अखबार वालों से न्यूज छिपाई जाती है, समाचारों को दबाया जाता है। यह न तो इस सदन और न जनता या इन पत्रकारों में से किसी के साथ भी न्याय नहीं है। मंत्री जी यह उपदेश नहीं दे सकते जब तक कि वह स्वयं सरकार को और विभाग को इस कमजोरी को दूर न करें।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हिन्दी के पत्रकारों ने भी मुझे बताया कि उनके साथ भी उपेक्षा की नीति बरती जाती है और विभाग अंग्रेजी के पत्रकारों को न्यूज पहले देता है और हिन्दी पत्रकारों को बाद में दी जाती हैं। उनको समय से समाचार बुलेटिन नहीं मिलते। यह उनकी जायज शिकायत है और अनुचित बात है, हिन्दी वालों को पहले मिलना चाहिये या प्रेस रिलीज दोनों को साथ-साथ होना चाहिये। श्रीमन्, हमारी माननीया मुख्य मंत्री ने इस बात की आवश्यकता को समझकर सूचना विभाग की एक शाखा को दिल्ली में रखा। उसमें अधिकारी को पोस्ट किया, लेकिन उसके पास न तो कोई स्टाफ है और न कोई सुविधा है जिससे वह जिस काम के लिये वहां रखा गया है, उसे पूरा कर सके। मेरा सुझाव है कि यदि आपने वहां पर किसी अधिकारी को रखा है और रुपया खर्च किया है तो या तो उसे साधन मिलने चाहिये, स्टाफ मिलना चाहिये, सामग्री उसे उपलब्ध करनी चाहिये नहीं तो दिल्ली से उस सूचना विभाग की शाखा को हटा कर लखनऊ में रखना चाहिये। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वहां पर बेकार में रुपया व्यय करें।

श्रीमन्, सूचना विभाग में जो फिल्में बनायी जाती हैं, उनकी भी एक अजीबोगरीब कहानी है। मैं ही नहीं कहता आडिट रिपोर्ट यह कहती है कि फिल्म विभाग इस सूचना विभाग का एक स्कैन्डल बन गया है। जितनी भी फिल्में इस विभाग द्वारा तैयार करायी गयी हैं, उनमें से ३९ प्रतिशत ऐसी हैं जो अभी तक किसी को भी नहीं दिखायी गयी हैं और स्टाक में कमी हुयी हैं, २१ फीसदी फिल्म ऐसी हैं, जिनका प्रदर्शन केवल एक बार ही किया गया है। तो इस प्रकार से ६० प्रतिशत फिल्मों पर जो व्यय हुआ है वह व्यर्थ हो गया है। उत्तर प्रदेश की आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ १०२ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि "The major part of the Stock is Statio to be imported material" जबकि विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा संकट है तो उत्तर प्रदेश का यह सूचना विभाग बाहर से मंगाये गये सामान पर निर्माण की गयी फिल्मों की यह दशा है तो इससे हमारे देश की और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर गहरी चोट है और मैं समझता हूं कि इसके लिये इस विभाग की पूरी जिम्मेदारी है।

इस विभाग के अन्दर जो फिल्में बनी हैं उनमें से ३६४ ऐसी फिल्में तैयार की गयी हैं जो स्टाक में पड़ी हुयी हैं, जिनको ८ या १० वर्ष पड़े हुये हो गये हैं, लेकिन आज तक उनका कोई उपयोग नहीं किया गया है। तो वे इन्कौम्पिटेन्ट लोग हैं जिन्होंने गलत फिल्में या आपत्तिजनक फिल्में, जैसे उत्तराखंड फिल्म बनाई गई है जिसको उचित नहीं समझा गया है कि उसको जनता को दिखाया जाय और वे सारी की सारी फिल्में बेकार हो गयी हैं।

इसी विभाग द्वारा यह भी हुआ है कि फिल्मों के निर्माण के लिये एडवान्स में रुपया ज्यादा ले लेते हैं और फिर वह रुपया विभाग के पास पड़ा रहता है। इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। पुलिस फिल्म बनाने के लिये फिल्म विभाग ने ४,००० रुपया एडवान्स लिया। उसमें से ३,२२८ रुपया बगैर प्रयोग किये हुये उनके पास पड़ा रहा। ४ हजार रुपये का अनुमान था जिनमें से केवल ७५० के करीब प्रयोग में आया शेष रुपया सम्बन्धित अधिकारी के पास पड़ा रहा।

प्रकाशन की ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। प्रकाशन के लिये नहीं होता है कि कागज की कोई कमी हो या लिखने वालों की कमी हो, लेकिन वह इसलिये होता है कि इनके यहां पर सालों कागज एक प्रेस के पास पड़ा रहा। लोक लेखा समिति के १९६३ के प्रतिवेदन को अगर आप देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि १०० रिम कागज ४ साल तक प्रेस के पास पड़ा रहा। एक बार १०० रिम जो कि ३१० रुपये का था यह राजकीय मुद्रणालय के पास गया जिसका कोई उपयोग नहीं किया गया और जिसके संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिये जब से सूचना विभाग बना है बदकिस्मती इस विभाग की है कि ऐसे लोग इसमें रखे गये हैं जो मिनिस्टरों के फेवरिट्स रहे हैं। एक अनाथालय इसका

बना दिया गया है जिसमें न कोई कानून है, न नियम है कि एक आदमी को क्या काम करना है, क्या उसको पे स्केल होना चाहिये, क्या उसको सुविधा मिलनी चाहिये। एक अराजकता इस विभाग के अन्दर प्रारम्भ से रही है और यही कारण है कि लोग शिकायत करते हैं कि सूचना विभाग ओवर स्टाफ है। ६, ६ असिस्टेंट डायरेक्टर इस विभाग में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने असिस्टेंट डायरेक्टर्स किस काम के लिये हैं।

सूचना विभाग का फोटोग्राफर है और उसके अलावा हर मंत्रालय के पास अपने-अपने फोटोग्राफर हैं। अभी मुरादाबाद में जब पुलिस का फंक्शन था, पुरस्कार का वितरण था सारे समारोहों के ऊपर सूचना विभाग के फोटोग्राफर काम करते हैं, उनके अतिरिक्त संबंधित विभाग के भी फोटोग्राफर हों ऐसे समय में जबकि बचत की सरकार बात करती है, हर विभाग का प्रकाशन भी सूचना विभाग के अतिरिक्त अलग हो, यह उचित नहीं है, इसमें रुपया भी दुगुना खर्च होता है और एक दूसरे के कंट्रेडिक्टरी बातें दी जाती हैं जिनसे भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिये ये बातें बन्द होना चाहिये और सूचना विभाग को ढंग से काम करना चाहिये।

सूचना विभाग के मौजूदा डायरेक्टर अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। कल श्रीमन्, आपने देखा कि खुद दौड़ धूप कर काम कर रहे थे, मेहनती आदमी हैं। लेकिन सूचना विभाग का निदेशक एवं मैनेजर ही केवल नहीं हो सकता। उसका एक ऐप्रोच हो सकता है चीजों को समझने का, एक अन्डरस्टेंडिंग होती है और जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा काम नहीं चल सकता। मौजूदा डायरेक्टर महोदय को उनकी योग्यता के हिसाब से दूसरी जगह लगाया जा सकता है। लेकिन उनके ऊपर ऐसा काम दे देना जिसकी उन्हें कोई जानकारी न हो कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। माननीय मंत्री जी को भी देखना चाहिये यह विभाग हमारी राष्ट्रीय नीति को कहां तक जनता के अन्दर ले जा रहा है, कैसे उन को शिक्षित कर रहा है और इसकी क्या कमजोरियां हैं।

मैंने फोटोग्राफर की बात कही उसका पे स्केल जो वेतन अभिनवीकरण समिति ने रिवाइज किया तथा उसके बाद अनामलीज कमेटी ने जो कार्य किया उसके बाद भी वह अनामली इस विभाग के अन्दर बनी रही। और यह दुर्भाग्य की बात है माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी जैसे आदमी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस विभाग के काम को पूरा नहीं कर पाये। पहले फोटोग्राफर का स्केल २००—३०० रु० तक था। जब पे कमेटी और अनामली कमेटी बनी तो उसका स्केल २०० रु० से घटा कर १८० रु० कर दिया गया और उधर ३८० तक कर दिया गया। आप देखें कि भारत सरकार के फोटोग्राफर का स्केल तो ४०० से ८०० रु० है और जूनियर फोटोग्राफर का स्केल ३५० से ५३० रु० है, लेकिन हमारे यहां के फोटोग्राफर का वेतन-क्रम, जब कि दोनों समान कार्य करते हैं, काफी कम है। आप श्रीमन्, जानते हैं कि फोटोग्राफर को छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, १० मिनट के नोटिस पर बाहर जाने के लिये तैयार होना पड़ता है, लेकिन उसकी इस स्थिति की सराहना नहीं की गई। उसके काम के अनुरूप उसको वेतन नहीं मिलता है जिसका परिणाम यह होता है कि कर्मचारी में मायूसी होती है और मैं समझता हूं कि इस बात को समाप्त करना चाहिये।

पत्रकार हैं इसी विभाग के अन्दर। मैं समझता हूं कि सूचना विभाग से अच्छे और योग्य पत्रकार हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों की नियुक्ति इस विभाग के अन्दर होनी चाहिये। अपने फेवरिस्टस की नियुक्ति गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश के पब्लिसिटी अफसर टु यू० पी० गवर्नमेंट के नाम से १,५०० रु० के वेतन-क्रम में नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि यह काम निदेशक कर सकता है क्योंकि वह स्वयं सरकार की पब्लिसिटी के काम का इन्चार्ज होता है। वह काफी बड़ा अधिकारी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारा वह अधिकारी योग्य नहीं है तो फिर सूचना विभाग के लिये एक निदेशक हों, एक ऐडवाइजर हो, सेक्रेटरी भी हो, मैं समझता हूं कि यह रुपये का अपव्यय है। अगर आप का निदेशक इस योग्यता का नहीं है तो उसको हटाइये और किसी और उचित आदमी को

[श्री चन्द्रजीत यादव]

रखिये। डायरेक्टर को केवल प्रबन्धक के रूप में रखना उचित नहीं है। कुछ हिन्दी समिति की बात है। उसने पिछले दिनों में काम किया। हिन्दी की अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। हिन्दी समिति ने विज्ञान की पुस्तकों को भी प्रकाशित किया, लेकिन ७ लाख पुस्तकें ऐसी छप गयी कि अगर समय-समय पर उनका पुनरीक्षण किया गया होता कि कितनी विक्रय हो सकती है, कितनी नहीं तो बहुत सी पुस्तकों को छापने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें लापरवाही की गयी जिससे अधिक पुस्तकें छप गयीं इस विभाग का संगठन किया जाय। उसके बाद यह प्रस्ताव है कि इसे सूचना विभाग से निकाल कर शिक्षा विभाग से सम्बद्ध कर दिया जाय। जब कोई समिति या विभाग ठीक से काम करने लगता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गलत होगा।

जहां तक विज्ञापन का प्रश्न है, यह विभाग विज्ञापन भी देता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि सरकार अपने कामों का विज्ञापन करे लेकिन सूचना विभाग विज्ञापन देने में पक्षपात की नीति शुरू से अपना रही है। एक उदाहरण मैं दूं कि जो कमीशन बना था भारत सरकार का उसने भी कहा था कि सरकार को विज्ञापन देने की नीति अपनानी चाहिये लेकिन पक्षपात की नीति घातक होगी और इसको छोड़ देना चाहिये। किसी पत्र अथवा पत्रिका का प्रकाशन हुये ६ महीने नहीं हुये हैं तो उसे विज्ञापन नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई समारोह होता है या मिनिस्टर के पास उसकी एप्रोच है तो उस समारोह के उपलक्ष्य में उसने पत्रिका निकाल दी तो उसे विज्ञापन दे दिया गया। मेरे हाथ में सैनिक हितार्थ संघ, लखनऊ का प्रकाशन है। उसको विज्ञापन दिया गया है, लेकिन दिल्ली से निकलने वाले अखबार और पत्रिका पेट्रियाट और लिंक हैं—काफी पापुलर है और दो वर्ष से लगातार इस अखबार के सम्पादक सरकार को लिख रहे हैं, लेकिन आज तक उनको विज्ञापन नहीं दिया गया और जवाब यह जाता है कि आपका पत्र विचाराधीन है। इस तरह की पक्षपात पूर्ण नीति बन्द होनी चाहिये। सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सूचना विभाग को पुनःसंगठित किया जायगा। उसमें राष्ट्रीय नीति को अपनाया जायगा न कि उसे पोलिटिकल एसोइलम या अनाथालय बनाया जायगा। ऐसी नीति रखने से इस विभाग से हमारे प्रदेश को ही नहीं वरन् देश का भी अहित होगा।

(इस समय १२ बजकर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सर्व प्रथम विभाग के कार्यकलाप के महत्व का जिक्र करते हुये बताया कि आज की जनतांत्रिक प्रणाली में किस प्रकार उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जनमानस की प्रगति करने के सम्बन्ध में भी विशेष रूप से उन्होंने सूचना विभाग पर प्रकाश डाला। परन्तु उसके साथ ही साथ जब उन्होंने इस विभाग की आलोचना करनी शुरू की तो वह उन भावनाओं के बिलकुल विपरीत थी जो उन्होंने पहले व्यक्त की थीं। मैं यह समझती हूं कि यह विभाग ऐसा है जिसमें जो कटौती इस वर्ष की गयी है वह बहुत अफसोसनाक है। पिछले करीब ६२ लाख ७५ हजार की रकम इस विभाग में रखी गयी थी और इस वर्ष वह रकम घटा कर ५७ लाख ८२ हजार कर दी गयी है, वह अत्यन्त नुकसानदेह कार्य है। जो उनकी आवश्यकतायें हैं, जो उसकी कुशलता है उस पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। किन्तु अगर हम आंकड़े देखें और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग का छोटे-छोटे अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक अध्ययन करें तो मालूम होगा कि हमारे यहां बजट का काफी कम अंश इस विभाग पर खर्च किया जाता है। मैं ३-४ आंकड़े देकर यह बताऊंगी कि गुजरात जो एक छोटा सा प्रदेश है उसमें सूचना विभाग पर बजट का १३ प्रतिशत खर्च होता है, महाराष्ट्र में २५ प्रतिशत मध्य प्रदेश में १६ प्रतिशत, बिहार में १९ प्रतिशत और हमारे यहां भी १९ प्रतिशत खर्च

होता है। इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में विभाग पर बहुत कम रकम खर्च की जाती है। इस साल और भी कटौती की गई है।

आज मैं जब प्रातः काल सूचना विभाग के बजट का अध्ययन कर रहो थी तो मालूम हुआ कि ऐसी कटौती की गई है जो वांछनीय नहीं है। अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें और सूचना के महत्व को समझें। इसमें करीब ६ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के पदों को समाप्त किया गया है तथा ७४ तहसील सूचना केन्द्रों को विलयन सामुदायिक विकास विभाग के अधीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों से कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हिन्दी की पुस्तकों के प्रकाशन में करीब ६७ हजार रुपया कम किया गया है। अब सवाल यह है कि हमारी जो नीतियां हैं, हम जिस तरह से इस विभाग का काम चलाना चाहते हैं, उनकी जो आवश्यकतायें हैं उनको देखते हुये इस आने वाले वित्तीय वर्ष में इन कटौतियों के करने से इस विभाग के कार्य पर क्या असर पड़ने जा रहा है।

पिछले वर्ष हमने देखा कि जिस समय पाकिस्तान का हमला हुआ था। यह बात सही है कि फौरन ही एक छोटे से विवरण के तौर पर, एक पुस्तिका के रूप में तो नहीं कहा जा सकता लेकिन पैम्फलेट की तरह की एक चीज निकाल दी गई थी और बाद में विस्तृत रूप में हमें पुस्तिका मिल गई। करीब ८–९ फिल्में तो मैंने देखी हैं, उनके द्वारा जो प्रचार कार्य हुआ है वह विशेष रूप से सराहनीय रहा है। मुझे याद है कि इलाहाबाद में जहां कहीं भी हमारी मीटिंग होती थी, इसके अधिकारी हमारे पीछे पड़ते थे कि उन्हें भी सभा में प्रदर्शन करने का मौका दिया जाय। इससे पता चलता है कि वे कितने सजग थे और उत्साह से काम में लगे हुये थे और उसका जनता के दिल और दिमाग पर काफी असर भी पड़ा। हमारी मीटिंग में लोगों को जब मालूम होता था कि सूचना विभाग की फिल्मों का प्रदर्शन होगा तो बहुत से लोग इकट्ठे होते थे और सर्दी के दिनों में काफी रात तक मीटिंग चलने के बाद तक लोग फिल्म देखने के लिये बैठे रहते थे। यह प्रचार का बड़ा अच्छा माध्यम है। इन फिल्मों को दूसरे प्रदेशों में भी भेजा गया और वहां उनकी प्रशंसा की गई है। इस विभाग का महत्व सरकार के लिये बहुत अधिक है इसलिये कि हमारे अधिकांश समाचार पत्र पूंजीवादी लोगों या उन लोगों के हाथ में है जो समाजवाद में विश्वास नहीं करते। इसीलिये वह हमारी नीतियों का इस तरह से अपने पत्रों द्वारा प्रचार नहीं करते हैं। और न उनको वह महत्व देते हैं, न वह प्रकाशन के लिये उन्हें स्थान देना चाहता है, जिस तरह से हमारी सरकार चाहती है। इसलिये भी जरूरी है कि सरकार की उन नीतियों का, सरकार के उन कार्यों को जो कि समाजवाद को और देश को ले जाने वाले हैं, उन सबका प्रचार यह विभाग करे। और इनसे सुन्दर ढंग से करे कि जनता यह समझ सके कि पिछले १७–१८ वर्षों में समाजवाद की ओर देश को एक मोड़ दिया गया है। मुझे इस बात को अवश्य कहना है कि शायद हमने अपने विभाग के द्वारा इस दिशा में उतना कार्य नहीं किया है, इतनी प्रगति नहीं की है, जितनी की अपेक्षित थी। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि आगे आने वाले वर्षों में विभाग इस ओर मोड़ देने के लिये जनता से कहे और जनता में जो हमारी योजनायें हैं, समाजवाद के प्रति जो हम विश्वास रखते हैं, उसके प्रति जनमत पैदा करने के लिये इस विभाग के द्वारा साहित्य पैदा किया जाये जिससे कि यह विचार धारा देश में ज्यादा फैल सके। मैं यह भी चाहूंगी कि जो देश में जनतन्त्र पर कुठाराघात करने के लिये एक हिंसक प्रवृत्ति पैदा की जा रही है, उसके विरुद्ध भी अहिंसक ढंग से विभाग इस बात का जनता में प्रचार करे कि उन भावनाओं से हमारे देश को कोई क्षति न होने पाये। जिससे कि हमारा देश और हमारी जनता खंडित न होने पाये। और वह हमारे सिद्धान्त, जिन पर हमारी सदियों से आस्था रही है टूटने न पावें।

अन्त में मैं दो शब्द हिन्दी समिति के बारे में भी अवश्य कहना चाहती हूं। मैं समझती हूं हिन्दी के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में और उसको उसका समुचित स्थान दिलाने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज उसको जो स्थान मिलना चाहिये वह नहीं मिल सका है और उसका एक बड़ा कारण पुस्तकों की कमी है। आज भी हमारे विश्वविद्यालयों

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं हो पायी है और इसके कारण में यह दलील दी जाती है कि पाठ्य पुस्तकों की हिन्दी भाषा में कमी है। हम अब भी आवश्यक पुस्तकें हिन्दी में नहीं ला पाये हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाने के हमारे पास साधन नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि क्षेत्रों में हिन्दी की पुस्तकों का बहुत बड़ा अभाव है। यह भी सही है कि जो भी प्राइवेट पब्लिशर हैं, वह उन पुस्तकों को नहीं छापते हैं, जिनमें उनको कम मुनाफा मिलने को होता है। अगर सरकार यह समझती है कि हिन्दी समिति पर हिन्दी को स्थापित करने की जिम्मेदारी है तो हिन्दी समिति के अन्तर्गत एक अच्छी खासी धनराशि रखकर सरकार को इस दिशा में एक निश्चित कदम बढ़ाना चाहिये। मैं समझती हूं कि जिस उद्देश्य से हिन्दी समिति की स्थापना हुई है, उसमें अभी खामियां हैं। आज हिन्दी के काफी बड़े बड़े विद्वान पड़े हैं, जिनकी विद्वता का फायदा उठाकर हमारी सरकार हिन्दी का प्रचार करवा सकती है। इसलिये इस प्रकार और इसका अधिक मजबूत संगठन करके, उनकी ओर लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को अधिक से अधिक आकर्षित करके, उनके पास जाकर इस विभाग के द्वारा काम होना चाहिये, जिससे जो पुस्तकों की भारी कमी है, उस दिशा में और अधिक प्रगति हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने सूचना विभाग का बजट पेश करते हुये यह कहा कि चूंकि इस विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिये मैं कुछ अधिक न कहकर आप लोगों को सुनना पसन्द करूंगा। मान्यवर, प्रत्येक प्रजातन्त्र देश के अन्दर सूचना विभाग एक आवश्यक विभाग है, उसके अपने कर्त्तव्य हैं। उसके कर्तव्य हमारे विचार से यह हैं कि वह जनता को बतायें कि सरकार क्या कर रही है और उसकी नीतियां क्या हैं। लेकिन हमारे सूचना विभाग ने पिछले इतने वर्षों में इतना ही किया है कि मिनिस्टर्स साहब की फोटो छाप दें और वह कहां जा रहे हैं, यह छाप दें। मान्यवर, हमारा शिक्षा विभाग योग्य व्यक्तियों का विभाग नहीं है, बल्कि अयोग्य व्यक्तियों का अड्डा है। लोगों को एक तरह से पोलिटिकल पेंशन दी जाती है, उसकी मैं मिसाल दूंगा। अब प्रश्न होता है तो जो हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने दिल्ली में शो स्टेज किया वह क्या था। मान्यवर, दिल्ली में ओडियन में यह शो स्टेज किया गया और पब्लिसिटी यह थी कि ३५ मिलीमीटर की फिल्म दिखलायेंगे। ३५ मिलीमीटर से बड़ी फिल्म होती नहीं। फिल्म दिखाने कितने लोग गये, वह सुनिये। सेक्रेटरी गये, डाइरेक्टर साहब गये, असिस्टेंट डाइरेक्टर्स गये, इन्फार्मेशन आफिसर्स गये, फोटो फिल्म असिस्टेन्ट्स गये, १० असिस्टेन्ट्स गये, चपरासी गये मोटर से और सब गाड़ी से गये। ओडियन सिनेमा के अन्दर शो हुआ, काफी पिलाई गई, चाय पिलाई गई, सब कुछ हुआ लेकिन पब्लिसिटी का क्या रिटर्न मिला? दिल्ली में पेपर्स में यह निकला "Show was staged in Odeony the information deptt of. U. P. Govt." दिखाने से क्या फायदा हुआ? मान्यवर, आपने बड़ी तोप चला दी लेकिन जब हमारे काम की पब्लिसिटी नहीं मिलती तो क्या फायदा? यह तो बिलकुल विभाग ऐसा है जैसा पिछले जमाने में राजा महराजा ऐसे लोगों को रखते थे जो जी हुजूरी करते थे और चाहते थे कि वह सबेर उठ और कहें कि चांद निकला हुआ है और सूरज को देखकर भी वह कहें हां हुजूर चांद ही तो है। हमारी मुख्य मंत्रीजी और डिप्टी मिनिस्टर भी इसी तरह से ऐसे लोगों को इन्फार्मेशन विभाग में रखते हैं कि जो दिन में कहें कि रात है तो वह कहें कि हां हुजूर रात है। तो यह जो हुजूरों का अड्डा है। अब यह देखिये कि जिस तरह से इस विभाग में फेवरिटिज्म होता है उसका मैं नाम न लेकर मिसाल देता हूं। मान्यवर, एक ऐप्वाइंट फिल्म आफिसर नम्बर टू का होता है। उनका स्केल क्या है? १२०० रुपये और एवज में काम क्या है, वह तो भगवना जाने, लेकिन उनके टी० ए० बिल्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे पास हैं जो पे से ज्यादा हैं। उन्होंने ११-१२-६४ से ३-१-६६ तक ४,१८८ रुपये ८८ पैसे का टी० ए० ड्रा कर लिया जो उनकी पे से ज्यादा है। यह किस नियम के अनुसार हुआ इसकी जानकारी तो मंत्री जी ही बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन ग्रेजुयेट थी और जिन सज्जन का ऐप्वाइंटमेंट हुआ है वह ग्रेजुयेट नहीं हैं इसलिये उनको कमीशन के सामने कैसे भेजा जाय। अब जब यह समस्या आये तो सारी समस्याओं का हल तो मंत्री जी के पास ही है? तब क्या किया गया? उनका ऐप्वाइंटमेंट कर दिया गया और क्वालिफिकेशन घटाकर हाईस्कूल कर दी गयी।

आपके असिस्टेन्ट फोटोग्राफर के ऐप्वाइंटमेंट को पी० एस० सी० ने रिजेक्ट कर दिया। वह रिजेक्ट हो गये, लेकिन वह अब भी चल रहे हैं। वे क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन मंत्री जी ने उनको क्वालिफाइड समझा इस लिये वे रहेंगे। यह तो माकरी डिपार्टमेंट की है और इस तरह से अवहेलना करते हैं उनकी, जिनकी नहीं करनी चाहिये।

दिल्ली में जो फिल्म दिखलाई गई उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी गाथा गायी है। लेकिन वह फिल्म मिनिस्ट्री आफ इंडिया द्वारा निकली थी और उसका रिप्रोडक्शन हमारे इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था। तो आपने कौन सा तीर मार दिया उसमें?

इसके अतिरिक्त आपके इन्फार्मेशन आफिसर्स, जिले-जिले में रहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि इन इन्फार्मेशन आफिसर्स के पास कोई इन्फार्मेशन नहीं रहती। इनके पास जीप है, सब कुछ है, लेकिन जब कभी पूछिये उनके पास किसी बात की इन्फार्मेशन नहीं है। मैं अपने जिले सीतापुर की कहता हूं। जब कभी मैंने उनसे कोई सूचना मांगी, वह मुझे नहीं मिली। उनको यह पता जरूर रहता है कि कौन मिनिस्टर साहब कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। क्योंकि उनका यही काम है। जैसा माननीय यादव जी ने कहा, उनका एक पब्लिसिटी अफसर रहता है दिल्ली में उस का क्या फंक्शन है? यह तो हम और आप जानते ही हैं कि दिल्ली में हमारे प्रदेश की क्या पब्लिसिटी है और यू० पी० के बारे में उन की क्या ओपीनियन है? उनके पास एक बजट होता है चीफ सेक्रेटरी का स्पेशल बजट। उन का वहां एक ही काम है कि शाम को वह किसी न किसी सेक्रेटरी को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अशोका होटल में खाना खिलाने के लिये। यही उनकी पब्लिसिटी होती है। उनका बजट सारा का सारा अनएकाउन्टेड फार होता नहीं है लेकिन उनका काम यही है। लेकिन अभी तक उन से नहीं पूछा गया कि वे उस बजट का क्या करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने टाक आफ दि टाउन में एक बात पढ़ी थी जिसमें एक एलीगेशन लगाया गया था कि एक असिस्टेन्ट साहब अपने लड़के की शादी में सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे थे। बात करने पर पता लगा कि डाइरेक्टर साहब ने उनको उस के लिये अथराइज किया था। पता नहीं कैसे उन्होंने अथराइज किया? इसके अलावा अगर किसी दिन सुबह आप स्टेशन पर चले जायं तो वहां आय को इंफामशन डिपार्टमेंट की गाड़ी जरूर दिखायी दे जायगी किसी न किसी अफसर को रिसीव करने के लिये। उसका काम ही यही है।

इसके बाद मंत्री जी देखें कि डाइरेक्टर आफ इंफार्मेशन की गाड़ी का पेट्रोल का बिल कितना है। दूसरे विभाग भी हैं, उनमें भी खर्च होता है। इसके अलावा आपने सिटी रनिंग के लिये उनको तमाम फैसिलिटीज दे रखी हैं। यह विभाग चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पैम्फलेट तब निकालता है जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है। यह स्थिति है इस विभाग की। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह एक ऐसी कमेटी बिठायें कि जो इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के कामों को इवैलयूवेट करे और देखे कि उस ने पिछले १६ सालों में कितना काम किया है। उसके बाद भी यदि मंत्री जी इसको रखना चाहें तो रखें। इसके अलावा हमको यह भी सोचना चाहिये कि इस सूचना विभाग की उपयोगिता क्या है। केवल कैलेंडर या डायरी अगर आप २३ मार्च को बटवा दें तो यह एफीशियेंसी हम को नहीं चाहिये। अगर यही काम इस से कराना है तो कोई दूसरी एजेंसी इस काम को कर सकती है।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मान्यवर, प्रदेश में यदि सूचना विभाग की कार्यवाहियों को देखा जाय तो उस की सराहना किये बिना नहीं रहा जाता। संकट कालीन स्थिति जब देश में भयावह हो रही थी, उस समय इस विभाग ने काफी काम किया। जनसाधारण को इस ने सम्हाला और बिना पढ़े लिखे आदमी को भी परिस्थिति से इस ने अवगत कराया और प्रति दिन के हालात शहरों और गांवों तक यह विभाग पहुंचाता रहा।

मान्यवर, इसमें जो विशेष काम हुये थे ५ कवाल टाउन्स में और बड़े बड़े शहरों में उनको अगर आप देखें और इस विभाग की रिपोर्ट को यदि आप देखें तो यह भी पता चलेगा कि देहातों के अन्दर भी इन्तजाम किया गया था। इस काम के लिये विशेषकर मैं इस विभाग को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा मान्यवर, जो हमारी योजनायें चल रहीं हैं उन योजनाओं का सही ज्ञान किस तरह से सारी जनता तक पहुंचाया गया यह सभी काम इस विभाग ने किया है। हमारे यहां जो फैमिली प्लानिंग की योजना चल रही है, उसका भी इस विभाग ने काफी प्रचार किया है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम किन-किन चीजों की ओर प्रयास कर रहे हैं इस सब को जनता तक इस विभाग ने पहुंचाया है और इस दिशा में यह विभाग बहुत सफल हुआ है। मान्यवर, मुझे सब से बड़ी शिकायत यह है कि जो इसमें कटौती की गई है, जो मंत्री जी ने इसके अन्दर रुपया कम किया है वह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें रुपया और बढ़ाना चाहिये। इसके अन्दर कटौती नहीं करनी चाहिये। जब हमारे प्रदेश में लिटरेसी है तो प्रचार के लिये इसमें रुपया अधिक होना चाहिये और प्रचार का साधन अधिक उपलब्ध होना चाहिये जिससे जानकारी विशेष की व्यवस्था हो सके। हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन भी इसने बहुत किया है। लगभग ३००, ४०० पुस्तकों का इस विभाग ने प्रकाशन किया है। जिले के स्तर पर जो सूचना केन्द्र है और सूचना अधिकारी हैं उनसे भी बहुत सहायता मिलती है। कुछ लोगों ने कहा कि इनको कुछ काम नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग इसमें रुचि लेते हैं उनसे मालूम करके वह कार्यक्रम बनाते हैं।

मैं अपने जिले के बारे में बतलाऊं कि वहां पर दुद्धि ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर हरएक आदमी जा नहीं पाता है। हमारे यहां सचना अधिकारी कभी कभी हमसे टाइम मांगते हैं तो हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, इस तरह से बहुत सी मुश्किलें होती हैं, किन्तु वहां पहुंचकर हमारा सूचना विभाग सही बातों का प्रचार करता है और जनता को बहुत सी बातों का ज्ञान कराता है। हमारे देश में हमारी योजनायें किस तरह से काम कर रही हैं इसके विषय में जो साहित्य उपलब्ध होता है तो उनके विषय में बहुत सी नई जानकारी प्राप्त होती है। यह सब किस विभाग की देन है? यह सूचना विभाग की ही देन है। आज हमारी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप में प्रवेश कर रही है तो उस दिशा में इस विभाग के प्रचार साहित्य को आप देखें, उसके प्रयत्नों को देखें तो आप उसकी सराहना किये बिना नहीं रह सकते।

जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रचार करने में इस विभाग ने उन्नति की है वह भी अपना अस्तित्व रखती है। कभी हमारे यहां दूधी क्षेत्र के आदिवासी लोगों को भी यहां पर बुलाया जाता है और उनके कर्मा डान्स को देखने का जनता को अवसर मिलता है। वह आदिवासी लोग भी समझने लगे हैं कि उनका भी प्रदेश में अस्तित्व है। २६ जनवरी को उनको कर्मा डान्स दिखाने के लिये बुलाया गया तो उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला। वह समझने लगे हैं कि हम पिछड़े हुये नहीं हैं, उनको गौरव प्राप्त होता है। वह भी समझते हैं कि हमारा भी प्रदेश के अन्दर स्थान है। पहले वह मैनेजर सिंह जी जैसे व्यक्ति को देखकर डरकर भाग जाते थे लेकिन उन लोगों को बढ़ावा देने के लिये जो इस विभाग ने काम किया है उसके लिये मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं। यहां पर आये दिन जो हमको कार्यक्रम देखने का अवसर मिलता है उससे हम समझते हैं कि किस तरह से यह विभाग उन्नति और विकास कर रहा है।

अभी चन्द्रजीत जी यादव कह रहे थे कि अमुक पेपर में उसका प्रकाशन हुआ है और अमुक में नहीं हुआ है। उस संबंध में मैं आपको बतलाऊं कि उसका भी एक स्टैन्डर्ड है और उस स्टैन्डर्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुसार जो नोट मिला है तो पता चल जायगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके अनुसार हमारा विभाग किसी पत्र में अपना प्रकाशन देता है और उसके अनुरूप लाभ उनको पहुंचता है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके काम की सराहना तो हमारे चन्द्रजीत यादव जी ने की। इस तरह से हमारी योजनाओं का बहुमुखी प्रचार यह विभाग कर रहा है, इसको देखते हुये जो कटौती इसमें की । रही है वह न होकर के इसमें और बढ़ोत्तरी की जाय।

इन चन्द शब्दों के साथ क्योंकि इसकी प्रशंसा के अलावा और कुछ कहना नहीं है, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता था कि यह सूचना विभाग जन-शिक्षा, जन संपर्क और जन चेतना का एक साधन है और राज्य के द्वारा सम्पादित कार्यों को जनता को अवगत कराने का एक माध्यम है। लेकिन आज यह विभाग न केवल हमारे माननीय मंत्रियों का ही प्रचारवाहक बन कर रह गया है बल्कि अधिकारियों और अपने विभाग की विकास का नमूना पेश करने लगा है, यह इस विभाग ने तरक्की की है। बहुत सी बातें चन्द्रजीत जी ने कहीं। एक बात की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज इस भाग को अच्छे कार्यों में रत होना चाहिये था। लेकिन मंत्री जी के पास ही चिराग के नीचे बड़ा अंधेरा आप ताज्जुब करेंगे कि सूचना विभाग में संदिग्ध चरित्र वाली दो लड़कियों को नौकर रखा गया ३, ३ रुपये राज पर। वह इसलिये कि पुराना काम करना बाकी था। उसे ही कराना था। कितना काम बढ़ गया इस विभाग का जो यह लड़कियां पूरा करेंगी? यह एक नया तरीका रोमांस का निकालना शुरू किया गया है। इस भ्रष्टाचार को मंत्री जी जरूर रोकें। प्रेस एडवाइजर की नियुक्ति के संबंध में एक बात कही गयी। प्रेस तो आज देश का सजग प्रहरी है। उन सबके साथ एक-सा व्यवहार विभाग का होना चाहिये, लेकिन उनको डिमोरेलाइज करने के लिये, उनमें फूट डालने के लिये और लालच देने के लिये एक पत्रकार को बगैर किसी एडवर्टिजमेंट के, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की मान्यता प्राप्त किये ही १,५०० रुपये पर नौकर रख लिया। माननीय चन्द्रजीत जी ने भी इसका जिक्र किया था। अभी इसके अन्दर और क्या बात बाकी है वह मैं स्पष्ट कर दूं।

विभाग की ओर से अभी छोटी सी पुस्तिका निकली है जिससे विभाग में बड़ा भारी काम होता यह है कि इस वर्ष अधिक बचत की जाय लेकिन स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के संबंध में छोटी सी पम्फलेट लिखने के लिए ५०० रुपये दिये गये और उसी पत्रकार को "दीन की छांव" नामक एक दूसरे पेम्फलैट के लिए ८०० रुपये दिये गये यह कमी करने का सिद्धान्त है। अभी और आपको बताऊं कि १ लाख रुपये के कैलेंडर छपे थे जिनके प्रकाशन में विभाग की साठ-गांठ रहती है और लाखों रुपये का कमीशन मिलता है। यह वाराणसी और लखनऊ में छपे यह इस विभाग की कार्य-कुशलता और कार्यकलाप हैं उपरोक्त कलेन्डर।

एक बात प्रेस मान्यता समिति के बारे में कहना चाहता हूं। आज सरकार बड़ी सतर्क है, जो लोग एंटी-नैशनल हैं उनके प्रति और छोटे छोटे कम्युनिस्ट लोगों के गिरफ्तार करने में और जेल में डालने में यह सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन इस समिति के अध्यक्ष महोदय कौन हैं? वह कम्युनिस्ट तथा एन्टी-नेशनल हैं और उन्हीं को अध्यक्ष बनाया है, वह स्टेट डिफेंस कमेटी के सदस्य भी हैं, जर्नलिस्ट्स रेप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से। सरकार को यह भी मालूम है कि वह उस पद को छोड़ कर अभी 'रसियन न्यूज एजेन्सी' टास में जाने वाले हैं। क्या ऐसे आदमियों को सरकार कैसे बरदाश्त कर रही है। प्रकाशन का जहां तक संबंध है, सरकार के पास अपना प्रेस है, कोई आवश्यकता नहीं है कि दूसरी एजेंसी से दूना पैसा देकर अपना कार्य कराया जाय और पुस्तकों के प्रकाशन तो प्रकाशकों से लम्बी रिश्वत लेते हैं विशेष कर 'भार्गव प्रेस वाराणसी' तथा 'लारी कम्पनी, लखनऊ' से कलेन्डरों की छपाई का मैंने ही जिक्र किया कि गतवर्ष सूचना विभाग ने १ लाख रु० के केवल कलेन्डर छपवाये थे।

[श्री विजयसिंह]

एक बात और बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सूचना शिविर कुम्भ मेले में एक मुसलमान अधिकारी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, ऐसे कार्यों के प्रति सरकार को तुरन्त सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। आज भ्रष्ट आदमियों को निकालने की जरूरत है या उनकी रक्षा करने की जरूरत है? सूचना विभाग के दो अफसरों ने उसे बचाने का पूरा प्रयत्न किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिये थोड़ा सा इशारा कर दिया है।

मान्यवर, इस विभाग का विज्ञापन देने का तरीका भी बड़ा गलत है। जो पत्र इनकी गलत नीतियों का भी समर्थन करते हैं उनको विज्ञापन मिलते हैं, जो सही बात को लिखते हैं, सरकार की आलोचना भी कर दिया करते हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिलते। मैं लिंक और बिलिट्ज की बात नहीं करता जैसे माननीय यादव जी ने कहा मगर पांचजन्य, आज और हैराल्ड ऐसे पेपर हैं जिनका सर्कूलेशन काफी होते हुये भी इनको विज्ञापन इसलिये नहीं मिलता कि ये सरकार की कभी-कभी आलोचना भी कर दिया करते हैं। मान्यवर, पत्रकारों का सरकार के साथ चोली दामन का संबंध है। अगर इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जायेगा तो देश जीवित नहीं रह सकता। एक पुस्तिका इस लिफाफे में बटी है "आप ही बचायेंगे तो देश बचेगा" वह अच्छी पुस्तक है। मान्यवर, यह आपको इशारा है कि यदि आप ही इस देश को बचायेंगे तो बचेगा अन्यथा सरकार इसे डुबाने में लगी हुई है।" कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, इस विभाग की बहुत सी प्रांगण भूमि पर आलू बोया गया। पर वह आलू कहां गया, इसका कोई पता नहीं कहां गया। इसके अलावा और भी जो १ घरों में आराम का सामान होता है, कालीन, पंखा, रेफ्रीजरेटर है, ट्रान्सिस्टर्स सेट हैं, रेडियो हैं, या इस तरह की और जो चीजें हैं वह आफिसरों के घर काम में लाई रहती हैं। उनकी मोटरों में सरकारी रेडियो लगा है। अगर इस विभाग की खराबियों को माननीय मंत्री जी ने दूर नहीं किया तो इससे प्रदेश का बड़ा अहित होगा।

मान्यवर, इस प्रदेश में हिन्दी और अंग्रेजी पत्रकारों के साथ एक सा बर्ताव नहीं किया जाता। यद्यपि इस विभाग में हिन्दी प्रारम्भ से ही आरम्भ हो गयी, परन्तु इस विभाग में हिन्दी का एक नमूना अभी आपके सामने आया था कि एक फार्म हिन्दी में भरा गया उसका अंग्रेजी में उत्तर दिया गया। इस विभाग का बुलेटिन हिन्दी पत्रकारों को शाम को ७ बजे दिया जाता है जब कि वही बुलेटिन अंग्रेजी पत्रकारों को दिन में २ बजे ही दे दिया जाता है। ऐसा क्यों है? दोनों को एक साथ ही सभी बुलेटिन मिलना चाहिये।

श्रीमन्, इस विभाग द्वारा कठपुतली का खेल दिखा कर सरकार की नीतियों का संचार किया जाता है....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आप लोग कहें तो उसे बन्द कर दें।

श्री विजयसिंह--

मैं यह नहीं कहता कि सरकार बच्चों की तरह प्रदेश के लोगों को बहलाती है पर अनर्थ का व्यय करती है वह बहुत पुराना हो गया है। आप (सरकार) हम लोगों को जो यह मौका रवीन्द्रालय में कभी कभी देते हैं कि दिन भर यहां काम करने के बाद रात को पायल की झंकार सुनने का अवसर मिल जाता है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है भविष्य में भी वे ऐसा अवसर देते रहेंगे।

मैं, मान्यवर, मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इस विभाग की खराबियों को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया तो प्रदेश का भला नहीं होगा। आपकी सरकार एक नयी यूनिट फिल्म तैयार करने के लिये बनाने जा रही है। मैं समझता हूं इससे जो बची बचाई बदनामी रह गयी है वह भी आपके सर आ जायेगी।

व्यय में बचत करने के तरीकों के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं आपने जो प्रेस मान्यता समिति बनायी है वह कैसे बचत करती है उसके संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं। उसमें जो पत्रकार रखे गये हैं वे सभी लखनऊ के ही ज्यादातर रहने वाले हैं। मगर उसकी मीटिंग वाराणसी में होती है। उसके साथ कितने ही स्टाफ के लोग जाते हैं। कितना खर्चा इसमें होता है। जब हम लोग अपनी मीटिंग कहीं बाहर करना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं बड़ा खर्चा होगा। इस समिति की मीटिंग में बनारस ४ अफसर, ४ स्टेनो, ४ अपर डिवीजन क्लर्क तथा ३ चपरासी—इस प्रकार १५ आदमी गये जबकि वहां का स्टाफ वहीं मौजूद था। यह आलोचनात्मक व्यय है। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। जब अधिकांश लोग लखनऊ के ही उसमें मेम्बर हैं, तो उसकी मीटिंग यहीं पर होनी चाहिये थी। मान्यवर, जो पुराने पत्रकार रहे हैं और दलबंदी के कारण उन्हें उपेक्षित किया जाता है और नये २ लोगों को जो सरकार की हां में हां मिलाते हैं, उनको मान्यता दी जाती है। पर योग्य व अच्छे लोगों को बार-बार कहने के बावजूद भी उनको आज तक मान्यता नहीं मिल पाई है। मैं उनका नाम देना चाहता था, वे पुराने पत्रकार हैं। माननीय मंत्री जी भी समझ गये होंगे श्री सतेन्द्र शुक्ल जी हैं वे। मेरा कहना यह है कि जहां नये नये लोगों को मान्यता दी जाती है वहां उनको भी मान्यता दीजिये। आप अपने बजट से कुछ पत्रों को सहायता देते हैं पर वह आपने बन्द कर दी है, जहां खर्चे की जरूरत वहीं बचत हो। वे आपकी आवाज को औरों तक पहुंचाते हैं। जहां पर बच्चों की अच्छी रैपुटेशन है उन पत्रों को सहायता मिलनी चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में माननीय यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ए० सी० ग्रा स (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इन्फार्मेशन विभाग पर। मुझे अफसोस है कि चन्द्रजीत जी यादव इतने रीजनेबुल आदमी हैं फिर भी उन्होंने इस छोटे विभाग को क्रिटिसाइज किया। हमारा खयाल है कि अगर उनसे बाहर पूछा जाय तो वे जरूर उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। यह छोटा सा विभाग है और इसमें गिने गिनाये आदमी हैं। खर्चा भी इसका ५७.८२ लाख है। इसमें फिल्म्स हैं, इन्फार्मेशन है, पेपर्स हैं सब चीजें हैं। इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसका मुझे अफसोस है। वह जानते हैं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का जो झगड़ा हुआ था वह इन्फार्मेशन सात लाख विलजेज में कैसे गई। वहां सनसनी हो जाती परन्तु वहां सबको इन्फार्मेशन मिल गई। किसी को यह नहीं हुआ कि क्या हुआ। लोग गये उनको बताने के लिये यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट जो है यह सब जगह इन्फार्मेशन देता है। अखबार खरीदने के लिये सबके पास पैसा नहीं है। इन लोगों ने रेडियो लगाये। दूर जाने की जरूरत नहीं हजरतगंज में लगाया, मेरे कानपुर में लगाया, मेरठ, दिल्ली, आगरा, झांसी, कानपुर, बरेली और देहरादून में लगाया। मैंने बहुत काम देखा और मैं सच्चा इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने कस कर काम किया। मेरा इस विभाग के बारे में बोलने का इरादा नहीं था पर चन्द्रजीत यादव, जो एक रीजनेबुल आदमी हैं, की बात सुनकर बोलना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि वे इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस कर लेंगे। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। मुमकिन है कि वे जानते नहीं हैं कि फिल्म्स कैसे होती हैं। बचपन में फिल्म इन्डस्ट्री से हमारा संबंध रहा है। वे जानते हैं कि पार्टीशन से पहले के दिनों में हम एंग्लो-इन्डियन्स सिनेमा बहुत चलाते थे। यह फिल्म इन्डस्ट्री ऐसी है कि जहां आपको स्टाफ रखना पड़ता है इन्फार्मेशन के लिए खासकर। आप सोचेंगे कि इन्फार्मेशन को जो जरूरत है, जो आईडियाज हैं—कम्युनिकेटिंग डैट मैनाट बि रिक्वायर्ड, यह चीज जो उन्होंने कह दी है, बहुत-सी यूज कर रहे हैं। जो फिल्म खरीदी गई थीं वे लो प्राइस की थीं वही फिल्म फिर खरीदना चाहें तो फारेन एक्सचेन्ज ट्रैन्टी टाईम्स हो। तो इसके लिये उनको बधाई देते न कि बदनाम करना चाहिये। जहां तक इनफारमेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा हिन्दी पब्लिकेशन की बात है, वह तो ठीक है लेकिन अंग्रेजी के जो

[श्री ए० सी० ग्राइस]

पब्लिकेशंस हैं जो इनफारमेशन डिपार्टमेन्ट से निकलते हैं वे सब हमारे एंग्लो इंडियन स्कूल्स में जाते हैं। उनका एक बुकलेट जो वहां जाता है वह हमारे यहां के स्कूलों में टेक्स्ट बुक की तरह से यूज होता है। हमारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी अंग्रेजी पब्लिकेशंस को न हटावें। अगर वे उन स्कूलों से पता लगावें तो उन को पता लग जायगा कि वे उत्तर प्रदेश को कितना एप्रिशिएट करते हैं। उस बुकलेट में फर्स्ट क्लास इन्फारमेशंस हैं।

दूसरी बात यह कि डेमोक्रेटिक सेटअप में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात कही जाती है और शायद आपको इसमें पोलिटिकल बात दिखलायी पड़ती है लेकिन यह काम जो इनफारमेशन डिपार्टमेंट करता है वह नान पार्टी बेसिस पर ही करता है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अगर हमारे विरोधी दल के सदस्य सचमुच अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें तो पायेंगे कि इसमें कांग्रेस की कोई बात नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय चन्द्रजीत जी अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें। जो ग्रांट घटाया गया है, उसको घटाया नहीं जाना चाहिये। वह इस डिपार्टमेन्ट के लिये बहुत जरूरी है। इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट तो शिक्षा देने का काम करता है। अगर इनफार्मेशन जनता के पास न जाय तो वह बिलकुल इलिटरेट रह सकता है। यह सेकेंड लाइन आफ डिफेंस है शिक्षा का।

आडोविजुअल शिक्षा इंगलैंड और अमेरिका के स्कूलों में दी जाती है। इसकी यहां पर भी बहुत सख्त जरूरत है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आडोविजुआल एजुकेशन के लिये सरकार और ग्रांट बढ़ावे, कोने-कोने में जैसे स्कूल्स हैं, वैसे ही इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट इसके लिये सोचे। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस ग्रांट का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी इस बजट अनुदान के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता था लेकिन हमारे माननीय मित्र ग्राइस साहब ने जो तकरीर की, उससे मैंने सोचा कि उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की जाय। माननीय ग्राइस साहब शहर में रहते हैं। लखनऊ और कानपुर के शहरी क्षेत्र में सूचना विभाग के कार्यकलाप उनको देखने को मिलते होंगे, शायद यही आधार है जो उन्होंने इस विभाग की आवश्यकता के ऊपर बल दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सूचना विभाग एक व्यर्थ का विभाग है और इस विभाग को सरकार के कटौती के प्रस्ताव में सर्वप्रथम ही कट जाना चाहिये। इस विभाग के कार्यकलापों को देखा जाय तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने वर्षों के अपने कार्यकाल में इस विभाग के अधिकारी आज तक प्रदेश के तमाम गांवों में नहीं पहुंच सके हैं। आज भी हमारे जिले का जो देहाती क्षेत्र है, उनमें अनेक गांव हैं और मैं समझता हूं कि प्रत्येक जिले के आधे से अधिक गांव ऐसे होंगे जहां सूचना विभाग का कोई कार्य क्रम कभी हुआ ही न होगा। ऐसे विभाग को जो जनता की बात सरकार तक न पहुंचाता हो और सरकार की बात जनता तक न पहुंचाता हो, यहां में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी पुनः विचार करें और इस विभाग को कटौती की प्रथम किस्त में ले लें।

जहां तक नृत्य और कला का संबंध है, उसके लिये सरकार की एक मंडली बन जाय और किसी कलाकार को आप उसका डाइरेक्टर बनावें। यदि इसमें और बचत करना चाहें तो हमारे विरोध पक्ष के हमारे मित्र कुंवर श्रीपालसिंह जी को अवैतनिक डाइरेक्टर के लिये मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। यह आपका निर्देशन करेंगे। वशिष्ठ जी हमारे संयोगिता दल के पुराने कैप्टेन हैं, वह भी मेरी बात से सहमत होंगे।

इसके द्वारा प्रकाशन और प्रचार में बहुत पैसा बरबाद हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी के सामने इसी पैम्फलेट को रखना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है कि गरीब जनता का

पैसा ऐसी रंगीन छपाई पर खर्च किया जाय ? हमारे प्रदेश में जब विकास कार्यों के लिये और सामाजिक सेवाओं के लिये पैसा कम है तो इस प्रकार का अपव्यय करना उचित नहीं है। देवरिया बहुत गरीब जिला है और उसका चर्चा हमारे माननीय नेता गेंदा सिंह जी जो अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं भी करते रहते हैं गुबराहा और चोटा खाने को। वहां गरीबों के कारण लड़कियों का व्यापार होता है। यह गरीबी है वहां की। कृष्णानन्दराय जी नहीं हैं, उनसे आप अकेले में पूछ सकते हैं। तो गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा आप अपव्यय न करें।

इस विभाग में एक हिन्दी समिति है। उसे आप इस विभाग से अलग कर दें। उसके कार्य को बढ़ावें। जब तक आप हिन्दी को उचित प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती है। मुझे दुख है कि आज भी इस हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त में हिन्दी को उचित स्थान नहीं मिल रहा है और अंग्रेजियत में पले हुए अधिकारी हिन्दी को उपेक्षा कर रहे हैं। हिन्दी के प्रचार में जितना भी अधिक व्यय हो सके वह करना चाहिये। अभी तक जो कुछ हिन्दी समिति ने किया है उस पर हमें संतोष है और हम चाहते हैं कि उसमें आप काफी धन दें।

इस विभाग के मुख्यालय में, उसके एक हिस्से में, आपने सिविल अस्पताल को स्थानान्तरित किया है। सूचना विभाग का आप पूरा भवन चिकित्सालय को दे दें और जिस पुराने भवन में अस्पताल चल रहा था, जहां उसका कुछ हिस्सा अब भी है, उसमें सूचना निदेशालय को ले आइये। माननीय उप मंत्री जी, आप इस विभाग को तड़क-भड़क से अलग कर दें। यह बहुत उपकार का कार्य होगा। यदि आपके विभाग के अधिकारी इसमें कुछ अड़ंगा लगावें तो आप उन्हें समझा बुझा कर राजी कर लें।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर बोलने का मैं कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन माननीय मैनेजरसिंह की बातों से मुझे कुछ निवेदन करने की प्रेरणा मिली।

मान्यवर, इस बात में दो राय हो सकती हैं कि सूचना विभाग के कार्यकलापों में कुछ और उन्नति हो सकती थी या कुछ और होनी चाहिये, लेकिन इस बात में दो राय की गुंजाइश नहीं है कि एक वैलफेयर स्टेट में सूचना विभाग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मैनेजरसिंह जी से यह सुनकर कि बचत के लिये सूचना विभाग का सबसे पहले समाप्त किया जाय के लिये बाध्य हुए कि हिन्दी समिति जो सूचना विभाग के तत्वावधान में काम कर रही है उसने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है और उसकी आवश्यकता है। तो एक विभाग को खत्म करके उसके अन्तर्गत जो कार्य हो रहा है उसे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, यह मैं नहीं समझ सका। मेरी निश्चित धारणा है कि हमारी वेलफेयर स्टेट में सूचना विभाग की बहुत आवश्यकता है। सूचना विभाग को सजग और सक्रिय रहना चाहिये, इसलिए कि किसी भी एमर्जेंसी में हम इस विभाग की ओर दे सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछली एमर्जेंसी के अवसर पर देखा। वेलफेयर स्टेट की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम सूचना विभाग ही होता है। मैनेजरसिंह जी को आपत्ति है कि कठपुतलियों का प्रयोग करके नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिये किया जाता है। यदि वह खूबसूरती की हर चीज को बुरा कहने के लिये कटिबद्ध हो गये हों तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता तक पहुंचाने के माध्यम तो चल-चित्र, लोक गीत हो सकते हैं और नृत्य और कठपुतलियां भी हो सकती हैं। किसी माध्यम विशेष में कोई बुराई है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन हमारा कसौटी यह होना चाहिये कि जो हमारे सोशलिस्टिक स्टेट का आबजेक्टिव है, उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सूचना विभाग सफल हो रहा है या नहीं। हमेशा इस माप-दंड से इस विभाग के कार्य-कलापों को जांचना चाहिये। पाकिस्तान के हमले से उत्पन्न परिस्थिति में सूचना विभाग ने बड़ा सक्रिय कार्य किया और अगर ऐसे सक्रिय सूचना विभाग की शाखायें हमारे प्रदेश में न होतीं तो कदाचित् हम एक ऐसी कमी का अनुभव करते जिसकी पूर्ति उस समय नहीं हो सकती थी।

मैं माननीय मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे बरेली नगर में सूचना विभाग के अन्तर्गत एक ऐसा यूनिट हमने लगाया कि शहर के किसी केन्द्रीय स्थान से हम सारे शहर को किसी खबर से फोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मुख्य जगहों पर उसके केन्द्र हैं और मुख्य केन्द्र से उसे फेड करते हैं। एमर्जेन्सी के अवसर पर ऐसे यूनिट बड़े लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। हमने तो वह स्थानीय निकाय की सहायता से सूचना विभाग के तत्वावधान में लगाया और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी वह लगाया जा सकता है।

एक बात विशेषतया कहना चाहता हूं। मुझे इस लिटरेचर के देखने से यह मालूम हुआ कि आपका कुछ ऐसा इरादा है कि सूचना विभाग के ७०, ७२ केन्द्र आप कम करने जा रहे हैं जो तहसील हेडक्वार्टर्स पर हैं मैं इनका विरोध करता हूं, इसलिये कि अगर आप वेलफेयर स्टेट की नीतियों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उस हालत में ऐसा करना सही नहीं हो सकता और गांवों में बंद करना तो और भी खराब होगा। मैं शहरों का प्रतिनिधि हूं, लेकिन गांवों के मुकाबले में कभी भी शहर को प्रदेश का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि शहरों में सूचना केन्द्र न हों, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप शहरों के केन्द्रों को तोड़ देंगे इतना बुरा न होगा जितना कि गांवों के केन्द्रों को तोड़ना। शहरों के केन्द्र भी आवश्यक हैं, लेकिन उनसे भी अधिक आवश्यक गांवों के केन्द्र हैं। माननीय मंत्रीजी प्रकाश डालें कि कौन से सूचना केन्द्र तोड़े जा रहे हैं और अगर सूचना केन्द्र तोड़े जा रहे हैं तो उनकी पूर्ति प्रचार के मार्ग में किस प्रकार की जायगी, किस प्रकार से सरकार की नीतियों को को जनता तक पहुंचाया जायगा ?

हिन्दी समिति की चारों ओर से प्रशंसा हुई, यही उसका प्रमाणपत्र है। मैं माननीय मंत्रीजी को स्मरण कराऊं कि समय समय पर कई बार में कटौती की बात की गयी और इसकी समाप्ति तक की नौबत आ गयी थी। मैं स्वयं भी एकीनानी कमेटी में था। एक बार तो यह बिलकुल ही समाप्त हो गयी थी, लेकिन किन्ही की कृपा से, कुछ स्थितियों के कारण यह रह गयी। मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसने बड़ा लाभप्रद कार्य किया है। १४१ उच्चकोटि के ग्रन्थों का प्रकाशन करना और उस प्रयास को निरन्तर जारी रखना यह एक बहुत ही बहुमूल्य कार्य है। इस कार्य की कम से कम उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की जा सकती थी क्योंकि यह एक हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश है। इसको हिन्दी के मामले में देश में अगुआ बनना होगा। अगर इसको और आर्थिक सहायता दी जाय और सरकार का और भी अधिक संरक्षण इसको प्राप्त हो तो सरकार इस विभाग द्वारा इस देश की बड़ी भारी सेवा कर सकती है जिसकी इससे न केवल अपना प्रदेश ही अपेक्षा करता है वरन् सारा देश ही इसकी हमसे अपेक्षा करता है। इन थोड़े से शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह सही है कि सरकार के लिये यह बड़ा आवश्यक है कि सरकार की व्यवस्था, उसकी रीति नीति और उसके प्रशासन की तमाम बातों को जिनको सरकार करती है, जनता तक पहुंचाया जाय। मैं यह नहीं मान सकता कि सदन का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं मानता। लेकिन यह सरकार क्या चाहती है ? अवादी के समाजवाद से लेकर मुंबेश्वर और जयपुर के समाजवाद तक को सारी

छोटी और बड़ी जानकारी, जनता तक पहुंचाई जा रही है इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे विदेश में जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन चीन और रूस जैसे विदेशी देशों की पत्रिकायें मुझे देखने का अवसर मिला है। जरा आप देखें कि उनमें और इनमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि वहां सूचना विभाग की सब जिम्मेदारी है। वह एक स्वतंत्र इकाई है। उसको एक काम दिया हुआ है जिसे वह करता है। लेकिन हमारे यहां एक अफसरशाही है। आपको चाहिये आप इसका एक निगम स्थापित कर दें, उसको पूरी शक्ति हो और उसका एक पूरा बजट हो। उसका एक कार्य कलाप हो। यह आपका विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में भी एक कदम होगा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में एक निगम स्थापित हो और पत्रकारिता और प्रकाशन का काम करे वह। हिन्दी समिति ने जो काम किया, अच्छा किया। उसने तामिल, तेलगू और कन्नड़ पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया और उसकी मांग इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी काफी है। साल भर तक मैं भी सूचना कमेटी का सदस्य था और मैं उस समय में केवल एक कमेटी में जा सका और मैंने वहां भी सुझाव दिया और बाद में कहा कि विभाग की एक प्रकाशन नीति बना दी जाय। मंत्री जो हमारी बात सुनते हुये जा रहे हैं उनको यहां रहना चाहिये था। हम आकाशवाणी का पंचायत घर का प्रोग्राम सुनते हैं, उसमें वही सन् १८५७ की घिसी पिटी चीजें, वह रमई काका और कभी कभी तो जी ऊब जाता है और चाहते हैं कि कुछ सुझाव दें। ताशकंद समझौते की भावना से ओतप्रोत होकर कुछ बोलें तो अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं, जब कि सदर अयूब पाकिस्तान में अपने ढाका और कराची के भाषणों में अपना नया राग आज भी अलापने लगे हैं।

इनके दो तीन पत्र निकलते हैं और एक अंग्रेजी में भी आता है। उसका कागज बहुत बढ़िया होता है। क्या जरूरत है उसके लिये इतने बढ़िया कागज की, इतना बढ़िया कागज नहीं होना चाहिये? वह उत्तर प्रदेश पत्रिका इतनी महंगी पड़ती है जब कि उसमें केवल सात आदमियों के ही लेख निकलते हैं, अगर हम भेज दें तो शायद हमारा लेख उस में नहीं छपेगा। वही एक फरमा बना है और उसी में थोड़ा बहुत अक्षरों का हेरफेर कर दिया जाता है और छाप दिया जाता है। आज जरूरत है इस बात को कि ऐसी पत्रिका में कबीर पर लेख लिखे जायं क्योंकि वह हिन्दू मुसलिम एकता के प्रतीक थे और आम जनता में एकता की बात फैलाई जाय, लेकिन वहां तो औरंगजेब की बातें लिखी जायंगी। यह जो पत्रिकायें हैं 'नया दौर' पंचायत राज' 'आजकल' और लड़ाई के जमाने में जो यह निकलने लगता है 'रणभेरी' उन में वही पुरानी आल्हा ऊदल की कहानियां निकला करती हैं। वही पुरानी घिसीपिटी भाषा और सब्जेक्ट चलते हैं, कोई विषयों का कंट्रोल नहीं है। अब यह जोशी जी डायरेक्टर हुये हैं तो वही और क्या करेंगे वह भी वह 'विध रिफरेंस टु योर डी० ओ० नं० इतना' इतना और आगे वह भी क्या करेंगे। यह समझते हैं कि किसी भी आई० ए० एस०, पी० सी० एस० के आदमी को बिठा दो सब ठीक हो जायगा। फिल्म्स का भी अलग विभाग है, इतनी फिल्म बनाकर रख दी गई हैं, क्यों रख दिया गया उन को, एक बार तो उन को जनता को दिखा दिया जाय। लेकिन डर यह है कि अगर दिखाया जायगा तो सूचना विभाग के अधिकारी डी० आई० आर० के मुलजिम बनाये जायेंगे। अछूत उद्धार की फिल्म की मांग होती है तो दूसरी बहादुरी की फिल्म भेज दी जाती हैं। अब्दुल हमीद पर एक फिल्म बनने की बात आरम्भ हुई, उसकी शूटिंग भी हो गई, लेकिन बीच में कुछ मामला गड़बड़ हो गया है, अंग्रेज के जमाने में की जहनियत नहीं गई। ताशकन्द समझौते की बात हुई और अब्दुल हमीद की बहादुरी पर जैसे कुछ कमी आ गई। आप क्यों डरते हैं जब कि सदर अयूब आज अपनी उसी पुरानी भाषा में ढाका और कराची में बोलता है। यह कहते हैं कि ताशकन्द के भावना के अनुसार ऐसी चीजें कैसे बन सकती हैं? माननीय लाल बहादुर जी की जान गई कारगिल और टिठवड़ छोड़ा गया, हमारी सेनायें वापस चली आई और अब अब्दुल हमीद की फिल्म भी नहीं बन सकती है। विभाग द्वारा ३६४ फिल्म बनेंगे, लेकिन उन को दिखलाया नहीं जायगा। मैं तो फिल्म में काम नहीं करता, लेकिन उस फिल्मों के इलाके में मैं

[श्री उग्रसेन]

भी ५ साल रहा हूं । फिल्म के बारे में मैं एक बात और कहूंगा । समझा यह जाता है कि लता मंगेशकर, रफी, मन्ना डे के पार्श्वगीत जरूर होने चाहिये । लेकिन मैं कहता हूं कि भोजपुरी भाषा के वह सुन्दर गीत हैं कि मैं अभी बिहार गया तो मैं रात भर उन गीतों को सुनता रहा और तबियत मस्त हो गई । सीतापुर में हो अवधी के सुन्दर गीत सुनिये कितना आनन्द आता है, इसी तरह से ब्रजभाषा के रसभरे भी गीत हैं 'मायरा मग सांकरी, पायन कांकरी गरत है ।' ऐसी चीजें अपने इन भाषा गीतों में मिलती हैं जो बहुत ही सुन्दर हैं । जब तक माननीय बनारसी दास, के० के० दास प्रदेश में मौजूद हैं तब तक सूचना विभाग द्वारा हिन्दी में कोई प्रगति नहीं हो सकती है । जो शोजो ने जो परिपत्र भेजा, उसके लिये शान्ति प्रपन्न जी नहीं कहते हैं, उसके लिये दास साहब कहते हैं कि अंग्रेजी में जवाब दो । वे ही इनको कैनिन्ग करते हैं । तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारी जो साहित्यिक बोलियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाय । जैसे अवधी है, मैं पूछना चाहता हूं कि अवध में आपने कितनी पुस्तकें छपा हैं, कितनी पुस्तकें आपने ब्रज भाषा में छपी हैं । मैं तो कहता हूं कि कुछ हिन्दी में छापिये, कुछ भोजपुरी में छापिये, कुछ ब्रजभाषा में छापिये, गांवों के गीतों को छापिये, बारहमासों के गीत छापिये जिसको आप गांव-गांव में बांट सकें और ग्रामीण जनता भी उनसे कुछ लाभ उठा सके । किंग प्राइमर में लिखा है "फैट मैन" उसी को रटते रहिये । तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । आपको अपने साहित्य को धनी बनाना चाहिये । आज तो गीत भी जो होते हैं उनमें होता है कि 'संध्या भये कोतवाल" । वास्तविक रूप में जो हमारी गरीब जनता है "वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद में ।" जो इलाहाबाद में सड़क के पत्थर फोड़ने वाली जनता है उनके मन को भाने वाले गीतों का इनमें समावेश होना चाहिये ताकि वे भी कुछ फायदा उठा सकें । आज यह भी देखा जाता है कि जब किसी विशेष लिट्रेचर की आवश्यकता होती है तब तो वह छापा नहीं जाता है और जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उसे छापा जाता है । यह अब समाप्त होना चाहिये ।

मुझे कुम्भ में जाने का मौका मिला । मैं वहां पर ४ दिन ठहरा । तो वहां पर वैदिक काल से कुम्भ के सम्बन्ध में जो बातें लिखी थीं वे मुझे बहुत पसन्द आयीं और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाय, उनको मौका दिया जाय । जो छोटे व सलेक्टेड अखबार हैं उन्हें सूचनायें देने से कोई लाभ नहीं आपको, आपके जो बड़े-बड़े अखबार हैं जैसे नेशनल हेराल्ड, उन्हें दिया जाना चाहिये ।

श्री ए० सी० प्राइस—

एक प्रश्न में माननीय उग्रसेन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विदाउट नौलिज गरीबी जा सकती है ?

श्री उग्रसेन—

हां, बहुत अच्छा सवाल है । "बिन गुरु होये कि ज्ञान, ज्ञान कि होय बिराग बिनु" ज्ञान अगर वहां नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप हिन्दी के पुरानी पुस्तकें पढ़िए, प्रेम चन्द का गोदान पढ़िए, गोबर की कहानी को पढ़िए । आपको चाहिए कि आप हिन्दी की प्रगति कीजिए और अपनी बातों को जनता तक क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाइये । के० के० दास के लव लेटर से काम नहीं चलने वाला है । इन शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने पूर्व वक्ता को बधाई देना चाहता हूं । उनके पूरे भाषण को यदि ध्यानपूर्वक किसी ने सुना होगा तो उनके मन पर एक ही प्रभाव पड़ा होगा कि उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राय में अभी तक बहुत काम बाकी है, जिसे इस विभाग को करना चाहिए । और यह विभाग उन कामों को अभी तक नहीं कर पाया है । मान्यवर, सम्भवतः वह इस सदन में उस समय उपस्थित थे या नहीं जिस समय कटौती का प्रस्ताव किया गया । किन्तु यादव जी ने इस विभाग के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये उन विचारों की तरफ यदि उनका ध्यान आकर्षित मैं करूं और साथ ही साथ शुरू में यह निवेदन करूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले तक वह एक ऐसे दल के सदस्य रहे हैं, अब वह शायद अपने को स्वतंत्र कहते हैं, जिस दल का सारा काम प्रचार के ऊपर ही आश्रित होता है । मास्को की बात मैं नहीं करता, मैं तो लखनऊ में जो पोपुल्स बुक हाउस है, मैं चाहूंगा कि यादव जी उस के द्वारा इस देश में प्रसारित होने वाले साहित्य पर यदि दृष्टिपात करें और हमारे सूचना विभाग द्वारा जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है, वितरित हो रहा है, दोनों में यदि उन्हें कोई अन्तर दिखाई दे तभी वह यह समझ सकेंगे कि एक ऐसे देश ने लोकतन्त्र को अपने जीवन का आधार माना है सूचना विभाग और उस का दायित्व क्या होता है । मैं मान्यवर, अपने पूर्व वक्ता महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रचार का कार्य कोई आज से नहीं हो रहा है। वह स्वयं बड़े विद्वान हैं, जानते हैं कि प्राचीन काल में भाट बिरदावली गाया करते थे और उस के पूर्व मान्यवर जब वर्णाश्रमों की व्यवस्था की गई थी तो ज्ञान वृद्धि होने के बाद जीवन का जो अंतिम काल है उस काल में लोग ज्ञान प्रचार किया करते थे । मैं मान्यवर, जब इस विषय पर एक पुस्तक लिख रहा था उस समय मैं यह जानना चाहता था कि प्रसार या प्रचार शब्द कहां से आया, उसकी व्युत्पत्ति के सिलसिले में एक विद्वान से मिला तो मुझे मालूम हुआ प्राचीन भारत में कितना महत्व था और आज भी मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठने वाले अधिकांश सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह एक बहुत ही महत्व का विभाग है । जब यह कहा जाता है कि कठपुतली का नाच बन्द करो, जब यह कहा जाता है कि यह जो तुम फिल्में बना रहे हो इनमें इस तरह की फिल्में बनाओ, तो मैं उन मित्रों से केवल संकेत रूप में कहना चाहता हूं कि वे जिस प्रदेश के प्रतिनिधि हैं उसके संदर्भ में जिन माध्यमों का आश्रय इस विभाग ने लिया है उधर उनको ध्यान देना होगा । कोई जमाना था डाक्टर गोबिल्स इस बात को कहा करते थे कि बारबार दोहराने से झूठ भी सच हो जाता है । हमारे ढंग में और उस ढंग में थोड़ा अन्तर है । उग्रसेन जी से आग्रह कर रहा हूं, हमारा ढंग इस बात को मान कर के चलता है कि लोक तन्त्र का जो प्रेरणा श्रोत है वह जनता के पास है और ऐसी जनता के पास है जो जनता आज गावों में बिखरी हुई है, अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है । जाहिर है कि ऐसी जनता के लिये हमको उसको पसन्द आने वाले माध्यमों का आश्रय लेना पड़ेगा और उन्होंने स्वयं भी इस बात को सुझाया कि बिरहा होना चाहिये, पूर्वी होना चाहिये, कहरवा होना चाहिये । मैं उनके सुझावों से बिलकुल सोलह आने सहमत हूं ।

मैंने जहां तक अपने उत्तर प्रदेश के इस विभाग को देखा है तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मामलों में यह प्रदेश और इसका यह विभाग अन्य राज्यों का अगुवा है । मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, युद्ध के दिनों की चर्चा की गई । उन दिनों मैंने इस विभाग के द्वारा प्रकाशित एक लेख पढ़ा । उसमें लिखा हुआ था उग्रसेन जी, कि अगर नेपोलियन ऐसा कहता था कि भावों से भरा हुआ एक सैनिक शत्रु के दो सिपाहियों के बराबर है तो हमारे इस विभाग के कलाकारों ने यह कहा था कि देश प्रेम से ओतप्रोत भारत का एक सैनिक शत्रुओं के ३ टैंकों के बराबर है । यही नहीं, युद्ध के दिनों में भारत के जन मानस में जो विचार आलोड़ित हो रहे थे उनको प्रतिबिम्बित करने के लिये और जन मानस को सही दिशा प्रदान करने के लिये इस विभाग के द्वारा जिन फिल्मों का निर्माण किया गया, मैं गर्व के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से ३ फिल्मों को सर्वोत्कृष्ट मान कर पुरस्कृत किया गया । लेकिन मैं दुख के साथ माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसा समझता हूं कि युद्ध के दिनों में साधनों को जुटाने के लिये इस विभाग में कटौती की गई । लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि समाजवादी समाज के अन्दर हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं इसकी एक ही कसौटी होती है कि यदि हम जन कल्याण की योजनाओं

[श्री रामायण राय]

में कमी करते हैं, जनता को प्रशिक्षित करने वाले कार्यों से कमी करते हैं, गूंगे बहरे तथा लूले लंगड़ों की शिक्षा में कमी करते हैं तो यह समाजवाद की ओर जाना नहीं हुआ । यह विभाग जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का कार्य कर रहा है और इस विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामूहिक स्थान थे रेडियो सुनने के लिये उनको समाप्त करने की योजना श्रेयस्कर नहीं होगी ।

माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि बाहरी जो उनकी आकृति है उसी से समझा जा सकता है कि वे कैसे व्यक्ति हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिफेन्स लाइन है यह उनकी भीतरी खूबसूरती को छिपाने के लिये है और उस खूबसूरती को इस माननीय सदन का हर सदस्य पहचान गया है और उन्होंने स्वयं ही इस सदन में अनुदान का अप्रत्यक्ष शब्दों में समर्थन किया है ।

इस विभाग का प्रचार का कार्य भी है । आपने स्वयं सुना होगा केवल यही नहीं यह विभाग पुराने ग्रन्थों का प्रकाशन कर रहा है । इस विभाग ने अलभ्य पांडुलिपियों का संकलन किया है और सैकड़ों प्रतिलिपियां यह विभाग प्रकाशित कर रहा है । उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले सभी यह चाहते हैं कि हिन्दी राजभाषा के रूप में वास्तव में प्रतिष्ठित हो, समृद्ध हो तो पुनीत कर्तव्य के नाते हमारा यह धर्म हो जाता है कि हिन्दी का मन्दिर जो विभाग बना हुआ है उसके समक्ष जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहिये ।

(श्री चन्द्र जीत यादव का नाम पुकारने पर ।)

श्री उग्रसेन--

व्यवस्था का प्रश्न है । समय इसका ३ बजे तक है । अभी और माननीय सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

समय ढाई बजे तक है ।

श्री उग्रसेन--

सभी मांगों में आधा दिन ३ बजे तक रहा है तो इसमें ढाई बजे कैसे हो जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

थोड़ा सा बढ़ाये देता हूं ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी इस विषय पर बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन है जो दो एक बातों की चर्चा होने पर मुझे भी अपने विचार प्रकट करने की इच्छा हुई ।

इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, एक बात कहना चाहता हूं । मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का तथा सूचना विभाग के अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सूचना विभाग का जो सेकुलेरिज्म है उसकी ओर मैं सब का ध्यान ले जाना चाहता हूं । धर्म निरपेक्षता का नाम लेकर यह सरकार काम करती है । उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सूचना विभाग की तरफ से यह डायरी प्रकाशित हुई है । इस पर अब्दुल हमीद जी का चित्र आर्ट पेपर पर है जो बहुत ही बढ़िया कागज है । इसके अलावा दो चित्र और हमारे लखनऊ के स्कवाड्रन लीडर्स कीलर ब्रदर्स के हैं । इसके अलावा एक चित्र और बाद में छापा गया है वह माननीय आशाराम त्यागी का है । इसको छापने का शायद सूचना विभाग का कोई विचार नहीं था । इसको थोड़ा सा कागज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

निकाल कर छाप दिया गया है । इसलिये यह निश्चित प्रमाण है कि इस चित्र के पहले से छापने की कोई व्यवस्था नहीं थी । लेकिन इसको किसी प्रकार से स्थान निकाल कर इसलिये छाप दिया गया है कि कोई आक्षेप न हो । जान बूझ कर ऐसा किया गया है कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है और समझा नहीं जा सकता है कि यह किस का चित्र है ।

एक बात और देखिये कि इसमें पहले बंदे मातरम् का गान छपा रहता था उसको अब न जाने किस नीति के अनुसार इसमें से हटा दिया गया है । यह ठीक नहीं है । यह भले ही सरकार की नीति हो, जैसी कि रही है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ उचित ध्यान देना चाहिये था । इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जो जिस सम्मान के योग्य है उसको वह सम्मान मिलना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी की विशेष तारीफ की जाय और किसी को तिलांजलि दे दी जाय । यह ठीक नहीं है । माननीय चन्द्रजीत यादव ने एक बात अंगद के फोटों के बारे में कही है । यह अंगद के उपहास करने की बात है । लेकिन जो यह फोटो छपा है यह मच्छर की टांग थी । वह इसलिये रखा गया था कि जिधर चाहेंगे मच्छर की टांग हटा लेंगे । जैसे ही लड़ाई शान्त हुई वैसे ही इसको हटा लिया गया है । यह तो अंगद की टांग न होकर मच्छर का पैर था और इसको ठीक तरह से प्रकाशित नहीं किया गया था ।

एक बात और कह दूं कि जिलों में जो सूचना केन्द्र हैं । उसका अधिकारी जीप लिये कलेक्टर के पीछे पीछे जीप लिये फिरता है और वह पंचायत तथा जिला परिषद् आदि के काम की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देता है । आज विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था है । लेकिन हमारे यहां जिले में कलेक्टर तो गवर्नर की तरह हो गया है । हमारे जो विकास के कार्य हैं उनके चलाने के लिये इनको ध्यान देना चाहिये ।

एक बात फिल्मों के बारे में कही गई है । लेकिन मुझे सूचना है कि जिस समय वे फिल्में बनीं उसमें काफी देर हो चुकी है । कुछ फिल्में चीन के खिलाफ बनाई गई जो निश्चित रूप से चीन जैसे साम्यवादी देश के खिलाफ वातावरण पैदा करने वाली हैं । इसलिये हमारे देश में जो पंचमांगी होंगे उनका इनको वोट चाहिये इसलिये यह सरकार उनको नाराज नहीं करना चाहती है । इसलिये वह फिल्में बन्द कर दी गईं । इसी तरह से ४५ फल्में पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गईं । लेकिन समझौते होने के बाद उनको भी अलग रख दिया गया जिससे दूसरा वातावरण पैदा न हो । उनको दाढ़ी वालों के वोट न मिलें और कहीं वे लोग नाराज न हो जायं । उनको कहीं नहीं दिखाया गया । जब पैसा खर्च करके यह फिल्म बनाई गई उनके खिलाफ जो हमारे परमानेंट शत्रु हैं, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो, इनके संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिये ऐसी फिल्में हमारी जनता के सामने आनी चाहिये । अगर एक समय के लिये कोई सत्य है तो दूसरे क्षण वह खराब नहीं हो सकती है । चीन और पाकिस्तान को भुलाया नहीं जा सकता है । इन चित्रों को हमारे यहां लगातार जनता को दिखाया जाना चाहिये । फिल्म डिवीजन में काफी प्रचार हुआ है । इस दिशा में और भी अच्छे कार्य होने चाहिये ।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सूचना विभाग पर बोलने का मुझे सुअवसर प्रदान किया । हमारे माननीय यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करके बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं । मैं तो चाहता हूं कि इस विभाग के अनुदान में कटौती न की जाये, बल्कि और धन दिया जाये । जिससे यहां की खबरों का गांव गांव में प्रचार हो सके और यदि यही सही सूचना विभाग काम किये होता तो मैं समझता हूं कि आपकी असेम्बली के नारायन दत्त तिवारी जो ऐसे आदमी जो विरोधी दल का सही प्रतिनिधित्व करते थे, वह हारकर अपने क्षेत्र में न पड़े होते । लेकिन यहां की

[श्री गणेशप्रसाद]

खबरें गांव गांव तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिये गांव के नामवर बोर्ड उनके ऐसे लोगों को हराकर दूसरे लोगों को यहां भेज देते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में उन जैसा आदमी सदा विरोधी दल में होना चाहिये, और उन जैसे आदमी के अभाव में विरोध पक्ष प्राण पूरा सूना सा लगता है। इसलिये मेरा विचार है कि सूचना विभाग को बहुत मजबूत होना चाहिये और उसके लिये कार्य यह होना चाहिये कि गांव सभाओं में सरकार की ओर से एक ट्रांजिस्टर सेट दिया जाना चाहिये, पंचायतों में अनिवार्य रूप से एक रेडियो अवश्य होना चाहिये। और पंचायत विभाग के कार्यक्रम में यह सारी खबरें रोज रोज पहुंच जानी चाहिये। आपका हर ब्लाक में सूचना विभाग का सेंटर तो था ही, लेकिन उसके लिये खास कर एक ए० डी० ओ० की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये। हर गांव पंचायत में एक पुस्तकालय होना चाहिये, जिसके द्वारा जो पुस्तकें यहां पर सदन में बटती हैं वह वहां पहुंच सकें और उनका लाभ गांव के लोग उठा सकें। ग्राम सेवक और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पर वह पुस्तकें रोटेशन से वितरित की जानी चाहिये। हर जिले के अन्दर एक एक सूचना विभाग की ओर से अखबार निकलना चाहिये, जो हर गांव तक, हर गांव सभा में अनिवार्य रूप से जाना चाहिये। और देश और प्रदेश के हर भाग की खबरें बराबर हर गांव सभा में पहुंचती रहनी चाहिये। ग्रामसेवक और सेक्रेटरी को गांव गांव में पुस्तकालय खुलवाना चाहिये और उनके प्रति गांववालों में समुचित रुचि उत्पन्न की जानी चाहिये। कृषि और पशुपालन जैसी जो पत्रिकायें सरकार की ओर से निकलती हैं, उसको पढ़कर गांववालों को सुनाया जाना चाहिये, यह कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये, जिससे वह कम पढ़े लिखे लोग उनका पूरा पूरा फायदा उठा लें। रबी और खरीफ की फसलों के संबंध में और जायद की फसलों का इतना अधिक प्रचार होना चाहिये कि उन्नति हो सके, यह कभी नहीं रहनी चाहिये। जायद की फसल का सरकार की तरफ से इतना प्रचार हुआ, लेकिन बहुत गांवों में उसका प्रचार अभी तक नहीं पहुंचा है। उन लोगों को यह भी नहीं मालूम हुआ कि कोई गांवसभा में यह काम हुआ भी। सामूहिक रूप से खेती की गई, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। प्रचार की कमी के कारण आज के लोगों में तीसरी फसल के लिये विश्वास न होने के नाते पानी का खर्च बहुत कम हो पाता है जिससे सिंचाई की आमदनी से पतरोलों की तनख्वाह भी सिंचाई विभाग से नहीं निकल पाती है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस विभाग को और अधिक रुपया देकर प्रचार का कार्य मजबूती के साथ बहुत होना चाहिये, ताकि आपके देश की उन्नति हो सके।

हम देखते हैं कि रूस, चीन और अमेरिका की पुस्तकें और समाचारपत्र बिना हमारी दरख्वास्त के भी हमको मिलते हैं और बंटते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी पुस्तकें भी जो रोज निकलती हैं वह गांव गांव तक पहुंचनी चाहिये और उसके लिये जो अधिक खर्च की आवश्यकता हो उसका सरकार प्रबन्ध करे और इस बजट में बढ़ोत्तरी करे। कटौती का प्रस्ताव जो हमारे मित्र ने दिया है वह उन्हें नहीं देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री दीनदयाल करवरिया (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सूचना विभाग पर बहस चल रही है। अगर सूचना विभाग ठीक से काम करे तो हमारा सांस्कृतिक उत्थान बहुत अधिक हो सकता है। "हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरन मनोहर नासा।" "सूचत" शब्द ही सूचना का उद्योतक है। अगर हमारे कार्यों में सांस्कृतिक भावों का समावेश कर दिया जाय तो स्वतंत्र भारत का सही अर्थ प्रतिपादित हो सकता है। यदि हम अपने प्राचीन काल को देखें, पाषाण काल को देखें, बौद्ध काल को देखें, आर्यकाल को देखें तो आपको अपने गौरव का अनुभव अवश्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा और अगर हमारा सूचना विभाग उन्हीं चीजों को सृष्टि करें और उन्हीं ज्ञान और अनुभव की सूचनाओं और प्रसार कार्यों को करे तो जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारा प्रभाव भी सांस्कृतिक आधार पर बढ़ सकता है।

रामायण में क्या अमूल्य उपदेश दिया गया है। "राम सुमन्तहिं आवत देखा, आदर कीन्ह पिता सम लेखा।" मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब सुमंत्र को आते हुये देखा तो मंत्री का भी आदर अपने पिता के समान किया। तो ऐसे ऐसे दृष्टिकोणों को उपस्थित करना हमारे सूचना विभाग का कर्त्तव्य है।

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल बैठासीन हुये)

अब तक तो मैंने रामावतार के संबंध में इतनी बात कही है और अब थोड़ा सा कृष्णावतार की बात आपके सामने रखता हूं। मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी राजापुर गये थे और वे स्वयं अपनी आंखों देख आये हैं कि इन सांस्कृतिक वस्तुओं में क्या क्या चीज भरी पड़ी है। ब्रजभाषा की एक सुन्दर सी बात आपको बताऊं "मन्द मन्द सांकरी गलिन मोयं पद कांकरो गरतु हैं" कितने कोमल शब्द हैं। अगर इस प्रकार के शब्दों का समावेश हमारा सूचना विभाग अपनी पत्रिकाओं में और अपने दैनिक कार्यकलापों में कर दें तो इस स्वतंत्र भारत की जनता का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इन शब्दों के समावेश से हमारी जनता उसी का अनुसरण करेगी और उसी पर चलने का प्रयास करेगी और प्रजातंत्रीय राज्य का वास्तविक आनन्द लूटेगी। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मैंने आरम्भ किया है। आप मुझे थोड़ा समय और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा दो तीन मिनट और बोल लीजिये।

श्री दीनदयाल करबरिया—

पाणिनी सदृश संसार में वैयाकरण अब कौन है
सच अगर पूछो तो इसका उत्तरोत्तर मौन है।

पाणिनी के बराबर अब संसार में कोई वैयाकरण नहीं है। अर्थात् अब उस प्रकार से व्याकरण का ज्ञाता नहीं रह गया है। यह हमारी विद्वता और संस्कृति का प्रमाण है। यह ऐसा प्रमाण है जिसको आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका है। सारा संसार इस बात को जानता है कि हमारी संस्कृति और विद्वता कितनी ऊंची थी—

मानस भवन में आर्य जन जिसको उतारें आरती,
भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती।

मैं चाहता हूं कि इसको आप इस प्रकार से यदि पढ़ें तो अधिक स्पष्ट होगा कि

भगवान् सारे विश्व में गूंजे हमारी भारती।

यह विधान भवन हमारा मानस भवन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे संसार में इस सूचना विभाग के द्वारा हमारा अस्तित्व, हमारी भाषा, हमारी विद्वता और हमारी संस्कृति का प्रादुर्भाव होना चाहिये। इस कार्य को हमारे सूचना विभाग को अपने हाथ में लेकर हृदय से करना चाहिये जिससे हमारी ख्याति और यश संसार में फैले।

कुनृपतिरिव विद्या क्षीयते पंकजश्रीः
गुणिन इव विदेशे दैन्यमायान्ति मृगाः

हम विदेश में जाकर अपनी चीजों का विस्तार करने में, वहां की जनता को समझाने में समर्थ हो सकते हैं। यदि सरकार विदेश में प्रचार करने के लिये इस कार्य को हाथ में ले तो वह हमारे देश के गुणों का और अच्छी बातों का सुचारुरूप से प्रचार कर सकती है। मैं चाहता हूं कि हमारा सूचना विभाग इसमें हमारी सहायता करे।

[श्री दीनदयाल करवरिया]

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना विभाग में फोटोग्राफरों को २४ घंटे कार्य करना पड़ता है। वह २४ घंटे आपकी सेवा करते हैं। जहां भी उनको भेजा जाय वे जाने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन उनका पे स्केल बहुत कम है। १६०–३२० रुपये है। मैं यह निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा कि इनका वेतन यदि केंद्रीय सरकार के फोटोग्राफरों के प्रथम श्रेणी का न हो सके तो कम से कम दूसरी श्रेणी का अवश्य किया जाय अथवा जो पत्रकारों को वेतन प्रान्तीय सरकार देती है उनके समकक्ष इनको किया जाय।

यह कह कर मैं सूचना विभाग की तमाम मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस कटौती के प्रस्ताव को पेश किया था और उस पर बोलते हुये आमतौर से माननीय सदस्यों ने सूचना विभाग की कमजोरियों का और इस को पुनर्गठित करने पर और इसको सही दिशा देने के लिये, नया स्वरूप देने के लिये जो अपने-अपने सुझाव दिये हैं, उसके लिये उनका आभारी हूं।

श्रीमन्, शायद कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे सही नहीं समझा। मुझे दुख है कि मेरे मित्र माननीय रामायण राय जी ने भी मुझे सही नहीं समझा। रामायण राय जी का कहना था कि अगर मास्को या दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज के जो प्रकाशन होते हैं उसमें वे अपने आदर्शों और सिद्धांतों का बड़े जोर से प्रचार करते हैं और अपनी नीतियों और अपने कामों का प्रचार करने में वे कोई कोताही नहीं करते। मैं इस से सहमत हूं। मेरा आरोप यह था कि जिस प्रकाशन की आप चर्चा कर रहे थे, अगर उसी प्रकार की व्यवस्था यहां होती, यहां भी यदि अपने आदर्शों और सिद्धांतों का, विश्वशांति का, सह अस्तित्व का, गरीब जनता के उत्थान के लिये किये गये प्रयत्नों का, सरकार अपनी नीतियों का प्रतिपादन और प्रचार अपने इन प्रकाशनों से करती तो वह ठीक होता। इस विभाग को अपनी सरकार की नीतियों और आदर्शों का प्रचार मजबूती और सफाई के साथ करना चाहिये था। मेरा आरोप था कि वह इस विभाग ने किया नहीं। जिस आधार पर सरकार बनी हुई है, उसके सामने जो लक्ष्य हैं, जो उसका उद्देश्य है, उसका प्रचार अगर सरकार नहीं करती यह मेरा आरोप था और मैं कतई नहीं चाहता कि इस विभाग का काम कम हो। इस विभाग के पास रुपया कम है और मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है। केवल ५७, ४८ लाख रुपये से कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसके लिये अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ५ या १० करोड़ रुपया लीजिये, लेकिन जिस काम की जिम्मेदारी आप पर है उसे आप पूरी तरह से, मुस्तैदी के साथ, सही रास्ते पर चल कर पूरा कीजिये और नयी दिशा में, नयी विचारधारा देते हुए वह काम आप को करने चाहिये।

श्रीमन्, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस विभाग ने कितना काम किया है इसका कोई लेखा जोखा कहीं देखने को मिलता नहीं। यह हम को मालूम होना चाहिये। मैंने भारत सरकार के सूचना विभाग के एक अंग के काम की रिपोर्ट देखी थी कि उसने १९६४ में कितना काम किया है। इस विभाग ने हिन्दुस्तान के कोने-कोने में १६०१५ स्थानों पर प्रचार किया और उसने २४३३० सार्वजनिक सभायें आयोजित कीं। भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा २१३३४ फिल्म शो दिखाये गये। भारत सरकार के सूचना विभाग के जरिये ४४३२ गांवों का निर्माण किया गया और उनमें प्रचार किया गया। इन सब से एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि उस विभाग ने कितना काम किया। यहां के सूचना विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। यह मेरी शिकायत है और मैं चाहता हूं कि इस विभाग को सरकार पुनर्गठित करे और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुख्तलिफ विभाग हैं उन से संबंधित प्रकाशन के या फोटोग्राफी के जो विभाग हैं, वह सब बन्द हो जाने चाहिये और वह सारे का सारा काम सूचना विभाग के जरिये ही कराया जाना चाहिये। इस तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिये जिसमें रुपये की भी बचत हो और एक दूसरे के विरोध में जो बहुत सी चीजें होती हैं उनमें कमी हो। इस तरह से पूरे काम की एक झलक हम को मिल सकेगी। मैं चाहता हूं कि इस काम का केंद्रीयकरण करके सारा काम सूचना विभाग के जरिये सरकार को कराना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की जो जिलों में शाखायें हैं वे आज कल बिलकुल इनएफेक्टिव हो रही हैं। वहां उन के पास कोई काम नहीं है। जो अधिकारी वहां हैं उनका इतना ही काम रह गया है कि वे केवल मंत्रियों के दौरे की कवर करते हैं। मैं समझता हूं कि जिलों की शाखा को एक जीवित कड़ी होना चाहिये सूचना विभाग की जो सरकारी नीतियों को जिले के कोने कोने तक पहुंचाती रहे। यह वह कड़ी है जो काम कर सकती है और आपकी बात जन साधारण तक पहुंचा सकती है।

मुझे सूचना है कि सूचना विभाग के बहुत से केन्द्र सरकार तोड़ने जा रही है। मेरा सुझाव है कि इसको तोड़िये मत, इसको पुनर्गठित करिये। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस विभाग का जाल ऐसा बिछायें ताकि हमारा संदेश इसके द्वारा जन साधारण तक पहुंच सके और हमारा काम भी सुचारू रूप से हो सके।

श्रीमन्, कुछ जो बातें प्रकाशन के बारे में कही गयीं। अगर प्रकाशन समय से नहीं होता है तो चाहे जितना अच्छा प्रकाशन हो वह अर्थहीन होता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिये सूचना विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये और वह समय से आम जनता को मिल सके। उसको सस्ता भी होना चाहिये। आजकल जितनी किताबें सूचना विभाग की ओर से निकलती हैं उनकी कीमत ऊंची है कि साधारण आदमी उनको खरीद नहीं सकता। उसके लिये भले ही सूचना विभाग को कुछ कंसेशन करना पड़े, लेकिन जनता को सस्ते प्रकाशन देने चाहिये। दूसरे विलम्ब भी बहुत होता है। सरकार प्राइवेट प्रेस से काम कराती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी प्रेस सूचना विभाग के कामों की उपेक्षा करता है। यदि यही बात है तब तो सूचना विभाग का खुद का प्रेस होना चाहिये या फिर उसका एक्सपेंशन हो। एक कैलेंडर छापा गया है जो कि मार्च के महीने में मिला। बाहर के प्रेस होड़ लगा रहे हैं और नहीं छाप पा रहे हैं। डायरी की चर्चा की गयी। यह सेकुलर स्टेट के माने नहीं होते हैं। सेकुलर स्टेट के माने यह होते हैं कि आप किसी अकलियत के अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर कोई और अच्छा काम करता है तो हमारे अन्दर यह भटकाव नहीं होना चाहिये कि हम झिझकें, बल्कि हर एक वर्ग की सही बातों का प्रतिबिम्ब हमारी सरकार और सूचना विभाग को करना चाहिये ताकि यह सन्देह न हो कि कहीं आक्षेप है या सन्देह की बात है।

श्रीमन्, इसी प्रकार से मेरा अपना निश्चित मत है कि माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी को इस बात की पहलकदमी करके एक हाई पावर कमेटी सूचना विभाग की-जो सलाहकार समिति हो, बनानी चाहिये जिसमें अच्छे अच्छे राज्य के लेखक हों, कलाकार हों, अच्छे अच्छे माने जाने पत्रकार हों, राजनीतिज्ञ हों जो नीतियों के अन्दर आस्था और विश्वास रखते हों....

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारी नीतियों के अन्दर ?

श्री चन्द्रजीत यादव—

आपकी तो होंगी ही। इसलिये इस प्रकार से इसको ऐसा उपयोगी विभाग बनाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश के इनफारमेशन डिपार्टमेंट पर मेरे दो आरोप हैं। एक तो यह कि यह डिपार्टमेंट इल-इनफार्म्ड है और दूसरे मिस-इंफार्म्ड है। न इसको अन्य विभागों के बारे में सही सूचना है बल्कि अपने बारे में भी जो यह कार्य करता है उसकी सूचना नहीं है। कुम्भ मेले के अवसर पर इस विभाग ने वहां अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन जब एक पत्रकार ने दफ्तर में जाकर पूछा कि हमारे रहने की कोई व्यवस्था है, हम कहां जायं? तो जो संबंधित अधिकारी उपलब्ध थे उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है, मैं नहीं जानता कि क्या व्यवस्था है। डायरेक्टर साहब नहीं हैं। उनके आने पर पता चलेगा। और जब वह तशरीफ लाये तो उसकी जानकारी हो सकी। उस पत्रकार ने यह नहीं कहा कि व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन स्वयं विभाग को ही पता नहीं था। तो ऐसा विभाग जिसको स्वयं अपनी जानकारी नहीं होगी वह दूसरे को क्या जानकारी करायेगा। इसलिये इन त्रुटियों को जितनी जल्दी दूर किया जाय उतना ही अच्छा है।

मैं इंग्लैन्ड के सूचना विभाग के बारे में पढ़ रहा था। वह भी केन्द्रित है। मुख्तलिफ जो मंत्रालय हैं उनका प्रकाशन, प्रचार, उन नीतियों को जनता के पास पहुंचाना उस विभाग के जरिये से होता है। लेकिन जिस विभाग को जिस नीति का प्रचार होता है उसके लिए मिनिस्टर इन-चार्ज खुद जिम्मेदार है उन नीतियों का। यहां जिस तरह से काम होता है उनकी सही तस्वीर एक जगह से यहां नहीं मिल पाती। इसलिये इस कमी को जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहिये।

सरकार को अपने इस विभाग का नये सिरे से पुनर्गठन करना चाहिए। उसको नया दृष्टिकोण देना चाहिये, नयी रोशनी देना चाहिये, नये विचार देना चाहिए। प्रजातंत्र के अन्दर सूचना विभाग प्रचार का एक पावरफुल माध्यम होता है। टेलीविजन, रेडियो, अखबार आदि भी प्रचार के पावरफुल माध्यम हैं। अगर संगठित तरीके से इनका इस्तेमाल न किया गया तो जितना लाभ हमें इनसे मिलना चाहिये वह नहीं मिल पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सब सुझावों को ध्यान में रखते हुये इस विभाग को एक नया स्वरूप, नया संगठन, नया दृष्टिकोण देने की कृपा करें। तभी यह सरकार प्रजातंत्र में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर पायेगी। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और आशा करता हूं माननीय मंत्री जी इस विभाग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने सुझाव इस विभाग के संबंध में दिये। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गयी। दिलीपचन्द राय एक ड्रामा खेल रहे थे, ईश्वरचन्द विद्यासागर, उसमें एक विधवा का सीन था उस वक्त किसी ने एक जूता उनके खींच के मारा। उन्होंने उस जूते को चूम लिया और कहा कि इससे बढ़ कर इस ड्रामे की सफलता का और कोई सबूत हो नहीं सकता। आज जो मैंने उधर के माननीय सदस्यों की इस विभाग के संबंध में आलोचना सुनी तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस विभाग की सफलता का और कोई सबूत हो नहीं हो सकता। चुनाव आने वाले हैं अगर इस तरह की बातें न कही जायं तो उनको डर है कि वे चुनाव में कहीं हार न जायं। मैं समझता हूं इससे बड़ा सबूत इस विभाग की सफलता का और हो नहीं सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय यादव साहब से निवेदन करूंगा कि उन्होंने शायद इस विभाग के कामों को ध्यानपूर्वक देखा नहीं। हमारे प्रचार का ढंग ऐसा है कि जो लोगों के दिलों तक पहुंचता है, मगर उनको यह महसूस नहीं है कि हम कोई प्रचार के लिये उसे कर रहे हैं इस विभाग द्वारा एक चित्र तैयार किया गया है जिसमें एक ही आंगन में मंदिर और मस्जिद को दिखाया गया है। हमारी नीति है और हम चाहते हैं कि हमारे यहां हिन्दू तथा मुसलमान एक साथ रहें। (हर्षध्वनि) हम अपने यहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग टुकड़े नहीं होने देंगे। हमारा यही इरादा है।

मुझे परेशानी हुई यादव साहब ने जो बातें कहीं उनको सुनकर। उन्होंने यह कह दिया कि इनके यहां बड़ी भारी फिल्म पड़ी हुई थीं, कारेन एक्सचेन्ज था और उनका कभी प्रदर्शन नहीं हुआ और वह बेकार हुई। एक पुरानी फिल्म थी जो भारत सरकार से हमें मिली थी। उसका हमने दाम नहीं दिया था। जब एक स्टाक में वह खराब हो जाती है तो उसका यूटीलिटी नहीं रहती है। हमारे यहां स्टाक रजिस्टर नहीं था। आज अगर वह फिल्म दिखायें तो वह फिल्म देखने लायक भी नहीं है। वह हमें किसी दाम से नहीं मिली थी। एक पुरानी रिपोर्ट में वह बात आई। शायद वह पी० ए० सी० की रिपोर्ट में थी इसलिए उन्होंने कह डाला। हमने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह बात साफ भी कर दी थी। चन्द्र जीत यादव उसके मेम्बर भी थे। जब आप यह जानते हैं कि हमने यह चीज एक्सप्लेन कर दी थी तो इसमें कोई नयी बात नहीं रह जाती है।

हिन्दी के बारे में बात की गई हमसे। हमारे विभाग में हिन्दी में ही काम होता है। नोट्स आते हैं वे हिन्दी में ही आते हैं। आपने एक उदाहरण बताया। हो सकता है कि वह किस गलती से अंग्रेजी में लिख दिया गया होगा। जहां तक सूचना विभाग का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई काम नहीं है जो साधारणतः अंग्रेजी में होता हो। प्रेस के लिये रिलीज हो तो और बात है।

जहां तक पत्रकारों की बात कही गई, हमारा सम्बन्ध इस प्रदेश के पत्रकारों से बहुत अच्छा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रहे और आगे भी कोई ऐसा चेंज न हो उसको भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आज तक कोई भी सूचना नहीं है कि सूचना विभाग और पत्रकारों के बीच में कोई दो राय हों या हम अलग-अलग चलते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनसे हमें पूरा सहयोग मिलता है। जनतंत्र में जो कोई कमजोरी भी होती है तो उसकी खबरें भी छपती हैं। सूचना विभाग द्वारा हम कोई खबर सेन्सर नहीं करते। जिस स्थिति में भी कोई बात होती है वह हम दे देते हैं। शुक्ल साहब की बात हमारे साथी ने कही। हमने एक क्वेश्चिन कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के एक पत्रकार ही अध्यक्ष हैं और लोग सदस्य हैं। वे उस बात को नहीं माने। हम यह भी कर सकते थे कि उनको सहायता कह कर दिलवा देते। पर कमेटी की बात न मानकर हम सहायता कर देते यह भी उचित नहीं था। यह उनके भी आदर का प्रश्न था।

पिछले दिनों में हमारे विभाग में काम करने की बात है। इस लड़ाई के दौरान में आदरणीय सदन के सदस्य यह जानते हैं कि हमने इस विभाग में दिन रात काम करके बुलेटिन छापे, सूचना केन्द्र चलाये। देहात और शहरों में जो जो कि हालत थी उसकी जानकारी का प्रयास किया। मुझे परेशानी हुई श्रीमन्, विजयसिंह जी की बात सुनकर। हमने दिल्ली में एक आयोजन किया। आयोजन वहां एक सिनेमा के हाथ में था। कुछ हमारी अच्छी फिल्म्स थीं। उन फिल्मों को हमने एम० पी० और कुछ और लोगों को दिखाया। उसमें मैं था, माननीया मुख्य मंत्री भी थीं, हम लोग किसी और काम के सिलसिले में गये थे और हमारे विभाग के लोग भी एक दूसरे काम के सिलसिले में वहां थे। अगर हमने अपने एम० पी० ज० को एक फिल्म वहां जाकर दिखला दी तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी जिसका विरोध

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

किया जाय ? यह तो प्रचार के लिये था और हम बाहर के लोगों को दिखलाना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में हमने क्या-क्या कार्य किये हैं। और वह वह फिल्म थी जो हमने बना कर भारत सरकार को दी और उसका प्रचार हुआ, उसका खर्चा भी हमको मिल गया जो कि हमने किया था और उन्होंने जज किया कि वह हमारी अच्छी फिल्मों में से है। आपकी जानकारी के लिये मैं बतला दूं कि उन फिल्मों का प्रचार होने के बाद और देखने के बाद कई और प्रदेशों से मेरे पास चिट्ठी आयीं कि यह फिल्म कहां बनी, कैसे बनी, क्या वह फिल्म आप हमारे यहां भेज सकते हैं। या उनके बनाने के क्या क्या साधन है, आदि आदि। मेरे पास व्यक्तिगत चिट्ठी भी आयी। अगर दिल्ली में हमने एम० पीज० को एक फिल्म दिखला दी तो आपकी समझ से वह इतना भारीकाम हमने कर दिया जो कि हमें नहीं करना चाहिये था। दिल्ली में मेरे विभाग का एक छोटा सा सेंटर है जिसमें एक इनफार्मेशन आफिसर है, एक बाबू है और एक गाड़ी है। मैंने और स्टेट्स के इनफार्मेशन सेंटर्स को देखा है जहां १५-१६ आदमी हैं, सीनियर आफिसर्स है, पांच पांच हजार रुपये माहवार किराये के मकान हैं। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारा एक छोटा सा बजट है और इतने छोटे बजट में भी आप एक रुपये की कटौती करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप विभाग को बढ़ाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ एक रुपये की कटौती भी करना चाहते हैं। तो बढ़ाने और घटाने दोनों में सामंजस्य कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आता है। फिर भी दिल्ली में हमारा एक छोटा सा सेंटर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कटौती प्रस्ताव के रूप में बम फेंकना चाहते हैं और दूसरी तरफ विभाग के बजट में रुपया भी बढ़ाना चाहते है . . . . .

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि सूचना विभाग का बजट ज्यादा होना चाहिये और इसको बढ़ाना चाहिये तो फिर इस विभाग के बजट में ५ लाख रुपये की कमी आपने क्यों की है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा निवेदन है कि हरिजन अनुदान का पैसा लेकर इस सूचना विभाग में लगा दिया जाय।

श्री हरीसिंह—

अगर इसको लगा दिया जाय तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हिन्दी समिति की यहां चर्चा की गयी। मैं जानता हूं कि हिन्दी समिति ने इन पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। इस साल भी हमने १८ पुस्तकें छापीं हैं, और पुस्तकें भी हम छापने का इरादा रखते हैं। मैं यह भी बतला दूं कि इस साल हमने इस बात का भी प्रयास किया कि हमारी पुस्तकें ज्यादा बिकें। २ लाख २० हजार रुपये की पुस्तकें हमने छापी हैं, लेकिन जिस तरह की पुस्तकें हिन्दी समिति की विभाग द्वारा छपती हैं वैसी साधारणतया मारकेट में नहीं छपती हैं। साधारण उपन्यास वगैरह जैसी पुस्तकें हमारे यहां नहीं छपती हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी हैं जिनको अब यूनिवर्सिटी छापने लगी है। हमारा काम ज्यादातर उन पुस्तकों को छापना है जो यूनिवर्सिटीज नहीं छाप सकती हैं, जिनको साधारण पब्लिशर्स नहीं छाप सकते हैं। जैसे जो रेयर किताबें होती हैं जिनको कुछ विद्वान लोग ही पढ़ा करते हैं और साधारणतः जिनको छापने में ज्यादा दाम लगता है उन पुस्तकों को हम छापते हैं। हमारे यहां की किताबों का दाम तो ज्यादा है, लेकिन उनमें जो कुछ मेटिरियल्स है उस हिसाब से वे बहुत सस्ती हैं। क्योंकि ये हमारी वे पुस्तकें हैं जिनको कोई दूसरा छाप नहीं सकता है। क्योंकि छापने में बहुत खर्च हो जाता है इसलिये उसके दाम भी बहुत

ज्यादा आते हैं। इनकी कोई कामर्शियल वैल्यू नहीं है। कभी समय पर लोग उनको लाइब्रेरी से ले आते हैं। इस पर भी हमारा यह प्रयास है कि हिन्दी में हम ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें छापें जिससे हिन्दी का प्रचार हो।

एक बात अखबारों के बारे में कही गयी। हम इस बात का प्रयास करते हैं कि समय पर पत्रिका प्रकाशित हो जाय, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट प्रेस में, जहां ये छपती हैं, कुछ देर लग जाती है। ५-७ रोज की देर हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं मालूम होती। जहां तक त्रिपथगा का संबंध है उसमें पिछले दिनों में जो लेख छपे हैं उनको आज भी बड़े बड़े साहित्यिक पढ़ते हैं और उनको अपने पास रखते हैं। बड़े ऊंचे दर्जे के वे लेख हैं। साहित्यिक और मनीषी लोगों में इसका बड़ा मान है। जहां तक उर्दू का सवाल है हम उर्दू में भी साहित्य छपवाते हैं।

श्री उग्रसेन--

मीर और गालिब की शायरी क्यों नहीं छपवाते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मीर और गालिब के ऊपर तो बहुत सा साहित्य मौजूद है। हम तो अधिकतर उन को छपवाते हैं जो रेअर हैं।

आखीर में चारों ओर से इस बात की बड़ी भारी मांग आयी कि सूचना केन्द्रों को तोड़ा न जाय। १०-१५ दिन से मेरे पास निरन्तर तार आ रहे हैं कि सूचना केन्द्र न तोड़े जायं। ललितपुर की सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी हमारे पास तार आया है कि सूचना केन्द्र न तोड़ा जाय। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे विभाग का काम और प्रचार देहात में भी हुआ है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा रहे हैं। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं कि सब लोग अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस ले लें और इस अनुदान को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय निष्क्रियता, विभाग का दलीय स्वार्थ में उपयोग और सामान्य नीतियों की चर्चा तथा सुझाव एवं शिकायतें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७-सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५७,८१,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत १०,८९,६२,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन के अन्तर्गत ५,१४,८०० रुपये की मांग वर्ष, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्यपालन के अन्तर्गत ४,७८,६९,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १८,५०,३२,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, यह विभाग और या मांगे ऐसी हैं कि जिनके बारे में शायद दो रायें नहीं हो सकतीं । उत्तर प्रदेश में खेती और पशुपालन के दोनों काम ऐसे हैं कि जिसका प्रदेश के आर्थिक ढांचे से गहरा सम्बन्ध है । जिस सूबे में सौ में से ८७ आदमी गांवों में बसते हों और सौ में से ७५ आदमी खेती पर आश्रित हों तो उसका प्रभाव सारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे पर पड़ता है । और इसको देखते हुये यह रकम ज्यादा नहीं है । फिर भी सीमित साधनों के अनुसार जितनी भी सहायता खेती करने वालों की की जा सके, जितनी भी सेवायें उन को उपलब्ध कराई जा सकें उसके लिये प्रयत्न किया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की सलाह को सुनकर उससे लाभ उठाया जाय । लेकिन थोड़ी बातों की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा और फिर उनके विचार सुनने के बाद हम अपने विचार व्यक्त करें तो अच्छा होगा । श्रीमन्, यह लगभग ३९ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है । इसमें अगर मोटे तौर पर समझें तो १६-१७ करोड़ रूपया तो इसलिये है कि उससे कैमिकल फर्टीलाइजर लोगों तक पहुंचाया जा सके । उसका खरीद और बिक्री का यह रकम है । अतः इसमें कमीवेशी या किसी दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है और शेष रकम जो है वह श्रीमन्, सेवाओं पर खर्च होने वाली रकम है और जो विकास के कार्य किये जाने वाले हैं, उनके लिये है । मैं मोटे तौर पर सदन के सामने इस बात को रख देना चाहता हूं कि इस रकम को रखने से हमारा क्या इरादा है । सबसे बड़ी जो बात है वह यह है कि अगले वर्ष में लगभग ११ लाख टन अनाज की उपज बढ़ाने का इरादा है । इसी तरह से गन्ने में भी ३ लाख टन गुड़ बढ़ाने का इरादा है । तिलहन में भी जो हमारी उपज है वह इस वर्ष १५ लाख टन होने का अनुमान है । इसको अगले वर्ष ९० हजार टन और बढ़ाने का इरादा है । जूट में इस वर्ष १ लाख ७० हजार गांठ पैदा होने का अनुमान है, इसको भी अगले वर्ष में ५ हजार अधिक गांठ बनाने का इरादा किया गया है । रुई के अधिक उत्पादन के लिये भी बहुत प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन जहां हम पहुंचना चाहते थे उतना नहीं पहुंच पाये । फिर भी अगले वर्ष प्रयत्न करेंगे कि उस लक्ष्य तक पहुंच पायें ।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमने फर्टीलाइजर का प्रबन्ध किया। लेकिन बीज का महत्व सबसे बड़ा कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। सरकार यह चाहती है कि अच्छे प्रकार के बीज किसानों को उपलब्ध कराये जायें। गत वर्ष जो फार्म हुए वे केवल २ १/२ हजार एकड़ में हो हुये हैं। अगले वर्ष में और फार्म बढ़ा के अच्छे प्रकार के बीज उत्पन्न करने की योजना है। फिर भी पहले के फार्म और आगे होने वाले जो हमारे फार्म होंगे, उनसे बीज की कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। हमारी यह भी योजना है कि अच्छे बीज किसानों तक हम पहुंचा सके।

अच्छे बीज के साथ साथ बीमारियों से रक्षा करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि पिछले वर्षों में जितना प्लान्ट प्रोटेक्शन का प्रबन्ध किया गया था उससे आगे के लिये अगले वर्षों में और अधिक किया जाय। ८० लाख एकड़ को बीमारी से बचाने की योजना की गयी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

लेकिन हमारे यहां पर तो सब चूहे खा गये हैं।

श्री गेंदासिंह--

तो मैं क्या कर सकता हूं जब आप बिल्ली पालना नहीं चाहते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि वे एक बिल्ली पाल लें। उससे तो परोपकार होगा। दूसरे के घर के चूहे मर जायेंगे।

श्री उग्रसेन--

चूहे मारने के लिये कोई अनुदान इसमें है कि नहीं? नहीं, तो चूहे मारने के लिये कमिश्नर बना दिया जाय।

श्री गेंदासिंह--

हम दोनों एक ही जगह के साथी हैं, मैं दावत देता हूं माननीय उग्रसेन जी को कि चूहा कमिश्नर वह हो जायं।

चूहा मारने के लिये भी तराई में, शाहजहांपुर में या जहां कहीं भी ऐसा मालूम हुआ कि चूहों का ज्यादा उत्पात है तो भरसक प्रयत्न किया गया है कि उनको नष्ट किया जाय। इस वर्ष चूहों ने बहुत उत्पात किया है, यह सही है। उसके लिये कुछ विशेषज्ञों को लगाया गया है कि पता लगायें कि आखिर यह क्यों ऐसा हुआ और उसके लिये आगे जरूरी प्रयत्न किये जायेंगे। चूहों के मारने का व्यापक प्रयत्न किया जाय क्योंकि उनकी वजह से बहुत अन्न की क्षति होती है। इसी तरह से दूसरी बीमारियां हैं जो पौधे की जड़ में बीमारी लगती है या कुछ गंदी मक्खियां बैठती हैं या कुछ ऐसे कीड़े लगते हैं जो जड़ से काट देते हैं पौधों को, उनको नष्ट करने के लिये कुछ किसानों को ट्रेन्ड करना और उसी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर दवाई और इलाज का भी बन्दोबस्त किया जाय। जितना बन्दोबस्त पिछले वर्ष किया गया उससे बड़े पैमाने पर अगले वर्ष बन्दोबस्त किया जायगा।

फर्टीलाइजर इस वर्ष कम मिला। इससे पहले वर्ष में कुछ अधिक मिला था और इस वर्ष बहुत प्रयास करने के बाद भी, अपने अफसरों को यहां से पोर्ट्स पर भेजा गया और भारत सरकार से आग्रह किया, खास तौर से मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया जिसका कुछ परिणाम हुआ और वह यह कि ३८, ३९ स्पेशल ट्रेन्स भेजी गईं वहां से जिससे फर्टिलाइजर

[श्री गेंदासिंह]

कुछ पहुंच पाया। फिर भी दो सीजन में जितना हम देना चाहते थे उतना नहीं दे पाये। अगले वर्ष के लिये यह व्यवस्था की गई है कि फर्टिलाइजर कुछ अधिक प्राप्त हो सके। फर्टिलाइजर के स्थान पर इस बात की व्यवस्था जरूर की गई है कि मनुष्य के श्रम से जो खाद बन सके उसको भी बनाने का यत्न किया जाय और उसके लिये सरकारी सेवायें भी उपलब्ध हैं। कम्पोस्ट बनाने के लिये हर ब्लाक में लोग रखे गये हैं ताकि किसानों की मदद कर सकें, कुछ उन को ट्रेन्ड कर सकें और कुछ मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिये इंतजाम किया गया है और मैं समझता हूं कम्पोस्ट ऐसी खाद है जिससे खेती को बहुत खतरे की बात नहीं हो सकती। फर्टिलाइजर के लिये तो कभी-कभी सुना जाता है कि जहां पर पानी न पहुंचा सकें वहां फर्टिलाइजर का प्रयोग शायद नुक्सानदेह साबित हो। लेकिन कम्पोस्ट और गोबर की खाद ऐसी है जिससे किसी तरह का खतरा नहीं हो सकता। इसी तरह से ग्रीन मेन्योरिंग का यह बन्दोबस्त किया गया है कि इस वर्ष पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में पहुंचायी जाय और अधिक जमीन पर इसको बोया जाय ताकि इससे कुछ लाभ हो। ऐसी फसलों के बोने का बन्दोबस्त किया गया है जिनको बो करके खाद का काम भी लिया जा सके और उसी के साथ जितने वक्त में हम खाली खेत रखते हैं उतने वक्त में, उस फसल को ले करके दूसरी फसल बो सकें। इस प्रकार के बीज सप्लाई करने का प्रयत्न किया जायगा। जो बीज थोड़े ही समय में अच्छी पैदावार दे सकें ताकि ज्यादा फसलें जमीन से ली जा सकें और उसी के साथ-साथ अच्छी पैदावार भी ली जा सके। तो ऐक्सटेंसिव और इन्टेंसिव दोनों काम करने का विचार है। मैं माननीय मित्रों का ध्यान कुछ अपनी सफलता की ओर ले जाना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी के विभाग ने आंकड़ों की समीक्षा करके एक पुस्तिका बांटी है, लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेजी में छापी है।

श्री गेंदासिंह--

एक बात मैं बार-बार दोहराना चाहता हूं। वह यह है कि साग सब्जी का काम शुरू किया गया। पिछले १० वर्ष में आलू, टिमाटर, साग व सब्जी के दाम इतने सस्ते नहीं हुये जितने पिछले महीनों में हुए। मैं समझता हूं इसके लिए मुझे उलाहना मिलेगा। सारे देश में महंगी की आग लगी हो, लेकिन साग सब्जी इतनी सस्ती हो.....

श्री उग्रसेन--

साग सब्जी में सरकार की क्या देन है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

सरकार कब तक फूड में प्रदेश को सेल्फ सफिशेंट कर देगी यह बतलाइये?

श्री गेंदासिंह--

सबसे आखिर में मैं यह बतलाऊंगा। उग्रसेन जी को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे विभाग का यह कांट्रिब्यूशन है कि पिछले साल १४ हजार किलो हमने बीज बांटा था लेकिन इस साल १ लाख २६ हजार किलो बीज बांटा। पिछले साल ५ लाख पौधे बांटे थे, लेकिन इस साल २ करोड़ १७ लाख पौधे बांटे। उग्रसेन जी अगर मानें तो हमारे हार्टिकल्चर विभाग का कोई न कोई आदमी उनके पास भी गया होगा।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी के विभाग ने यह आंकड़े नहीं दिये कि उसने जो पौधे बांटे उनमें कितने प्रतिशत पौधे जिन्दा रहे और कितने प्रतिशत पौधे मर गये?

श्री उपाध्यक्ष--

वह अन्दाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

हमारे यहां २०० गोभी के पौधे बांटे गये, लेकिन एक भी गोभी पैदा नहीं हुई।

श्री गेंदासिंह--

मैं अर्ज करूं कि हाउस गवाह है, सारा प्रदेश गवाह है और उग्रसेन जी भी गवाह हैं कि अगर हमारा बीज ऐसा ही खराब होता तो सारे प्रदेश में यह तूफान क्यों मचता कि सस्ती आ गयी? आपका खेत खराब था? ठीक तरह से हमारे माननीय ऊदल जी के खेत के बारे में मुझे जानकारी है कि वह खराब है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

यह तो श्रीमन्, आपके ही हैं क्योंकि बीज डालने वाले किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये।

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कृषि मुहकमे ने तथा अन्य सरकारी मुहकमों ने इस काम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो हम खराब काम करें उसके लिये तो जरूर कहिये, लेकिन जो अच्छा काम करें उसके लिये पीठ भी ठोकनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि ट्यूबवैल्स के बारे में माननीय उग्रसेन जी नाराजगी के साथ कहते हैं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पिछले साल देश की पुकार पर माननीय सदस्यों ने सरकार की अपील पर ट्यूबवैल्स को देखा और लगभग डेढ़ गुनी जमीन को ज्यादा पानी दिया जा सका है। हम समझते हैं कि हम कुछ कर पायंगे और जो कुछ हुआ है उसको आप लोग मान्यता दें तो आगे के लिये भी जो सुझाव देंगे उसको करने की चेष्टा की जायेगी। माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि कब तफसील्फ सफारिशें अनाज के मामले में ले आयेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जब आयेगा उससे पहले उत्तर प्रदेश में आयेगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा की ओर चल पड़ा है। सारे भारत वर्ष में सूखा पड़ा और हमारे यहां भी पड़ा। लेकिन हमारे यहां के किसानों ने परिश्रम किया। वैसे किसानों को सूखे से काफी क्षति उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसका परिणाम हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश भारत के उन हिस्सों से जो आज से पहले हमसे बहुत आगे थे, वह आज कहलाने योग्य हैं कि यह अन्य प्रदेशों से कम विपत्ति में हैं और हमें गौरव होता है कि चीफ मिनिस्टरों की कांफ्रेन्स में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम एक करोड़ मन आलू १० रुपये मन के हिसाब से देने के लिये तैयार हैं और एक हजार मन चावल भी दिया। हम मद्रास के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमसे ५० हजार टन आलू लेने को कहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

कितना आलू आप बाहर भेज रहे हैं?

श्री गेंदासिंह--

इसका हिसाब हमने नहीं लगाया है। जितना दस रुपये मन से हम खरीदेंगे वह बाहर भेजेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

लोग कहते हैं कि साढ़े तेरह लाख टन आलू पैदा हुआ है।

श्री गेंदासिंह—

हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि कीमत इतनी बढ़ जाये जिससे लोगों को खरीदने में दिक्कत हो और न ज्यादा नीचे रहनी चाहिये। सामान्य कीमत रहनी चाहिये।

इस बजट का एक अंग पशुपालन का है। इस समय पशु चिकित्सालय हमारे यहां ९३६ हैं जो २५ लाख रोगियों का इलाज करते हैं। १२५५ पशु केन्द्र इस समय हैं, जो एक करोड़ २३ लाख पशुओं के टीका लगाने का काम करते हैं। यह टीका लगाने का जो कार्य है, उसे और बढ़ाने का आयोजन किया गया है। श्रीमन्, यह बात बहुत आवश्यक है और इस ओर मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने देश में जो प्रथा थी सांड़ पालने की और सांड़ छोड़ने की वह प्रथा अब बन्द हो गयी है, लेकिन पशुओं की संख्या कम नहीं हुई है। इसलिये यह राज्य का काम है कि सामाजिक क्षेत्रों में सांड़ और भैंसा छोड़कर जो काम चल जाता है राज्य उसे चलाये। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को बढ़ाने का आयोजन किया गया है। पिछले सालों में जितने थे, उससे ११९ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र इस वर्ष और बढ़ाये जायेंगे। इसके विरुद्ध सदन के लोगों में एक वातावरण है। पुराने ढंग से सांड़ मिल न सके, इसलिये ११ हजार सांड़ और भैंसे जो छोड़े गये हैं, उनकी ठीक से देख रेख करने में कठिनाई हुई है और कभी कभी लोग उनको मार भी देते हैं। तो एक तो उन सांड़ों की तरफ आपका समुचित ध्यान दिलाने के लिये और उनसे लाभ पूरा-पूरा लोग उठा सकें, मैं अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि जहां भी मैंने जाकर देखा है वहां पर मैं कोई बहुत सन्तोष की बात नहीं कह सकता.....

श्री उग्रसेन—

आपने सांड़ों के संबंध में एक पुस्तक भी छापी है जिसपर सांड़ विशेषज्ञ एक मंत्री जी की भी फोटो छपी थी।

श्री गेंदासिंह—

मैंने आपका ध्यान दिलाने के लिये वह फोटो छपवाकर बांटी थी। मैं समझता हूं कि आप का ध्यान उस ओर जाना चाहिये। श्रीमन्, गरीबों के लिये कुक्कुट पालन एक बड़ा उपयोगी काम है इस काम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का हमारा विचार है। यह पिछले साल भी बढ़ाया गया है। जितने चूजे पहले निकलते थे उसे बढ़ाकर मैं चाहता हूं कि इस काम को ज्यादा दूर तक फैलाया जाये। श्रीमन्, भेड़ सुधार जरूरी काम मालूम पड़ता है। पहाड़ों पर इसके कुछ तो फार्म खोले गये हैं और कुछ भेड़ और ऊन के ऐसे केन्द्र खोले गये हैं, जहां पर उनके सुधार का कुछ काम हो सके। अभी तक तो मैं समझता हूं, ११ भेड़ फार्म थे, ७८ भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र और खोले गये हैं। शूकर विकास के लिये भी २६ विकास खंडों में काम शुरू किया गया है। इस ओर भी मैं अपने साथियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मत्स्य पालन का भी आवश्यक काम है। इसके लिये उत्तर प्रदेश में बहुत स्कोप है। उसके लिये इस वक्त यह सोचा गया है कि ग्राम के कुछ पोखरों को गहरा किया जाये और उनको गांव की सम्पत्ति बना दिया जाये। इसके लिये बड़े पैमाने पर काम करने का हमारा इरादा है, लेकिन हमारी कुछ रुकावट है। मैं समझता हूं रूरल मैन पावर स्कीम से कुछ धन की व्यवस्था इस कार्य के लिये करने का मेरा विचार है और गांव के लोगों को प्रेरित करने का काम इस सदन के माननीय सदस्यों का है कि वे प्रत्येक गांव में कम से कम एक मत्स्य पालन केन्द्र बनाने की चेष्टा करें। और यह जो काम है, वह इतना बड़ा काम है कि इस ओर दूसरे लोगों का भी ध्यान गया है, रोजगार के खयाल से और खुराक की कमी की वजह से भी।

श्री उग्रसेन—

आप कोई कारपोरेशन या नियम भी बना रहे हैं, इसके लिये ?

श्री गेंदासिंह—

भारत सरकार ने तो एक निगम बनाया है और यहां भी बनाने का हमारा विचार है। सोचा जा रहा है कि अगर नियम बनाने से लाभ पहुंचे तो जरूर बनाया जाय। दूसरी बात गन्ने की है। अगर उसकी ज्यादा चर्चा करूं तो लोग कुछ गन्ने को हमको बीमारी कहते हैं...

एक सदस्य—

जरा पुरानी आदत को भी याद रखियेगा।

श्री गेंदासिंह—

जगह छोड़ने के बाद आदत कुछ तो बदलनी पड़ती ही है। मैं अपने मित्रों से चाहता हूं कि अब वे उस मेरे काम को उठा लें। और कभी-कभी हमसे भी सलाह मश्विरा ले लिया करें जिससे गलती न हो। तो गन्ने का काम हमारे सूबे के लिये इतने महत्व का है कि जिसे मैं भुला नहीं सकता। गन्ने में कुछ विकास का काम किया गया। लेकिन जितना भी विकास अभी तक हुआ है उसका श्रेय गन्ना विभाग के अधिकारियों को है। गन्ना विभाग के लोगों ने बड़ा भारी काम किया है। क्षेत्रफल कम करने का भी वे विचार कर रहे हैं। कोशिश है कि ५ लाख एकड़ से ही गन्ना सब फैक्टरियों को सप्लाई कर दें। साथ ही चौथे प्लान में शुगर कारखानों को कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसलिये ५ लाख एकड़ और बढ़ाने की बात चल रही है। इस समय २४ लाख एकड़ रिजर्व एरिया है। हम चाहते हैं कि १० लाख एकड़ में सारी फैक्टरियों की जरूरत पूरी कर दें। इस समस्या पर हम विचार करेंगे। इसमें दो राय नहीं है कि पानी का बन्दोबस्त करना, सड़कों का बन्दोबस्त करना जिससे गन्ना मिलों में आसानी से जा सके, अच्छा बीज देना और अच्छे किस्म की खाद देना जिससे ईल्ड ज्यादा हो और शुगर भी ज्यादा निकले, ये सब काम भी आवश्यक हैं और इनकी पूरी चेष्टा की जा रही है। इन सबका इसमें (पुस्तिका दिखाते हुये) जिक्र है और जब आप अपने विचार व्यक्त करेंगे तो उनसे हमारा बड़ा उपकार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जहां आप विवाद तो करेंगे ही, वहां कटौती का प्रस्ताव शायद नहीं पेश करेंगे।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २०, २१, २२, और ४७ में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय—कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, हर माननीय सदस्य को और मंत्री जी को भी मालूम ही है कि कटौती के प्रस्ताव का एक खास मतलब होता है और वह यह कि अपने सुझाव रखना, विभाग की टिप्पणी करना, उसकी खामियों को सदन और मंत्री जी के सामने रखना और उन खामियों को कैसे दूर किया जाय, इसके सुझाव देना। खेती क्या है, हमारा किसान इसको क्या समझता है, हमारा किसान समझता है कि खेती मां है। धरती को और खेती को वह अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

मां कहता है । यह बात नहीं है कि यह दृष्टिकोण भारतीय किसान का ही है । यह यूरोप और अमेरिका के किसानों का भी है कि धरती मां है । इसके लिये मैं आपके सामने कुछ कोट करना चाहता हूं--

"At the head of all suences and arts. at the head of all civilisation and progress, stands no nilitarism,the science thatki lls, no comnerce, the art that accumulates, the agriculture, the mother of all industries and the maintenance of human life"

यह दृष्टिकोण हमारा ही नहीं है, बल्कि सारी दुनिया का है । भारतीय किसान कितनी ही मुसीबत में क्यों न हो, आध पेट खाना खावेगा, बदन पर पूरा कपड़ा नहीं पहनेगा, मगर धरती को, खेती को, नहीं बेचेगा । मुझे इसी पर सर इकबाल का एक शेर याद आ गया ।

"सच कहूं ब्रहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गये पुराने ।"

मैं माननीय गेंदासिंह जी से उम्मीद करता था कि चूंकि वह एक किसान के बेटे हैं, धरती के पूत हैं, हमको बड़ी खुशी हुई जब वह कृषि मंत्री हुये कि वह इसके ऊपर कोई नयी रोशनी डालेंगे, न कि वही पुराना पिटा पिटाया गाना और रेकार्ड जो हम हमेशा से सुनते चले आये हैं, उसे अपनी मीठी भाषा में रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज खाने की समस्या की जिम्मेदारी न प्रदेशीय और न केन्द्रीय सरकार की रह गई है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय हो गई है । अमरीका ने ३० लाख टन गेंहूं और देना स्वीकार किया है और विदेशों में यह बात फैली है कि भारत भूखों मर रहा है, गल्ला नहीं है, देश बरबाद हो जायगा, गिरजों में घंटे बजाये गये । नेदरलैंड में, इंग्लैंड में, स्पेशल सर्विसेज हुई, वहां के लड़कों ने अपने टिफिन में पैनियां बचाकर दीं कि हिन्दुस्तान भूखों मर रहा है । यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिये बड़े शर्म की बात है और इससे हमारा सिर नीचे झुक जाता है । हमारे लिये वहां के गानेवालों ने एक्स्ट्रा प्रोग्राम दिये । इस तरह खाने से तो भूखों मर जाना अच्छा है । यह है हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं का नतीजा ।

अगर मंत्री जी बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं । खेती के लिये कुछ चीजों की आवश्यकता होती है । पहले तो खेत ही होना चाहिये, फिर श्रम, पूंजी, पानी, खाद, बीज और इन सबके बाद इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होने चाहिये । माननीय मंत्री जी ने ११ करोड़ रुपये हमसे मांगे हैं । तो क्या मैं उनसे यह पूछने का अधिकार रखता हूं कि इनमें से कौन से काम आपने किये हैं । खेत किसान के पास है, श्रम उसका अपना है, पूंजी प्लानिंग और गन्ना विभाग देते हैं, बीज बांटता है कोआपरेटिव विभाग, इम्प्लीमेन्ट्स देता है कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, पानी देता है इरीगेशन डिपार्टमेंट और पानी के लिये बिजली देता है बिजली विभाग ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय गेंदासिंह जी खेत जोतें ?

श्री भगवान सहाय--

बिलकुल नहीं । मेरा केवल यह निवेदन है कि साल भर के लिये वह सो जावें । अपने अफसरों को भी सुला दीजिये । साल भर के लिये यह हमारी प्रार्थना है । हम नहीं चाहते कि आप हमारा खेत जोतें या दूसरे किसी का खेत जोतें । क्योंकि हम समझते हैं कि खेत तो किसान के पास है ही, श्रम है ही । पानी-नहर और ट्यूबवेल दे ही देंगे और जो ताल-तलैया में से निकलता है वह किसान निकाल लेगा और ड्राई फार्मिंग वह करता रहेगा । बरसात हो गयी तो ठीक है वरना जो कुछ इन्तजाम कर सकता है वह करता ही है । इसी तरह से बीज भी

मिल जायगा, पूंजी भी प्लानिंग डिपार्टमेंट से मिल जायगी वरना रुपया, डेढ़ रुपया सैकड़ा सूद पर ले लेगा जैसा कि लेता रहा है। और आप साल भर तक सो जाइये। साल भर बाद आप देखेंगे कि गेहूं भी खड़ा हुआ है, गन्ना भी खड़ा हुआ है, सब्जियां भी खड़ी हुई हैं, आलू भी है और खलिहानों में पड़ा सड़ रहा है, वे सब चीजें आप देखेंगे और ११ करोड़ रुपया जो किसान के हैं वह बच जायेंगे—जो कि आपका बजट है। और अगर कहीं अच्छी बारिश हो गयी तो आपके ढोल बरकरार रहेंगे। आप ढोल पीटेंगे कि हमारी फसल इतनी अच्छी हो गयी, हमने यही यह कार्यवाही की। और अगर कहीं बदकिस्मती से फसल खराब हो गयी तो अल्लाह मियां तो गाली देने के लिये हैं ही। कहा जायगा कि क्या करें, सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, या बाढ़ आ गयी, ओले पड़ गये, यह अल्लाह मियां का किया कराया है और उसका खमियाजा भोगेंगे ठा० हुकुम सिंह। उनसे कहा जायगा कि लैंड रेवेन्यू माफ करो, तकावी दो, वसूली स्टे करो। बहिया आ गयी तो खरीफ का जायद फसल का और रबी की फसल का लगान माफ करो। सूखा पड़ गया तो वही हाल। तो मंत्री जी महाराज आपके विभाग की क्या जरूरत है? अब तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयी हैं और आज हमने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट रखा है और अगर इन आंकड़ों को हम देखें तो एक बात बजट में अच्छी है कि भाग २ में ब्योरेवार हर एक डिपार्टमेंट के आंकड़े दे दिये हैं कि स्टाक में इतना और अन्य कार्यों में इतना। तो आपकी १०,८९,६२,१०० रुपये की जो मांग है अगर इसको टुकड़ों में करें तो ३९९३ हजार अफसरों पर, ३,७४,५५,००० इस्टैब्लिशमेंट पर, ३७,०९,००० यातायात पर, ७६,०९,३०० ट्रैवलिंग अलावेंसेज में, दूसरी चीजों पर ९८,७१,०००। तो सब मिलाकर ५,५७,४४,८०० रुपया हुआ। इसमें आप देखें कि आपका ५१.१ फीसदी पूरे बजट का तनख्वाहों में चला जाता है। माननीय गेंदासिंह जी, मेहरबानी करके बताइये कि यह कौन सी इकोनामिक प्लानिंग के आधार पर है कि किसी भी बजट का ५१ फीसदी रुपया तनख्वाह में चला जाय? यह कौन सी इकोनामिक थ्योरी के आधार पर आपने बजट बनाया है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसी १०,८९ लाख के बजट में आफिस कांन्टिजेंसी पर ५४ लाख, अदर कांटिन्जेंसीज पर २,९८,००,००० रु० टोटल हुआ, २,९८ लाख जो कि २७.५ प्रतिशत हुआ। मैं माननीय गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि ११ करोड़ में से २ करोड़ रुपया आप मांगना चाहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं देना चाहते सदन को, यह कौन-सी नैतिकता है? इसका हिसाब आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि यह ३ करोड़ रुपया कैसे और कहां खर्च होने जा रहा है? फिर आप हमसे चाहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करें और इसका हिसाब नहीं। आप इसका हमको हिसाब देने के लिये तैयार नहीं हैं कि यह ३ करोड़ रुपया आप कहां खर्च करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही हिसाब आप पिछले सालों का देखें—

	रुपये
१९५२-५३ में ..	१,६७,१६,७००
१९५७-५८ में ..	३,३२,५८,६००
१९६२-६३ में ..	५,६८,२२,०००
१९६३-६४ में ..	१०,८९,००,०००

१९५२ से लेकर १९६७ तक आप मुसलसल इसको बढ़ाते चले जाते हैं। जहां तक रुपये का सवाल है बड़ी तेजी के साथ आपका बजट बढ़ता चला जा रहा है। उसका नतीजा क्या है, यह भी जरा देख लिया जाय। आपका जो प्रोडक्शन है वह निरन्तर घटता चला जा रहा है। इतने बड़े खर्च का यह नतीजा निकलता जा रहा है—

१९५०-५१ में प्रोडेक्शन ११५.८९ लाख टन
१९५५-५६ में प्रोडेक्शन ११८.६७ लाख टन

[श्री भगवान सहाय]

१९६०–६१ में प्रोडक्शन १४८.५७ लाख टन
१९६१–६२ में प्रोडक्शन १३८.३९ ,,
१९६२–६३ में प्रोडक्शन १३२.८३ ,,
१९६३–६४ में प्रोडक्शन ११६.२० ,,
१९६४ में प्रोडक्शन १५२ लाख टन

चौथी पंचवर्षीय योजना के इसमें आंकड़े नहीं हैं। यह आपकी पोजीशन है।

क्या वजह है कि यह घटता चला जा रहा है? वही कहावत है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। आपने एग्रीकल्चर पोटेन्शल बढ़ाया। माइनर इर्रीगेशन का इन्तजाम किया। मेजर इर्रीगेशन कराया। फर्टीलाइजर दिया। बीज ज्यादा दिया। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस दिये, लेकिन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आप प्रदेश को ५२–५३ के लेविल पर ले आये। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये पोटेन्शल बढ़ाया था। उसका हमने टारजेट भी फिक्स किया था। पोटेन्शल बढ़ाने के लिये हमारे यहां बहुत सा रुपया भी खर्च किया गया और दूसरे भी काम किये गये, लेकिन अहम बात यह है कि टारजेट फिक्स करने के बाद भी और इतना पोटेन्शल देने के बाद भी हम उसको पूरा नहीं कर पाये।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमने क्या टारजेट फिक्स किये थे और हमारे अचीवमेंट क्या हैं :—

१९६१–६२ में टारजेट था	८.७२७
अचीव किया	४.२१७
१९६२–६३ में टारजेट था	१२.३०२
अचीव किया	४.२८०
१९६३–६४ में टारजेट था	१२.१४७
अचीव किया	६.१५०
१९६४–६५ में टारजेट था	१२.१५७
अचीव किया	९.१८३
१९६५–६६ में टारजेट के आंकड़े प्राप्त नहीं हुये।	
अचीवमेंट	९.१८१ है।

हमने उतना प्रोडक्शन नहीं दिया जितना हमने चाहा था और जितना हमने फिक्स किया था। इसके साथ फिर यह सवाल भी आता है कि जमीन का रकबा बढ़ता चला गया और इस बीच में आपने जमीन भी बहुत तोड़ी। आपने तोड़ी, हमने तोड़ी, किसानों ने तोड़ी, लेकिन किसी भी तरह हो, जमीन तोड़ी और आप की पैदावार १९५२–५३ के लेविल पर आ गयी। रकबा बढ़ा, पानी बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पोटेंशियल बढ़ा, लेकिन पैदावार पुराने जमाने के लेविल पर आ गयी। यह है आप का एचीवमेंट जिस के लिये आप ने इतना ढोल पीटा। मैं तो समझता था कि आप कहेंगे कि हमारे विभाग ने कुछ भी एचीव नहीं किया और अब हम इस काम को पूरा करेंगे। मैं खुद भी खेती करता हूं और समझता हूं कि इस सदन के अधिकतर सदस्य उससे संबंधित हैं। मैं साफ पर से कहना चाहता हूं कि और जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आखिर मैं ज्यादा पैदा करूं किस लिये? मुझे फायदा क्या है? आलू ज्यादा पैदा किया आप के कहने से, लेकिन उसका भाव है आज चार रुपये मन (व्यवधान)। आप मुझे चुनौती न दें। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद में अगर चार रुपया मन आलू न बिका हो तो जो सजा चाहिये आप मुझे दीजियेगा। आप ने नया बीज दिया, लेकिन अब आप उसे हम लोगों को देना नहीं चाहते। वह आप मद्रास भेज रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपका आलू बिका या नहीं ?

श्री भगवान सहाय—

मेरा तो जरा भी नहीं बिका। आप का आलू बिक रहा है अखबारों में। आज भी शाहजहांपुर जिले में साढ़े सात रुपये का भाव है। शाहजहांपुर जिले से आलू बाहर भी नहीं गया।

एक बात और कहना चाहता हूं। आप एग्रीकल्चर पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कम्पोस्ट स्कीम में जो आपने ४०० ए०डी०ओ० को नोटिस दे दिया कि तुम नौकरी छोड़ जाओ इस के बाद आपने उन से कहा कि तुम सिविल सप्लाईज में नौकरी कर लो। २५० को वहां रख लिया गया और ६० जो बचे उन को आप ने निकाल दिया। अब उस के बाद आपने एक दूसरा जी० ओ० निकाला कि जो यहां रह गये हैं वे रहेंगे और जिन्होंने कहीं और ज्वायन कर लिया है उन को हम लेने के लिये तैयार नहीं हैं। यह कौन सा न्याय है ? यह कहां की प्लानिंग है ? आप को मालूम होना चाहिये कि हम कितना कम्पोस्ट बनाने वाले हैं, उसके लिये हमको कितने आदमियों की जरूरत होगी। आपने पुराने ६० आदमी निकाल दिये और उनके स्थान पर नये आदमी रख लिये। यह क्या है ? यह मेरी समझ में नहीं आया।

इस के अलावा आप के प्रदेश के ८६ प्रतिशत लोग खेती करते हैं। इसलिये हमारे प्रदेश में खेती का बड़ा महत्व है। इसकी अहमियत को आप कम न कीजिये। लेकिन इस के साथ यह उन बदकिस्मत जिलों में से है कि जहां लैंड रेवेन्यू का रेट देश से और सभी प्रदेशों से ज्यादा है प्रति एकड़। शायद ही किसी एक स्टेट से कम हो। इसके अलावा परसेंटेज आफ लैंड रेवेन्यू टु टोटल टैक्सेज आप का सबसे ज्यादा है। ४.६८ लैंड रेवेन्यू पर एकड़ है और ३९.३३ परसेंटेज आफ टैक्स इन कम्पेरीजन टु अदर टैक्सेज है। पंजाब में १८,१८.९८, आसम में, २७ बिहार में, २९ उड़ीसा में। अब फिक्स खेती पर लगान कितना पड़ता है ? तो उत्तर प्रदेश में ६.६६, पंजाब में १.११, राजस्थान में १.९२, मध्य प्रदेश में १.४७, पर एकड़ है।

अब आप ईल्ड को देखें। पहले मैं औरों को छोड़कर केवल गेंहूं, चावल, चना और गन्ना को लेता हूं। उत्तर प्रदेश में गेंहूं ६१२ पौंड पर एकड़, राजस्थान में ७८८, पंजाब में ९५९ पौंड पर एकड़ है। चावल उत्तर प्रदेश में ६५५, राजस्थान में ९७०, पंजाब में ८२७, मद्रास में १,२९३, और आंध्र में १,११९ पौंड पर एकड़ है। चना उत्तर प्रदेश में ५८५, राजस्थान में ६५४, पंजाब में ८३१, पौंड पर एकड़ है। गन्ना उत्तर प्रदेश में २,५०८ पौंड पर एकड़, बिहार में ३,३५२, पंजाब में ३,१३५, मद्रास में ५९७३, आंध्र में ८३९४ और बम्बई में ५९५३ पौंड पर एकड़ है। तो यह तो आपके कृषि प्रधान प्रदेश की हालत है। अब एक बड़ी दलील दी जाती है कि हमारी होल्डिंग्स छोटी हैं। ठीक है तो उसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन हो सकता है काश्तकार ३ फसलें ले सकता है और भी चीजें पैदा कर सकता है। छोटी होल्डिंग लाइबिलिटी है, वहां हाथ से काम करने वालों के लिये असेट भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के लिये १५ औंस सीरियल्स फी रोज फिक्स और ३ औंस दाल जो निर्धारित की गयी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो गल्ले की उपज का कुल १८ फीसदी ही खाने की चीजों का हम पैदा करते हैं। इसमें हमने वह भी शामिल कर लिया है जो बीज के लिये नष्ट होता है और कुछ जानवरों के लिये और कुछ लेनदेन जो खलिहान वगैरह में होता है उसके लिये रख लिया है। तो हम सिर्फ १८ फीसदी पैदा करते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को। चावल, बाजरा, मक्का और कपास की पैदावार पिछले सालों से बराबर गिरी है। और सबसे बड़ी प्राब्लम हमारी यह है कि सेलिनिटी, अलकैलिनिटी और

[श्री भगवानसहाय]

वाटर लागिंग "If these are not properly checked early, the condition will become very acute." और यह मैं एकानामिक सर्वे आफ यू०पी० से कोट कर रहा हूं। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत थोड़ा है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने दिये हैं उसके हिसाब से २६ परसेंट खेती सिंचित है। माननीय मंत्री इसकी जांच करें और देखें कि यह आंकड़े बहुत गलत हैं। यह सही हो नहीं सकते इसलिये कि आप किसी सड़क पर जाइये १० मील तक तो आपको मालूम हो जायगा कि कहां सिंचित एरिया है और कितना एरिया असिंचित है। अगर २६ परसेंट है तो इसके माने है कि ४ खेतों में से एक खेत में सिंचाई होनी चाहिये। अगर यह हुआ है तो मान लीजिये कि २६ फीसदी सिंचित नहीं तो आपके आंकड़े बिलकुल गलत हैं। जो डबल क्रापिंग का एरिया आप लेते हैं, वह भी गलत है। यह जो धान आप बोते हैं, यह जाड़े में अगर बारिश हो गयी तब तो जम आता है, वरना वह नहीं जमता। बारिश अगर हो गयी तो फसल के कटने तक वह जम आता है। तो इसको आप डबल क्रापिंग में नहीं ले सकते, वह तो नेचर पर निर्भर करता है।

अब मैं १९६५ की आडिट रिपोर्ट से कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके पहले एक बात और निवेदन कर दूं। बिजनौर में सरकारी फार्म पर एक ट्यूबवेल बनना था। वह ६ साल में जाकर बना, ६ साल तक उसकी लिखा पढ़ी होती रही। तो सरकारी फार्म में ट्यूबवेल्स लगाने में जब ६ साल लग गये, तो मामूली आदमी कैसे उसको लगवा सकता है।

मैं अब कपास के प्रोडक्शन पर आता हूं। आडिट रिपोर्ट जो १९६५ की है उसके पृष्ठ ८३ पर लिखा है—

".....The Indian Central Cotton Committee suggested in May, 1959, that the then existing three schemes be combined into one scheme. Nevertheless, these continued to be operated separately and the fourth scheme, sanctioned subsequently in 1961-62 was also treated as an independent scheme. The 4 schemes were finally combined into one in June, 1964, under the title of 'Co-ordinated Cotton Development Scheme'; this has enabled the department to surrender 193 posts without reduction of physical targets. The delay of about five years is estimated to have resulted in avoidable expenditure of Rs.8.50 lakhs on staff alone (Rs.1.55 lakhs each in 1959-60 and 1960-61 and Rs.1.85 lakhs each year thereafter).

The expenditure of Rs.43.93 lakhs in 1950-51 to 1963-64 amounted to over 80 per cent of the sanctioned provision."

इतना सब खर्च करने के बाद प्रोडक्शन की हालत देखिये। पहली प्लान में ७० हजार बेल्स का टार्गेट था, ४८ हजार का प्रोडक्शन हुआ। दूसरी प्लान में एक लाख १० हजार का टार्गेट था, ४९ हजार ६०० का प्रोडक्शन हुआ। तीसरे प्लान में १ लाख १० हजार का टार्गेट था, ५० हजार का प्रोडक्शन हुआ। अब इन सालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस वर्ष हुआ उसके आंकड़े भी मैं दे दूं। पहली प्लान में १९५२–५३ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ७० हजार बेल्स का। दूसरी प्लान में १९५९–६० का सबसे ज्याद प्रोडक्शन है ६५ हजार बेल्स का। तीसरी प्लान में १९६२–६३ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है ६१ हजार बेल्स का। आप श्रीमन्, देखें कि खर्चा हमने कितना किया और प्रोडक्शन कितना हुआ। यह प्रोग्रेसिव अवनति हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

३३ मिनट हो चुके हैं।

श्री भगवान सहाय—

४५ मिनट मुझे कट मोशन मूव करने के लिये मिलने चाहिये। अगर आपको अखर रही हों मेरी बातें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

आधा घंटा देते हैं। दो चार मिनट की बात और है। पांच मिनट और बोल लीजिये।

श्री भगवान सहाय—

आपने ४५ मिनट दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ज्यादा से ज्यादा कट मोशन में आधे घंटे का रिवाज है। अगर कोई साहब दो चार मिनट और बोलना चाहेंगे तो दे देंगे। आप कितने मिनट और चाहते हैं?

श्री भगवान सहाय—

१५ मिनट और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

दस मिनट और बोल लीजिये।

श्री भगवान सहाय—

यह भी कोई बनिये की दुकान है कि आप सौदेबाजी कर रहे हैं। हार्टिकल्चर में श्रीमन्, रेडियो आईसोटोप का एक नया तरीका निकाला है। उस स्कीम के बारे, में भी मैं बढ़े देता हूं।

"The scheme was under taken in 1961-62 in the interest of Scientific development, though the Food Committee of the Indian Council of the Agricultural Research considered that this separate scheme was unnecessary at the stage. The experiment under the scheme was being conducted in the Horticultural Research Institute, Saharanpur.

Upto 1963-64 an expenditure of 2.84 lacs (Rs.2.34 lacs non-recurring and Rs.0.50 lacs recurring) was incurred. The technical programme of work was, however, far behind schedule ; as against nine experiments to be conducted to the end of 1963, only one had been concluded, three were incomplete, one had been abandoned and four had not been started at all."

इस तरह से जितनी स्कीमें थीं उनका कोई संबंध नहीं रहा इनको करने से। अब आप और लीजिये। एक लखनऊ के पास में माननीय मंत्री जी अगर आप तेजी से चलें तो चकगंजरिया फार्म भी जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय १६०० कोई एकड़ जमीन है। जिसमें ६०० एकड़ जमीन काम आ रही है। बाकी फैलो लैन्ड है। फैलो लैन्ड को भी ट्रैक्टर से जोतकर धान की खेती कर सकते थे। वह खाली पड़ी हुई है और सबसे दुःख की बात यह है कि मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"323 acres were acquired from the Defence Department in September, 1949. It was found in March, 1951 that the area actually measured only 274 acres."

जब इसको साल में नापा तो २७४ एकड़ रही। डिफेन्स डिपार्टमेन्ट को जब लिखा गया तो उन्होंने कहा कि आपके अफसर तो हैन्डिंग ओवर और टेकिंग ओवर कर गये। यानी जमीन सिकुड़ गई। जमीन को सिकुड़ते हुए अभी देखा है, पहले कभी नहीं देखा और इसमें से १५० एकड़ प्राईवेट आदमी को दे दी। तो सवाल यह है कि एक प्राईवेट आदमी को क्यों दी गई? मैं नहीं जानता कि सही है या गलत है। इसमें ऐसा बताया गया है कि चूंकि मंत्री इनके रिश्तेदार थे इसलिये जमीन दी गई। वह दी गई सन् ५०–५१ में और सन् ५७ तक कोई भी उसके बारे में साईन नहीं कराया गया और दस हजार से ज्यादा जब मांगा गया तो

[श्री भगवान सहाय]

वह गवर्नमेन्ट आर्डर से रोक दिया गया। तो यह गरीब किसानों के लिये आपका प्रोपेगेन्डा है। जो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं है वसूल करने का और सीलिंग का भी।

आप का जो स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन है, उसमें सैकड़ों ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो ७–८ साल से पड़े हुए हैं और खुले अन्दर सड़ रहे हैं। न तो उनका आप नीलाम करते हैं और न उनको बनाते ही हैं। ९–१० लाख रुपया बकाये का पड़ा है। सरकार का बकाया पड़ा है और निजी आदमियों ने जो काम किया है उनका भी बकाया पड़ा है और वह भी सात-सात और आठ आठ साल का बकाया है जिसका कोई बांड भी आपके पास नहीं है कि उनके ऊपर इतना बकाया है। इस तरह से बाद में वे आपको कह सकते हैं कि हमसे कोई रुपया वसूल नहीं होना है क्योंकि उनकी कोई रसीद आपके पास है भी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है।

एस्टीमेट कमेटी पन्त नगर में गयी थी। श्रीमन्, पन्त नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के दो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय। इन दोनों में कृषि संबंधी रिसर्च का काम होता है और इस तरह से डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन काम होता है। जो रिसर्च का काम वहां होता है उससे किसी को लाभ नहीं होता है। मैं तो यह समझता हूं कि रिसर्च संबंधी जो भी काम किया जाय, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजनल इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं, बल्कि भारत सरकार और मुख्तलिफ सरकारों के अन्तर्गत जितने भी रिसर्च हों, उन सबको आप लिख कर भेजें और उनको दावत दी जाय कि उनके यहां जो रिसर्च हुए हैं उनके जो फल हों उनको वे बराबर नियमित रूप से मुहय्या करते रहें। डाक्टर भाभा साहब ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि कोई भी नान टैक्निकल आदमी साइंटिफिक या टेक्निकल ब्रांच का इनचार्ज नहीं होना चाहिये। लेकिन आपने फिशरीज डिपार्टमेंट में एक आई० सी० एस० आफिसर को बैठा दिया है कि वह कृषि विभाग को देखे।

पन्त नगर की हालत यह है कि वहां पर एक केनिंग ऐंड फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्टरी है और उसकी दीवार से लगा हुआ ही पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय है। लेकिन हालत यह है कि दोनों में किसी को एक दूसरे की खबर नहीं है जब कि दोनों ही इस उत्तर प्रदेश सरकार की ही ब्रांच हैं। आपको जान कर ताज्जुब होगा कि पन्त नगर कृषि विद्यालय में जो टमाटर पैदा होता था उसे नैनीताल और बरेली जैसे दूर स्थानों पर बाकी पैसा भाड़े में खर्च करने के बाद ३ आने किलो बेचा गया जबकि केनिंग ऐंड प्रिजर्वेशन फैक्टरी ने बरेली और नैनीताल जाकर उसी टमाटर को ५ आने किलो के हिसाब से अपनी फैक्टरी के लिये खरीदा। यह बात सुन कर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। नतीजा यह हुआ कि घाटा होने की वजह से वह फैक्टरी मैसूर सरकार को दे दी गयी।

मछली विभाग में एक ठेका दिया जाता है मछली पकड़ने का और दूसरा दिया जाता है उसको नीलाम करने का। हमारे यहां की बेस्ट क्वालिटी की मछली १.८५ के भाव से नीलाम कर दी गयी १.८५ हन्डरवेट और उस समय भाव आगरे में था ५ रुपया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह मछली बंगाल को बेचने के लिये पैदा की जाती है? माना कि बंगाली हमारे भाई हैं। उनको हम मछली देंगे, हम नहीं खायेंगे, लेकिन क्या आपने बंगाल की सरकार से इस बात का मुहायदा किया कि वह इसके बदले हमें दूसरी चीज दे? वहां जाकर यह मछली १० रुपये के भाव बिकी। मैंने पूछा कि यह मछली आगरा में क्यों नहीं बेची गयी तो जवाब मिला कि वहां गाहक नहीं था। मैं पूछता हूं क्यों लखनऊ, आगरा आदि सब स्टेशनों पर नहीं पूछा गया कि वहां आवश्यकता है या नहीं है। अगर आप उनसे पूछते तो ऐसी हालत न होती। इस प्रकार से आपको किसी प्रकार भी लाभ नहीं हो सकता।

अगर माननीय मंत्री जी आलू की खेती कराना चाहते हैं तो उनको कोल्ड स्टोरेज खोलने होंगे। उन अफसरों को निकाल दीजिये जो इसके खिलाफ राय देते हैं। पहले जबकि ५ रुपये में ८० किलो रखा जाता था अब उसी के १४ से २० रुपया तक देना पड़ रहा है।

मंत्री जी किसानों का सम्मान करें । किसानों की तौहीन न कीजिये । आप उनको सब्सीडी न दीजिये, बल्कि सस्ते सूद पर उनको रुपया दीजिये । अगर फसल अच्छी हो जाय तो आप प्रशंसा के पात्र हैं और अगर खराब हो जाय तो सब उस भार को थोड़ा थोड़ा बांट लें । आपका कर्तव्य है कि आप उनको प्राइस सपोर्ट दें । आप गन्ने के बढ़ाने की बात कह रहे हैं । मैं किसानों से कहूंगा कि मत पैदा करो, आलू आपके कहने से पैदा किया तो ४ आना सेर बिका । हम मेहनत करते हैं, कैपीटल लगाते हैं और २० रुपया बोरी के बजाय ८ रुपया बोरी बिकता है । हम आशा करते हैं इस स्थिति को आप संभालेंगे ।

इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चर बैंक खोलिये और चवन्नी लगान जो आपने बढ़ाया है उसको शेयर में कनवर्ट कर दीजिए । उसमें से किसानों को लम्बी अवधि के लिये कर्जा दीजिये और कम ब्याज पर दीजिये । २० बरस में इस बैंक की पूंजी १०-२० अरब की हो जायगी । इससे आप किसानों की बड़ी सेवा कर सकेंगे ।

अब मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप आसमानी महल से नीचे उतर आइये । हमको फख्र है कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसानों का बेटा है । जमीन आपकी दौलत है और यह आसमानी महल बायसे इज्जत है । मिनिस्ट्री आप कीजिये, लेकिन एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित विभागों के, जैसे बिजली, इरीगेशन, कोअपारेटिव हैं, इन सब में कोअर्डिनेशन कीजिये । ऐसा न हो कि कोई एक विभाग एक स्कीम को चलावे और दूसरा विभाग उसको सेबोटेज करे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय के भाषण को बहुत गौर से सुना और विरोधी पक्ष के भी भाषण को सुना । यों तो कृषि पर इतना साहित्य इकट्ठा है कि शायद ही किसी विषय पर इतना साहित्य हो, लेकिन इस के बावजूद जो दुर्दशा खाद्यान्न की है, अन्न उत्पादन में जो कमी है शायद ही किसी जगह इतनी कमी हो । यह सही है कि अन्न उत्पादन बहुत हद तक मौसम पर निर्भर है । मुल्क की तकसीम से पहले एक स्पीकर बंगाल असेम्बली के थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने उसका नाम रखा था मैन बिहाइन्ड दि प्लाउ । उन्होंने उसमें चर्चा की थी कि कृषि जो है वह किस्मत के साथ एक जुआ है—इट इज ए गेम्बिल विद दी फारचून । इन्सान कभी-कभी जुए में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहां कृषि में वह कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है । पिछले ५-६ साल से मुतवातिर अन्न उत्पादन घट रहा है और ऐसा लगता है कि यह बीमारी शायद जिन्दगी के साथ ही खत्म होगी । दूसरे सूबों में जो हमसे ज्यादा मौसम पर निर्भर हैं यह सिद्ध हो गया है कि अगर खराब मौसम में फसल खराब हो जाती है तो अच्छे मौसम में अच्छी भी हो जाती है । राजस्थान का सब से अधिक जो इन्डेक्स नम्बर उपज का है वह है सन् ६०-६१ का २०८ और हमारे प्रदेश का हाईएस्ट है १३३ । मद्रास का भी आप देखें तो वहां भी उपज सन् ५१ से ६१ तक मुतवातिर बढ़ी है । सिर्फ एक साल में यानी ५८-५९ में थोड़ी सी घट गई थी । ईल्ड पर एकड़ भी बढ़ी है और ईल्ड इन्डेक्स भी बढ़ा है । लेकिन जो चीज राजस्थान में मुमकिन है, मद्रास में हो सकती है वही यू० पी० में क्यों मुमकिन नहीं है ? इस प्रदेश ने भी जहां तक कार्मशियल क्राप्स का संबंध है उन में कुछ तरक्की की है । अभी मंत्री जी गन्ने की चर्चा कर रहे थे और दूसरी चीजें हैं तेल के बीज, जूट आदि—इन चीजों में या तो हम टारजेट से आगे बढ़े हैं या टारगेट के नजदीक आ गये हैं । लेकिन अन्न के मामले में हमारी जो सबसे बड़ी पैदावार है वह टारगेट से २० लाख टन कम है । यह इस बात का सबूत है कि बावजूद मौसम खराब होने के पैदावार बढ़ना सम्भव है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फूलसिंह]

निश्चय ही हमारे कार्यकलापों में कोई कमी है। मैं तो जब इन चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर अन्न उत्पादन में कमी न होती तो बड़ा गलत होता क्योंकि हमारे काम भी इस बात के सूचक हैं कि उसमें कमी तो होगी ही। मैं सारी चीजों की चर्चा न कर सकूंगा, लेकिन केवल दो तीन बातों की चर्चा करूंगा।

देश का जो नेशनल आय है उसकी आधी शायद खेती से होती है, पहले वह ५३ प्रतिशत खेती से थी, अब शायद ४५ प्रतिशत के करीब हो गई है। तो इस दृष्टि से जो सरमाया खेती में लगायें वह उसी तरह से लगाना चाहिये। उसका एक कायदा यह भी होना चाहिये कि कितना सरमाया लगाने से ज्यादा फायदा होगा और कितना सूद मिलेगा। उसको भी अगर आप देखें तो पता चलेगा कि उद्योग में ३ प्रतिशत का सूद था जो अब शायद ५–५ १/२ हो गया है और खेती में दो जगह जहां पर ६ १/४ परसेन्ट था, एक तो गन्ने में और एक तकावी लोन में अब ९ प्रतिशत हो गया है। तो खेती में तो सूद की दर ९ रुपये हो और उद्योग में वह ५ प्रतिशत हो, तो यह भी इस बात की दलील हो सकती है कि रुपया खेती में लगाने की सम्भावना कम है।

एक और प्वाइन्ट है कि आज हमारे किसानों की क्या हालत है? ये मकरूज हैं, तो जो रुपया आप देंगे, यह सम्भव हो सकता है कि वह अपने घर के काम में लगाले। मैंने पिछले दिनों सदन में चर्चा की थी कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि सन् १९६१ में उत्तर प्रदेश के किसानों ने २६८ करोड़ रुपये का कर्जा लिया जून १९६१ तक। जुलाई १९६२ में उत्तर प्रदेश के किसानों ने १६२ करोड़ रुपये का और कर्जा लिया। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि इस कर्ज का ४५ प्रतिशत घरेलू कामों में खर्च हो जाता है। ७ परसैन्ट रुपया पुराने कर्जों की आदयगी में खर्च हो जाता है और ३ प्रतिशत मुकदमेबाजी में सर्फ हो जाता है। तो इस तरह से ५५ प्रतिशत रुपया और कामों में लग जाता है और उत्पादन में नहीं लग पाता है।

अब यह देखना चाहिये कि किसानों की आवश्यकता क्या है? हमारी जो टैक्नो-एकौनौमिक सर्वे रिपोर्ट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि किसानों की आवश्यकता के लिये पब्लिक सैक्टर से १३७२ करोड़ रुपये लगने चाहिये १९६१ से १९७५ तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सैक्टर में केवल १९५ करोड़ रुपये का ही बन्दोबस्त हो पाया है। तो इसी से सिद्ध होता है कि पब्लिक सैक्टर से जो किसानों को देने की आवश्यकता थी, उसका कोई भी अंश पूरा नहीं हुआ है। उसी रिपोर्ट में यह भी चर्चा की गयी है कि छोटे कर्जों के लिये किसानों की आवश्यकता २६८ करोड़ रुपये की थी और यह बढ़कर ४२६ करोड़ रुपये हो जायेगी। टार्गेट क्या है? छोटे कर्जों में शोर्ट मिडियम, और लांग टर्म लोन्स में हमारा टार्गेट ८० करोड़ रुपया है और तीनों मदों में ४८ करोड़ रुपया उनको मिला है तो उस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है।

यहां पर शेड्यूल बैंक की चर्चा करना भी आवश्यक होगा। १९५१ में शेड्यूल बैंक से खेती के लिये १५ दशमलव और कुछ करोड़ रुपया दिया गया। १९६१ में ७ करोड़ रुपया हो गया। जबकि उद्योगों के लिये १९५१ में २०८ करोड़ रुपया दिया गया था और सन् १९६१ में ६२८ करोड़ हो गया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि खेती की उपज बढ़ने की क्या हालत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पैसे की अगर यह दिक्कत होती तो भी कोई बात नहीं है यह जो फर्टीलाइजर, रासायनिक खाद है, उसकी हालत इससे भी खराब है। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, उनमें सबसे ज्यादा जापान में फर्टीलाइजर इस्तेमाल होता है जो पर हैक्टर २७० पाउन्ड आता है। हिन्दुस्तान का औसत ३.४ पाउन्ड पर एकड़ और हिन्दुस्तान में यू० पी० का और बढ़िया मामला है। केरल में ७ पाउन्ड है जबकि यू० पी० में १ प्वाइंट कुछ पाउन्ड पर एकड़ है। यू० पी० का पांच गुना फर्टिलाइजर फी एकड़ केरल इस्तेमाल करता है।

अब टार्गेट को देखिये। हमारे टार्गेट्स किस बिना पर बनाये गये हैं, मंत्री महोदय समझें इस बात को। एक साल में फर्टिलाइजर टार्गेट हुआ ५ लाख ४० हजार टन। टार्गेट आधा भी पूरा नहीं हुआ। अगले साल में टार्गेट बढ़ना चाहिये था, लेकिन घट कर हो गया ४ लाख टन और वह भी पूरा न हुआ। अब बढ़ कर अगले साल में ५ लाख टन हुआ, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। और आगे के टार्गेट की बात तो मंत्री महोदय ने बतायी नहीं, केवल यह कहा कि बढ़ रहा है। पर मेरा अनुमान यह है कि जितना फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश के लिये हमने अपनी योजनाओं में रखा था लगभग ५० फीसदी उस का मिला होगा। मंत्री महोदय कम्पोस्ट खाद की बड़ी तारीफ कर रहे थे। उस के आंकड़े भी देखे। जो अर्बन कम्पोस्ट स्कीम है उस स्कीम को पढ़ने से आदमी की आंखें खुल जाती हैं। पहले साल में जितना खर्च हुआ रुपया अगले साल में उससे कम हुआ। उस से अगले साल मेंउस से कम हुआ। गरज कि रुपया घटता ही चला गया। अर्बन कम्पोस्ट पर १६ लाख रु० का अनुमान था खर्च करने का। दो सालों में तो १, १ लाख से भी कम खर्च हुआ और दो साल में डेढ़, डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि खेती की क्या दशा होगी। यही बात आप की ग्रीन मैन्योरिंग की है। उस का टार्गेट ६० फीसदी पूरा हुआ, वह भी शायद पूरा नहीं हुआ।

मान्यवर, एक तरफ तो खाद की इतनी कमी, दूसरी तरफ खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े मेरे पास वह भी हैं। दुनिया में जो खाद के भाव हैं सिवाय यू० ए० आर० के और कहीं खाद इतनी महंगी नहीं है जितनी हमारे यहां है। जापान का खाद हमारे भाव से आधे से कुछ ज्यादा दाम पर मिलता है। अभी एक इंटरनेशनल सेमीनार हुआ था पूना में उसमें लोगों का कहना था कि जापान का फर्टिलाइजर हिन्दुस्तान को ४० रु० टन पर मिल सकता है। बहरहाल यह निश्चित है कि फर्टिलाइजर का भाव हमारे प्रदेश में महंगा है। यही नहीं फरवरी, १९६६ में खाद के दाम बढ़ गए हैं, सभी चीजों के दाम तकरीबन १०० रु० तक बढ़े हैं। तो मैं जान नहीं पाता कि क्या दृष्टिकोण है सरकार का, क्या इरादा करने का है, क्या होने जा रहा है। खेती की ही बात नहीं है, कोई चीज आप ले लीजिये। यहां बिजली की बड़ी चर्चा होती है बड़ी तारीफ है बिजली बहुत मिलेगी। और आप के जो सरकारी आंकड़े निकलते हैं उनको जरा देखें। १९६१-६२ में १ करोड़ ६० लाख किलोवाट बिजली का खर्चा था खेती के लिये और १९६२-६३ में १ करोड़ ९० लाख था और १९६५-६६ में भी १ करोड़ ९० लाख किलोवाट ही है, यानी जो बिजली खेती के लिये खर्च होती थी उस में कुछ बढ़ोत्तरी नहीं हुई। लेकिन उद्योग को आप देखें तो ४ करोड़ ३० लाख किलोवाट से बढ़ कर १० करोड़ किलोवाट हो गई। तो आप सोच नहीं रहे हैं कि कहां को जाना है, किधर जा रहे हैं।

सिंचाई की बात आप से कहता हूं। सब से ज्यादा सन् ५१-५२ में १ करोड़ २६ लाख एकड़ हुई थी। ६१-६२ तक यही आंकड़े रहे और ६२-६३ में १ करोड़ ३१ लाख और ६४-६५ में १ करोड़ ३२ लाख एकड़ पहुंची। इस प्रकार ५१-५२ से अब तक ६ लाख एकड़ आबपोशी बढ़ी। यह कोई संतोष की बात नहीं है। फिर ऐसा रकबा जो १ से अधिक सिंचाई पाता है वह कल १४ लाख एकड़ है जबकि आलू में ९० फीसदी और गन्ने में ६० फीसदी सिंचाई होती है। सरकार सोच नहीं पा रही है कि वह क्या करने जा रही है।

बीज के आंकड़े भी देखिये। उनको देख कर आप हैरान होंगे कि किसी जिले में आपका रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ। रिसर्च वाली किताब निकाल कर देखें तो पता चलेगा कि एक कामर्शियल क्राप के साथ ५० और फसलें बो दीं। उनको कौन पूछेगा? इस तरह से मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, अन्नोत्पादन करना है, तो अन्न पर जोर देना होगा।

[श्री फूलसिंह]

इन सारी बातों में एक बात आप भूल गये। मुख्य चीज है मैन बिहाइंड दी प्लाऊ। इतना फर्टिलाइजर देंगे तो ज्वार बोना होगा, इतना फर्टिलाइजर देंगे तो गेहूं बोना होगा, लेकिन किसान ने सारा फर्टिलाइजर लेकर गन्ने और आलू में डाल दिया तो अन्न कैसे उपजेगा? खेती करने वाले के हित को आप देखिये। आप लाख लेक्चर दीजिये उससे हित होने वाला नहीं है। आलू का उत्पादन बढ़ा है उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने प्रयत्न किया है और यह बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिये कि जिसका जो राइट है उसका वह मुस्तहक है। एक आदमी दौड़ता धूपता है उस पर आंख बन्द नहीं होनी चाहिये, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी त्रुटियां हैं कि वह काफी हैं। आलू का जो टार्गेट था वह १५ हजार एकड़ का था। सरकार ने कहा कि ४५ हजार एकड़ तक उसे बढ़ायेंगे, लेकिन वह ९० हजार एकड़ तक बढ़ गया। यह प्लानिंग का तरीका नहीं है।

बंगाल में चावल ४ रुपये किलो मिलता है और यहां गुड़ १६ रुपये मन बिकता है। किसान को किस चीज के पैदा करने में नफा है? तब तक वह उसे पैदा नहीं करता है जब तक उसे नफा नहीं होगा। आपने आलू को बुवा कर अपना नुकसान किया, किसान का नुकसान किया। गन्ने की दुर्दशा उससे भी अधिक होने वाली है। आप लेक्चर देते रहिये कि मिलें जल्दी चलनी चाहिये। उसने उससे कहा और उसने उससे कहा। गांव में एक कहावत है कि सास ने बहू से कहा और बहू ने कुत्ते से कहा। मिल चलाने का क्या यह तरीका है? मिल मालिक आपके लेक्चर में नहीं आ सकता। उसकी दिलचस्पी इसी में थी कि मिल देर से चले क्योंकि गुड़ का भाव सस्ता था। अब मिल मई तक चलेगी और किसान चिल्लाता रह जायगा। यह रास्ता गलत है। इसमें कामयाबी नहीं होगी।

दो तीन तरीके कामयाबी के हैं। जितने पैसे की जरूरत किसान को है वह पैसा उसे मिलना चाहिये। जितनी खाद की आवश्यकता है वह उसे मिलनी चाहिये। एक सेमिनार अभी हुआ। उसमें दुनिया भर के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अच्छा इंवेस्टमेंट और कोई नहीं है। खाद लेकर बेचो। एक पौंड खाद लो और तीन महीने में दो पौंड हो जाय। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जब इतना मुनाफा है तो इसको वह गन्ना में क्यों डालें? यह चीज देखने की है। मेरा निवेदन यह था कि यह स्पष्ट बात है कि खाद जो किसान को देते हैं उससे बड़ी आमदनी नहीं हो सकती है। बीज से भी आमदनी होती है। बजट में जो रसीद है उसमें जितनी लागत है उससे कहीं ज्यादा बीज किसानों को दिया गया है और सात महीने में सवाया देना पड़ता है। सरकार आमदनी करे इससे हमें कोई झगड़ा नहीं, है, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि आप ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे किसान का काम चल जाय। ऐसे गाड़ी चलने वाली नहीं है। जितनी किसान को बीज और खाद की आवश्यकता है उतनी उसको देनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि किसानों के साथ बइंसाफी नहीं होनी चाहिये। बहुत से उद्योग वालों ने ऐसे कारखाने खोल रखे हैं कि सरकार से रुपया लेकर बैंक में जमा कर रहे हैं क्योंकि बैंक में उन्हें ज्यादा सूद मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जो सरकार से कर्जा लेकर दूसरे लोगों को दे देते हैं। यह चीज देखने की है। यहां पर रुपया कम करके किसानों को दें और उनका सूद कम कर दें। अगर आप सूद बढ़ायेंगे तो किसान को परेशानी हो जायेगी।

मान्यवर, प्राइस होल्ड की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप यह नहीं करेंगे कि एक स्तर से प्राइसेज गिरने न पावें तब तक काम नहीं चलेगा। उल्टी बात हुई कि आलू इतना सस्ता हो गया। लेकिन सरकार ने क्या किया? आप खतरा उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। किसानों के हित के लिये सरकार को कुछ नुकसान उठाना चाहिये। अगर घाटा पड़े तो सरकार को पड़े। जब तक यह नीति नहीं होगी तब तक किसान पैदा नहीं कर सकता है। आपने भाव मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन उस पर सामान कहां मिलता है? अभी एक मीटिंग में कह दिया

गया कि प्राइस निश्चित करना नामुमकिन है, क्योंकि यहां किसान बहुत हैं । अगर हम ज्यादा अन्न पैदा करें और खायें कम तब तो यह बात हो सकती है । लेकिन हमारे यहां यह सवाल पैदा नहीं होता है । १९३४ में इंगलैन्ड में एक व्हीट कानून बनाया था । उसमें यह था कि अगर गेहूं सस्ता हो तो किसान बेचकर रसीद बैंक को दे और बाकी रुपया गवर्नमेन्ट देगी । एक एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट ऐक्ट बना जिसको थ्रीए कहते हैं । उसमें यह था कि जो शख्स अपनी फसल उजाड़े और दूसरी बोये उसको रुपया दिया जायेगा । इस तरह से काम चलेगा । रेडीकल कदम सरकार को उठाने होंगे । मैं मानता हूं कि मंत्री जी काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बजट से मंत्री जी को जांचना मुनासिब नहीं है ।

बजट के दो भाग हैं, एक तो न्यू स्कीम और एक कान्टीन्यू स्कीम । मंत्री जी सेवाओं में कमी नहीं कर सकते हैं, मंत्री जी उस पर कलम नहीं लगा सकते हैं, वे जितने हैं रहेंगे भले ही वह मंत्री न रहें । इसलिये मंत्री जी को नई स्कीम को देखना चाहिये, जो कि ४ करोड़ रुपये के बजट में है । मुझे सन्तोष है कि २ करोड़ रुपया स्वायल कंजरवेशन के कार्यक्रमों के लिये है । स्वायल कंजरवेशन के कार्यक्रम का एक विशिष्ट महत्व है कृषि के कार्य में । मैं इसके सम्बन्ध में गांधी जी द्वारा कहे गये शब्द आपको बताना चाहता हूं । उन्होंने कहा "खेती में पैसा लगाना बिना स्वायल कंजरवेशन के चलाये हुये ऐसा ही है, जैसे किसी फटी जेब में पैसे डालना ।" तो यह तो उन्होंने एक मुनासिब कदम उठाया, लेकिन दूसरा कदम जो गन्ने का है, उस पर मेरा निवेदन है कि उसको खत्म करना चाहिये । गन्ने का कम उत्पादन होगा, शक्कर कम बनेगी, वह बाहर नहीं जा सकेगी, तो उससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है । मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया । आपको इन परिस्थितियों से देश को निकालने के लिये कोई रास्ता निकालना चाहिये । यह भाषण मैंने इसलिये नहीं दिया कि मैं आपकी कोई आलोचना करूं, लेकिन आप रास्ते से जो भटके हुये हैं, आपको रास्ते पर लाने के लिये मैंने कुछ सुझाव दिये हैं ।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लगभग ७५ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो खेती पर आश्रित हैं और इसमें से अधिकांश लोग या तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं या ऐसे छोटे-छोटे जोत वाले किसान हैं, जो बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह के लिये गल्ला उत्पादन कर पाते हैं । उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद इतना गल्ला बच नहीं पाता कि वह जाकर बाजार में बेंच सकें । और जब तक किसानों के पास इतना अधिक गल्ला हो नहीं जाता कि वह आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद कुछ गल्ला बचा सकें, तब तक खेतिहर देश में लगे हुये लोगों को न तो खाद्य की सुविधा होगी और न किसान का जीवन स्तर ही ऊंचा होगा । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि किसान का जीवन स्तर ऊंचा हो तो हमें ग्राम विकास का काम लेना पड़ेगा और उस कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती, लाभप्रद मूल्य और ग्रामों के औद्योगीकरण को आधारशिला मानकर हमें चलना होगा । श्रीमन्, आप मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और माननीय सदस्यों का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं में से खाद्य एक ऐसी आवश्यकता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में हम अपनी खाद्य नीतियों के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं । हम दूसरों के सहारे, दूसरे प्रदेशों के सहारे पड़े हुये हैं, और उनसे हमें अन्न लेना पड़ता है । और हमें अपनी भूख को भीख मांगकर शान्त करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है । इससे मालूम पड़ता है कि हमारी कृषि की उन्नति इतनी गलत है कि १८ वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हम खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं । हमें खाद्य पूर्ति के लिये ऐसी योजनायें बनानी होंगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बिपिन बिहारी तिवारी–]

जिससे हम यह तय कर सकें कि किन-किन चीजों पर हमें सर्वाधिक बल देना होगा और खाद्य सामग्री के हमारे कौन-कौन से प्रमुख अंग हैं जिन पर हम जोर दे सकें और जिससे जनता को भर पेट भोजन मिल सकें ।

खाद्यान्न में अनाज आता है, अंडे, मछली, दूध और दूध से बने हुये पदार्थ आते हैं । यदि हम जनता के दृष्टिकोण को देखकर चलें, उनकी भावनाओं को देखकर चलें, तो हमें उन्हीं अंगों पर बल देना होगा, जो हमारे खाद्यान्न की आवश्यकता की सर्वाधिक पूर्ति कर सकें । प्रदेश की ऐसी नीति रही है कि खाद्यान्न की पूर्ति की सारी योजनायें विफल रही है और प्रदेश के अन्दर हम इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं ।

जहां तक खेती की पद्धति में सुधार का प्रश्न है मैं यह मानता हूं कि हमारे किसानों में खेती का ज्ञान बहुत अधिक है, उसको उर्वरकों का, खेतों की फसलों में अदलाबदली के कार्यक्रम का पूर्ण ज्ञान है । उसने हरी खाद का प्रयोग किया है, उसने मलमूत्र को सड़ाकर खाद बनाने की उपयोगिता को समझा है । उसने भूमि को कटाव से बचाने के लिये मेड़ बांधने की क्षमता को अपना रखा है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज अपने प्रदेश में किसानों की पूंजीगत साधनों में बढ़ोत्तरी हम नहीं कर सके और न उसके मन में यह भाव पैदा कर सके कि वह भूमि का असली स्वामी है । हमारे ग्रामों के अन्दर बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने विशेष और अद्भुत ढंग से पैदावार को बढ़ाया है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या सहायता दी और उनके सामने कौन सा लक्ष्य रखा ? आपके सरकारी फार्म हैं । उन पर आपके पैसों का दुरुपयोग होता है । उनके अन्दर आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती । तो जिन किसानों ने खेती की उपयोगिता को समझा है और विशेष रूप से खेती का उत्पादन किया उनके फार्म को माडल फार्म बना दीजिये, उनको सहायता दीजिये, उनको बताइये कि तुम और उत्पादन बढ़ाओ, उनको अच्छे बीज दीजिये । और यह कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि किसानों में इससे प्रति द्वन्दता बढ़ेगी और प्रदेश के अन्दर शीघ्र से शीघ्र आत्मनिर्भरता आ जायगी ।

यही नहीं, उर्वरकों और रासायनिक खादों का जो वितरण आप करते हैं वह विकास खंडों के स्तर पर होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसी योजना बनायी है कि विकास खंडों के स्तर पर कोई प्रशिक्षणशाला खोलें जहां पर किसानों को यह मालूम हो सके कि हमारे क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की पैदावार होगी, इसलिये इस भूमि पर इतना पानी देना चाहिये, और इस भूमि पर यह फसल बोना चाहिये ? नहीं खोली हैं । इसलिये मेरी यह मांग है और सुझाव है कि ब्लाक स्तर पर ऐसी प्रशिक्षण शालायें खोलिये जिसके कृषि ज्ञान के रखने वाले ऐसे व्यक्ति हों जो समय-समय पर किसानों को सलाह दे सकें कि अमुक भूमि पर इतनी खाद पड़ती है और यहां की भूमि इस फसल के योग्य है । अगर आप इस तरह की प्रशिक्षण शालायें खोलेंगे तो किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और खेतों की उत्पादन शक्ति और आगे पढ़ेगी और हमारा प्रदेश आत्म निर्भर होगा ।

श्रीमन्, जहां पर खेती के लिये भूमि और खाद की आवश्यकता है वहां सिंचाई की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है । सिंचाई की बहुत बड़ी योजनायें आपने बनाई हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर वह तमाम योजनायें हैं वहां पर आज भी हमारे देश का अधिकांश खेती ऐसी है जो इन्द्रदेव की कृपा पर निर्भर है । छोटी-छोटी सिंचाई की योजनायें गांव के अन्दर ही हैं, लेकिन वे सूख रहे हैं हमारे तालाब, पोखरे सब सूख रहे हैं और उनके सुधार की व्यवस्था नहीं है । यद्यपि यह बात माना जा सकती है कि इस वर्ष छोटी सिंचाई योजनाओं पर विशेष प्रगति की गयी है, लेकिन वह इतनी नाकाफी है कि उस से हमारे प्रदेश का भला नहीं हो सकता । । एक उदाहरण देता हूं (लाल बत्ती होने पर) अभी तो श्रीमन्, मैं अपने प्वाइंट पर आ रहा हूं ।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान ५०५ संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२— पशुपालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य को १०-१२ मिनट दे रहा हूं । आपके १२ मिनट हो चुके हैं । आप दो मिनट और बोल लीजिये ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

हमारे सीतापुर जिले में एक क्षेत्रीय नलकूप नम्बर ५ है । उसके उत्तर की तरफ तो गूल है । उससे ३ सौ एकड़ से ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल नहीं होता । उस नलकूप से आज तक, जब से वह निर्माण हुआ है, एक इंच भी सिंचाई नहीं हुई है । किसानों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस वर्ष अपनी खेती का प्रबन्ध किया था और अपनी खेती को बोया था । वे चाहते थे कि उस नलकूप से सिंचाई करके खेती करें । पानी भर गया और चौथी बार गूल टूटी । मैंने स्वयं सिंचाई मन्त्री जी को तार दिया, लेकिन आज तक उन किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो सकी, जिन्होंने बड़ा हौसला करके यह फैसला किया था कि हम खेती की पैदावार बढ़ायेंगे । उसका परिणाम यह हुआ कि जहां पर दुगुनी और तिगुनी पैदावार हो सकती थी वह आज घटकर आधी रह गयी । आप बताइये कि इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ? जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यह कार्य कहां हुआ ? इस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शक्ति कहां पर निहित है । शक्ति मन्त्री जी के हाथ में है जिनके दुर्व्यवहार से और उदासीनता से ३०० एकड़ भूमि में सिंचाई नहीं हुई और उत्पादन जिसमें अधिक हो सकता था उसमें केवल आधा उत्पादन ही रह गया । इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सी जगह भूमि का सुधार किया गया है ।

हमारे प्रदेश के अन्दर आज बहुत सी जगहों पर चकबन्दी हो रही है । चकबन्दी का जो आपने कानून बनाया है वह इसलिये बनाया है कि विभाजन जमीन की रुक जाय, लेकिन उसी कानून के तहत में आप उन चीजों को कर रहे हैं । वह कानून दोषपूर्ण है और उससे पक्षपात होता है । किसानों के साथ न्याय नहीं होता है । चकबन्दी करना है तो सबसे पहले वहां का मास्टर प्लान बनाइये । मास्टर प्लान के तहत आपको गांव के अन्दर चकबन्दी करनी चाहिये । उसके बाद आपको यह देखना होगा कि ऐसी जोत बनें जो आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद हों । चूंकि हमारे प्रदेश के अन्दर भूमि पर अधिक भार है, भूमि कम है बहुत लोग उस पर लगे हुये हैं इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सघन खेती अनिवार्य रूप से यहां की जाय । तभी आर्थिक दृष्टि से लाभ हो सकता है ।

अन्त में मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी किसानों के मनोबल को गिराया गया है । किसानों के ऊपर जो यह सवाई लगान बढ़ाया गया है इससे किसानों का मनोबल गिरा है जिससे उत्पादन को प्रदेश में बड़ा धक्का लगा है । मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि यदि उसने सवाई लगान को समाप्त न हीं किया तो यह जाहिर है कि जिस प्रकार से भाषा के नाम पर पंजाब में स्थिति उत्पन्न हुई है वैसे ही किसानों के संकट के नाम पर जो सवाई लगान लगाया गया है उससे वही हालत यहां पैदा होगी । इसलिये उत्पादन की दृष्टि से इन सारी चीजों को सोचना विचारना होगा । इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि मेरी बारी न होते हुये भी आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं इस कटौती के प्रस्ताव का, जो हमारे बगल में बैठे हुये माननीय सदस्य ने पेश किया है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय कृषि मन्त्री ने बोलते हुये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अभी कहा था कि कृषि के विभाग से सम्बन्धित बजट पर कटौती का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये । मैं उनकी इस राय से सहमत हूं, परन्तु यदि मेरी वह एक बात मान लें तो कम से कम मुझे कटौती का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यह बात उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिये । कृषि क्षेत्र में जो अभी तक प्लानिंग हुई है, जो अभी तक कार्य हुआ है उसमें इस सरकार को पूर्ण असफलता मिली है । इस गल्ले की कम पैदावार को वह स्वीकर करते हैं, क्योंकि वह छिपाई नहीं जा सकती है । लेकिन उसका कारण मौसम की खराबी बतला दिया करते हैं । श्रीमन्, जब तक कृषि मन्त्री या कोई सरकार मौसम की खराबी की आड़ में, इस असफलता को छिपाने के प्रयास करती रहेगी तब तक इस प्रदेश में खाद्यान्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती है । श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । उनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि जो आज खेती की पैदावार कम है उसके लिये मौसम उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना । और आपकी मशीनरी उन लक्ष्यों तक पहुंच नहीं सकी है । उन्नतिशील बीज बांटने के लिये यह अनुमान लगाया गया है उन्हीं के विभाग के द्वारा कि लगभग ४० लाख मन उन्नतिशील बीज प्रतिवर्ष बांटना चाहिये । इस लक्ष्य के मुकाबले में केवल ढ़ाई लाख मन बीज बांटा जा सका जिसको हम वास्तव में उन्नतिशील बीज कह सकते हैं । रसायनिक खादों के लिये लक्ष्य था ९.९ लाख टन बांटने का, उसकी तुलना में केवल ६ लाख टन रासायनिक खाद बांटा जा सका । फास्फेटिक मैन्योर के विषय में भी यही बात है । आपका लक्ष्य था ढ़ाई लाख टन बांटने का लेकिन सवा लाख टन से अधिक वह नहीं पहुंच सका । ग्रीन मैन्योर के लिये ७ लाख एकड़ में उसको प्रयोग करने की बात थी, लेकिन अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ४० हजार एकड़ तक ही हम पहुंच पाये हैं । डबल क्रापिंग का जो लक्ष्य रखा गया था वह १३९ लाख एकड़ का था, उसकी भी आप पूर्ति नहीं कर पाये हैं । सवा सौ लाख एकड़ में ही वह हो पाया है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यदि यह लक्ष्य पूरे हो सकते तो खाद्यान्न की कमी बावजूद मौसम खराब होने के भी नहीं होती उतनी, जितनी कि आज है । तो इन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो, इस पर हम को विशेष ध्यान देना चाहिये, तभी हमको सफलता मिल सकती है ।

मैं एक बात की तरफ और कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । खेती हमारे देश और प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है । इससे ८३ फीसदी लोगों की जीविका चलती है और उत्तर प्रदेश में जो कुछ राज्य को आय है वह लगभग इससे २/३ होती है । लेकिन इस व्यवसाय का इतना महत्व होते हुये भी इस पर रिसर्च के लिये कितना धन व्यय होता है इसको आप देखें । पहली तीन योजना काल के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ७१.४४ लाख रुपया, दूसरी योजना के दौरान ६८ लाख रुपया और तीसरी योजना काल में १०० लाख रुपया रिसर्च के लिये खर्च किया गया । इन १५ सालों में सिर्फ २४० लाख रुपया, जो प्रति वर्ष १६ लाख रुपया होता है, रिसर्च के लिये खर्च किया गया । जो सब से बड़ा धंधा है उसकी तरक्की के लिये शासन ने यह उचित समझा कि केवल १६ लाख रुपये इस पर व्यय किये जायं प्रति वर्ष । यह अगर बांटा जाय तो २ पैसा फी व्यक्ति पड़ता है । यह अनुसंधान पर व्यय किया गया और यह कहना कि इसमें अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं, अपनी नासमझी का परिचय देना होगा । अनेक समस्यायें हैं कृषि की जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं मिल सका है । उनको हल करने के लिये कितने बड़े पैमाने पर रिसर्च होना चाहिये इसको देखते हुये यह १६ लाख रुपया जो प्रतिवर्ष के बजट में रखा गया है यह बिलकुल नाकाफी है और कृषि मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप दस मिनट में समाप्त कर लेंगे ?

श्री भानुप्रतापसिंह—

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है, बोलिये ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

जहां तक उन्नतिशील बीज का प्रश्न है मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिवाय गेहूं के और किसी अनाज में कोई उन्नतिशील बीज जिसे कहा जा सके, इस उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नहीं दिया गया । वह निकालने में सफल ही नहीं हुआ । ऐसा कोई बीज इस विभाग द्वारा नहीं निकाला जा सका जिसके लिये यह कहा जा सके कि वह बहुत ही विलक्षण है ।

इसके लिये जायद फसलों के बोने की बात कही जाती है । विभाग की तरफ से इसके लिये अभियान भी चलाया जाता है, परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस पर कोई रिसर्च की कि कौन सी जायद फसल बोई जाय, कब बोई जाय, कौन सी फसल के लिये कितने पानी की आवश्यकता होगी, कितने समय में वह तैयार हो पायेगी औरउससे कितनी आमदनी किसान को होगी ? मैंने सन् १९६२ में एक प्रस्ताव रखा था कि एक रिसर्च स्टेशन अपने यहां ऐसा होना चाहिये जो इन्टेन्सिव फार्मिग पर रिसर्च करे । उस समय कृषि मंत्री ने उसे स्वीकार भी किया था, परन्तु आज तक वह रिसर्च स्टेशन नहीं खोला गया है जहां इन्टेन्सिव फार्मिग पर रिसर्च होती हो । उस समय कहा गया था कि चीन का हमला हुआ है, धन की कमी है, परन्तु आज क्या कारण है, मुझे पता नहीं । ऐसे रिसर्च स्टेशन की आवश्यकता हमारे यहां बहुत अधिक है और उसके अनेक लाभप्रद परिणाम निकल सकते हैं । मैंने अपने फार्म पर, अपने सीमित साधनों के होते हुये भी कुछ रिसर्च की है । दो तीन ऐसी चीजों का मैंने पता लगाया है जिनको अपना कर किसान उससे लाभ उठा सकते हैं । जब मैं, एक किसान, अपने सीमित साधनों से कोई चीज निकाल सकता हूं, तो यह सरकार, जिसके पास अनेक साधन हैं, बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं, वे तो इस ओर बहुत कुछ कर सकते हैं । मैं चाहता हूं सरकार एक ऐसा रिसर्च फार्म खोले जो केवल फसलों की ही स्टडी करे और यह पता लगाये कि उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है । किस प्रकार अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है । कैसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है । बाकी और चीजों के लिये एक रिसर्च स्टेशन हो । सन् ६२ में, सन् ६३ में, ६५ और आज ६६ में फिर मैं इस मांग को दोहरा रहा हूं । मेरा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि इसको अवश्य खोलने की कृपा करें । होना तो हर एक क्षेत्र में एक-एक रिसर्च स्टेशन चाहिये, मगर फिलहाल वे एक ही खोलने की कृपा करें ।

श्रीमन्, ऐग्रीकल्चर का जो यह फोर्थ प्लान है, इसके पृष्ठ दो पर लिखा है—

"There was a wide gulf between the farmers and the Research workers due to which recommendations of research were not available to an average farmer."

इसमें इनकी असफलताओं के अनेक कारण और भी दिये हुये हैं । मैं समझता हूं माननीय कृषि मंत्री जी ने उन्हें अवश्य पढ़ा होगा । लेकिन इन कारणों के दूर करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है । मैं जानना यह चाहता हूं कि इस ओर कौन सा ठोस कदम इस विभाग की ओर से उठाया गया है जिसके आधार पर मैं यह कह सकूं कि उसका प्रभाव अगले २-४

[श्री भानुप्रतापसिंह]

वर्ष में अच्छा पड़ने वाला है। कहीं दो चार सौ किसानों को इकटठा करके कुछ ट्रेनिंग दे दी हो। मगर ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसका प्रभाव आज किसान पर हुआ हो और जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुआ हो। यह बात मानी हुई है कि कृषि का उत्पादन कृषि के विषय में जो लेटेस्ट अनुसंधान हुये हैं उसको किसानों तक पहुंचाने से ही बढ़ सकता है। लेकिन जहां जिस देश में पढ़े लिखे किसान होंगे वहां यह आसानी से हो सकता है कि पर्चे और पत्रिकायें उस विषय की बांट दी गई। अपने देश में जहां किसान पढ़े लिखे नहीं हैं एकमात्र उपाय यही है कि कृषि कार्य को एक जन आन्दोलन का रूप दिया जाय और यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती है। इस कार्य में सरकार सुविधायें पैदा कर सकती है। यह हमारे इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी विधायकों का कर्त्तव्य है कि कृषि कार्य को जनआन्दोलन का रूप दें और इसके लिये काफी बड़ा प्रोग्राम बनायें और हर जिले, तहसील, पंचायती अदालतों, में किसानों के ट्रेनिंग कैम्पस होने चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के ट्रेनिंग कैम्प्स चलाने के लिये भारत सरकार ने काफी बड़ी रकम रक्खी है जो राज्य सरकार को मिल सकती है। उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये और यह जो अगली खरीफ की बुवाई होगी उससे आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को चलाकर मैं समझता हूं कि हम खरीफ के उत्पादन में कुछ अधिक नतीजे प्राप्त कर सकते हैं।

अन्त में मुझे बीज के विषय में कहना है। बीजों की स्थिति असन्तोषजनक है। केवल ढाई लाख मन बीज ऐसा है कि जो सरकारी फार्मों पर पैदा होता है जिसको कहा जा सकता है कि वास्तव में अच्छा बीज है। उस बीज की स्थिति को सुधारने के लिये यह उपाय नहीं है कि सरकारी फार्मों को और खोला जाय। अगर सरकारी फार्म खोलकर उन्नतिशील बीजों की आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया गया तो पुनः निष्फल होगा। जैसेकि पहली योजना असफल हो चुकी है। उसके लिये आवश्यक यह है कि अच्छे किसानों को प्रोत्साहित किया जाय कि वह स्वयं अच्छे बीज पैदा करें और जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक नेशनल सीड कारपोरेशन खोला है। तो सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी स्टेट सीड कारपोरेशन करके एक संगठन हो जो उसी तरह से काम करे जिस तरह से कि नेशनल सीड कारपोरेशन काम कर रहा है लेकिन बीज के विषय में सफलता प्राप्त होने के लिये आवश्यक है कि प्योर सीड ऐक्ट पास हो। बिना प्योर सीड ऐक्ट के बीजों की उन्नति करना और बीजों के व्यवसाय को जो कि किसान ही चला सकते हैं सफलता नहीं मिल सकती है। बीजों को पैदा करना और वितरण का काम वास्तव में सरकार का नहीं किसानों का काम है। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि उसके लिये उचित वातावरण उत्पन्न किया जाय। मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि वे कृषि मंत्री हैं लेकिन वे अपने विभाग में जो कुछ कर सकेंगे उतने मात्र से उनकी सफलता नहीं पायी जायेगी। वे दूसरे विभागों से किसानों के लिये क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जो कठिनाईयां किसानों के सामने हैं और जिससे दूसरे विभागों का सम्बन्ध है उनको दूर करने में कितनी ताकत लगा सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के अन्दर। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी योजना, सारा परिश्रम, सारी नेकनीयती किसी काम नहीं आयेगी अगर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। यद्यपि यह उनके विभाग का विषय नहीं, लेकिन वे सतत इस बात का प्रयत्न करें कि किसानों के मूल्य घटने न पावें। उन्होंने आलू के विषय में जो कदम उठाया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और मैं समझता हूं कि वह कागजी योजना न रह कर जैसा कि भगवान सहाय जी को शिकायत है कि वह कागजी हैं मैं नहीं कहता कि वह कागजी हैं या नहीं मैं समझता हूं कि अगर वह यथार्थ नहीं है तो बन जायेगी और दूसरी चीजों के लिये भी वह अपने को छोटे से विभाग का जिम्मेदार न समझकर किसानों का सबसे बड़ा सेवक और परोपकार समझें तभी उन्हें कृषि उत्पादन में सफलता मिल सकती है।

देवरिया जिले में गन्ना समितियों के माध्यम से सुरक्षा कोष के लिए वसूली के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले में तथा पूरे सूबे में गन्ना आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया है जिसको माननीय मंत्री जी आदेश नहीं कहना चाहते हैं। जब कि यह निश्चित है कि गन्ना आयुक्त को यह अधिकार है कि गन्ना समितियां चाहे जितना प्रस्ताव पास करें उनको अगर वह चाहे तो रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है। जब एक ऐसे सक्षम अधिकारी ने यह परिपत्र भेजा है तो वे लोग तो खुश होकर यह गैरकानूनी काम करने लगे। आपको मैं बतलाऊं कि उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद अधिनियम, १९५४ जो १५ मई, सन् १९६४ जो संशोधित हुआ उसके अनुसार फैक्टरीज अध्यासी गन्ना की खरीदारी करने वाला एजेंट अथवा गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों से बिना पूछे कोई कटौती नहीं कर सकती है। लेकिन इस नियम के होते हुए भी कटौती हुई है और हो रही है। जब कि समितियों ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। उन समितियों के सिलसिले में इसी नियम में लिखा हुआ है कि जब तक गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा गन्ने के बोने, उसकी बिक्री करने और पूर्ति करने के सम्बन्ध में समस्त प्रबन्ध सामान्य अथवा विशेष निदेशानुसार न किया जाय, तब तक किसी को कटौती करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जिस तरह से राजा होता है और वह आसपास रहने वाली नौकरानियों से जरा हंस कर बोल लेता है तो वे खुश हो जाती हैं उसी प्रकार से गन्ना आयुक्त के आदेश को देख कर समितियों ने समझा कि राजा खुश है और उन्होंने यह गैरकानूनी तरीके से कटौती करवा जारी कर दिया और वह कटौती आज भी चल रही है। इस तरह से कटौती करने का किसी को कोई हक नहीं है जब तक कि समितियों की जेनरल बाडी द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव पास न हो जाय। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि देवरिया जिले की २५ गन्ना सहकारी समितियों में से सिर्फ ७ की जनरल बाडी या ग्राम सभा ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया और १८ ने प्रस्ताव पास नहीं किया तो भी कटौती हो रही है। यह जो गैरकानूनी कटौती हो रही है इसको अब तक रोका भी नहीं गया है। गन्ना आयुक्त के परिपत्र के कारण ही यह गलत काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। गन्ना आयुक्त का काम है कि वह गन्ने के सवाल को ठीक से रखें गन्ने की पूर्ति और उसकी बिक्री का ठीक प्रबन्ध करावे, लेकिन उसके द्वारा गलत परिपत्र जारी हुआ जिसका नतीजा यह हो रहा है कि किसानों के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ा है और उनका बड़ी नुकसान हुआ है। आज किसान की स्थिति यह है कि उसकी सवाया मालगुजारी बढ़ गयी और बी० डी० ओ० किसान के दरवाजे जाकर पैसा मांग ले गया। यह तो वही हालत हुई कि अबरे की भैंस बियाई तो सारे गांव वाले अपना-अपना घोंचा लेकर दौड़े। आप देखें कि इसी पालिसी की वजह से बस्ती, खलीलाबाद, मुंडेरवा और देवरिया की चीनी जिलों में हड़ताल हुई कि इस तरह से गैरकानूनी कटौती क्यों हो रही है? माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो कटौती का आदेश गया है उसे आप रद्द कर दें ताकि आइन्दा कटौती न हो सके जो कटौती हो चुकी है उसे वापस किया जाय। इस तरह की कटौती तभी होनी चाहिये जब कि रूबरू किसान के सामने वह प्रस्ताव पास हो या वह लिख कर दे दे। अगर प्राइमरी सोसाइटी प्रस्ताव पास कर के दे दें तो भी कटौती हो सकती है नहीं तो इस तरह से गैरकानूनी कटौती करना एक तरह से अनुशासनहीनता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि जिसके द्वारा भी इस तरह की अनुशासनहीनता का काम हो उसको सजा मिलनी चाहिये। पूरा सदन या माननीय मंत्रीजी ही खुद इसका निर्णय करें कि गन्ना आयुक्त को जो इस तरह अनुशासनहीनता का प्रचार करता है सजा दी जाय और तभी जनता का भला होगा। कानून के खिलाफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

जो भी आदेश हो, चाहे वह बड़े हाकिम का हो, चाहे बड़े मिनिस्टर का हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो वह अनुशासनहीनता है। जिस तरह का परिपत्र या चिट्ठी गन्ना आयुक्त ने भेजा है वह अनुशासन होना है। उनको भी सजा होनी चाहिये। अगर मुकदमा चलाया जा सके तो मुकदमा चलाया जाय। नहीं तो जो भी महकमे के जरिये सजा दी जा सके दी जाय। मैं केन कमिश्नर महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से कटौती करने का हुक्म उन्होंने अपने मातहतों के लिये भेजा था क्या उन्होंने अपनी तनख्वाह में उतनी कटौती की? वे तो लंबी तनख्वाह पाते हैं उनके बीबी बच्चे काम नहीं करते। इस प्रकार से यह ज्यादती उन सब लोगों के साथ हुई। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तुरन्त कटौती का पैसा वापस करने की आज्ञा दें और यह भी आज्ञा दें कि आइन्दा कोई कटौती न की जाय।

*समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने हाउस के समक्ष अपने विचार कटौती के संबंध में प्रस्तुत किये। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में पाकिस्तान के आक्रमणों से एक गम्भीर स्थिति थी उसके लिये कटौतियां हो रही थीं। १२ अक्तूबर, ६५ को गन्ना आयुक्त ने एक परिपत्र जिलाधीशों और जिला गन्ना अधिकारियों को भेजा कि जितने भी चीनी कर्मचारी हैं चाहे वे कौंसिल के हों चाहे डेवलपमेन्ट कौंसिल के हों या चाहे यूनियन्स के हों वे एक दिन का वेतन प्रति महीने कटौती के रूप में सुरक्षा कोष के लिये दें। और जब तक कि पाकिस्तान का अतिक्रमण भारत में समाप्त न हो जाय। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुरोध किया, अपील की कि जिला गन्ना अधिकारी केन यूनियनों से रिक्वेस्ट करें कि वे भी स्वेच्छा से, रिजोल्यूशन के द्वारा कटौती कर सकते हैं। इस प्रकार देवरिया और बलिया दोनों को मिलाकर २५ केन यूनियनों में से आठ यूनियनों ने अपनी ऐन्युअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया और १६ यूनियनों के संचालक मंडल ने प्रस्ताव पास किया कि कटौती की जाय। अगर जबरदस्ती की कोई बात होती तो तरयासुजान यूनियन जिसने कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया, उसके अन्तर्गत आने वाले किसानों से कोई कटौती नहीं की गयी। यह इस बात का द्योतक है कि स्वेच्छा ने केन यूनियन्स के कटौती का प्रस्ताव किया था।

इस सम्बन्ध में एक मीटिंग २४ जनवरी को जिलाधीश के बंगले पर हुई जिसमें उधर के माननीय सदस्य भी उपस्थित थे। जिलाधीश ने स्पष्ट यूनियन्स को लिखा कि चूंकि माननीय सदस्यों को एतराज है कि कटौती न हो, उसमें माननीय चन्द्रबली जी और बांकेलाल जी आदि भी थे, इसलिये यूनियनें कटौती के प्रस्ताव पर पुनः विचार करें। जिलाधीश ने इस तरह से उन को इशारा किया कि अगर वे चाहें तो फिर से इस प्रश्न को देखें कि कटौती हो या न हो। फिर यूनियन्स हमेशा स्वतंत्र हैं क्योंकि वह आटोनामस बाडी कोआपरेटिव ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हैं और उनको अधिकार है कि वह जब चाहे कटौती बन्द कर दें और उसमें केन कमिश्नर या जिलाधीश कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई दबाव या जबरदस्ती की बात नहीं है।

साथ ही माननीय चन्द्रबली जी ने कहा कि प्राइमरी सोसाइटियों का प्रस्ताव पारित होने के बाद ही कटौती हुई। प्रारम्भिक सोसाइटी के माने हैं प्राथमिक सोसाइटी हर फैक्टरी जोन में जैसे गौरी बाजार फैक्टरी का एक जोन है उसमें ३०० यूनियनें हैं यानी प्राथमिक सोसाइटी हैं जिनको कि गन्ने की सोसाइटी कहते हैं वह रजिस्टर नहीं हैं केवल केन यूनियन रजिस्टर्ड हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह प्राइमरी सोसाइटीज उस केन यूनियन से सम्बद्ध हैं जो फैक्टरी जोन पर हैं । इस तरह से इसमें जो माडल बाईलाज हैं उनमें कोई कटौती का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है । इसलिये माननीय सदस्य का जो डर है कि किसानों से रुपया इकट्ठा हो रहा है, मैं कहूंगा कि उस वक्त जबकि देश में ग्रेव सिचुएशन थी उस वक्त केन कमिश्नर ने स्वेच्छा से कटौती की बात की । अब उनको पूरा अधिकार है कि वह चाहें तो उसको बन्द कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या गन्ना मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बिना साधारण सभा के प्रस्ताव के केन यूनियन या और कोई सभा किसी तरह का फंड वसूल करने का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती ? यदि ऐसा है तो उसका कारण क्या है ? बिना उसकी स्वीकृति के केन यूनियन ने सुरक्षा फंड का पैसा वसूल किया और मान भी लिया जाय कि २६ में से ८ ने पास भी कर दिया था तो १८ ने तो पास नहीं किया था तो उनसे पैसा वसूल करने का आधार क्या था ?

डाक्टर सीताराम--

आम सभा या जनरल मीटिंग में जितने भी संचालक मंडल के प्रस्ताव आते हैं वे पारित होते हैं । संचालक मंडल को अधिकार है कि वह ऐसे संकट काल में प्रस्ताव पारित करके काम कर सकते हैं, लेकिन हर ऐसे प्रस्ताव को उन्हें अपनी वार्षिक जनरल मीटिंग में पारित कराना होता है । जून के मास में अमूमन बेलेन्स शीट बनाये जाते हैं और अक्तूबर में सालाना जनरल सभा होती है । अक्सर केन यूनियन्स का हिसाब किताब अक्तूबर तक तैयार नहीं होता और उस हालत में केन कमिश्नर से स्पेशल परमिशन लेकर बाद में मीटिंग होती है । तो ८ अक्तूबर को उन्होंने पारित किया और बाकी १६ में संचालक मंडल द्वारा किया गया । संचालक मंडल के द्वारा प्रस्ताव के पारित होने पर उसी के अनुसार यह कटौती हुयी है और उसके बाद कटौती का काम आम सभा में जायगा और उसको राइट है कि वह वापिस करे या न करे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गन्ना मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि साधारण सभा प्रस्ताव पारित न करे तो क्या यह रुपया वापिस कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--

अगर ऐनुअल जनरल मीटिंग में पास हो जायगा तो वापिस हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जिन्होंने प्रस्ताव पास नहीं किया है तो उनका रुपया वापिस हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम--

अगर ऐनुअल जनरल मीटिंग में वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अवश्य हो जायगा ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्रेव इमर्जेंसी थी और देश पाकिस्तान से संघर्षरत था, उस समय ये आदेश दिये गये थे तो अब जब कि लड़ाई समाप्त हो गयी है, ताशकंद समझौता हो गया है, सेनायें लौट आयीं और सभी प्रकार से शान्ति है और ऐशोआराम के कार्यक्रम चलने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वे बिलकुल ही वसूली को रोक देने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

इस समय ग्रेव एमरजैन्सी तो नहीं है, लेकिन एमरजन्सी है । लेकिन गवर्नमेंट के आर्डर के जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यूनियन्स खुद आटोनौमस बाडीज हैं; चाहें तो वे स्वयं बन्द कर सकती हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि कुल कितना रुपया जमा हुआ है और वह किसको भेंट हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास करके ही वापिस हो सकता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि ८ समितियों ने जमा किया है, १८ ने अभी तक नहीं किया, तो उन्हें वापिस मिलना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि अगर आम सभा में हो जायगा तो लौट सकता है ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, सवाल यह है कि जब पैसे की कटौती हो गयी तो ऐनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती थी । तो १८ समितियों के समक्ष इस प्रस्ताव को क्यों नहीं केन विभाग ले गया और उनसे प्रस्ताव पास करा लिया ?

डाक्टर सीताराम--

इसलिये नहीं होता क्योंकि ऐनुअल जनरल मीटिंग, जिसको साधारण सभा भी कहते हैं, उसमें तरीका यह है कि जहां पर १५ मेम्बर होते हैं वहां पर एक डेलीगेट होता है, जहां पर १०० मेम्बर्स होते हैं, वहां पर २ डेलीगेट होते हैं और जहां पर १०० से अधिक मेम्बर्स होते हैं वहां पर ३ डेलीगेट्स होते हैं । । इस तरह से हर फैक्ट्री जोन्स में काफी लोग होते हैं उनके । फिर वे डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं । डायरेक्टर जो होता है वह, और पूरे जो डेलीगेट्स होते हैं वे ऐनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं । उसके लिये २ या ३ माह लग जाते हैं, इसलिये उस समय संभव नहीं था । लेकिन संचालक मंडल जो एक्जीक्युटिव बाडी है, उसमें इस तरह के प्रस्ताव आते ही रहते हैं और कार्यवाही होती ही रहती है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहता हूं कि कमिश्नर महोदय ने किस नियम के अन्तर्गत ये आदेश जारी किये कि सुरक्षा कोष के लिये रुपया इकट्ठा किया जाय ?

डाक्टर सीताराम--

उन्होंने अनुरोध किया कि स्वेच्छा से कटौती हो, आर्डर नहीं दिया । अनुरोध सबसे हो सकता है । साथ ही साथ देवरिया, बैतालपुर और गौरी बाजार समिति को आदेश, नियमावली के नियम ८४, ८५ के अनुसार कटौती हो सकती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी भी कटौती के प्रस्ताव को केन कमिश्नर से तब एप्रूवल मिलती है जब जनरल मीटिंग में पास हो जाता है और जब तक एप्रूवल नहीं मिलती तब तक कटौती नहीं होती । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ, तो क्या केन कमिश्नर ने ऐप्रूव किया ? वह कैसे काटा गया ?

डाक्टर सीताराम--

यह तो सुरक्षा के बारे में है । लेकिन प्रस्ताव पारित करके साधारण सभा ने और संचालक मंडल ने केन कमिश्नर को जरूर भेजा है ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी का कहना है कि २, ३ महीने का समय लगता है तब ऐनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो अक्तूबर में परिपत्र जारी हुआ और अब मार्च है, मैं जानना चाहता हूं कि इतने लम्बे अर्से तक अब तक ऐनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं हुई ?

डाक्टर सीताराम--

यूनियन्स के साथ दिक्कत होगी क्योंकि उन की ट्रायल बैलेंस शीट तैयार नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मंत्री जी ने बताया कि आयुक्त ने अनुरोध किया । तो मैं जानना चाहता हूं, जब सुरक्षा कोष स्वेच्छा से दिया जाता है, तो अनुरोध क्यों किया आयुक्त ने ?

श्री उपाध्यक्ष--

अनुरोध तो सभी कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गन्ना मंत्री बतायेंगे कि जिन किसानों से जितना पैसा लिया जाता है उसकी उन किसानों को मुख्य मंत्री कोष की रसीद दी जाती है या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो रसीद बही छाप कर दी जाती है उसकी रसीद दी जाती है, किस फंड में, किस मद से वह रसीद दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--

यूनियन के नाम पर रुपया जमा होता है डिफेन्स के लिये और मैं जानकारी के लिये बता दूं कि देवरिया जिले में १६ यूनियन्स ऐसी हैं जहां पर ५ पैसे पर क्विन्टल कटौती है ६ यूनियन्स ऐसी हैं जहां पर ३ पैसे प्रति क्विन्टल कटौती है, एक यूनियन में ६ पैसे, एक यूनियन में ८ पैसे कटौती होती है और १ में कुछ नहीं होती ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह बिलकुल अनियमित कार्य हो रहा है । प्रदेशीय सरकार और भारत सरकार का हुक्म है कि राष्ट्रीय निधि की जो रसीद बही है उस पर पैसा वसूल हो सकता है सुरक्षा के नाम पर और केवल गजेटेड अधिकारी ही पैसा वसूल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है तो यह बिलकुल गैरकानूनी काम हो रहा है, मंत्री जी इसको रोकिये ।

बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के पैसा वसूल नहीं होना चाहिये और अलग-अलग खाते में वसूल होना चाहिये । बिलकुल लूट हो रही है।

डाक्टर सीताराम—

हर एक काश्तकार से जितनी कटौती होती है उसकी पास बुक में लिख दिया जाता है कि कितनी कटौती हुई है । साथ ही साथ सामूहिक यूनियन के खाते में जमा रहता है कि इतने रुपये की अमुक यूनियन से कटौती हुई ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, प्रदेश के सभी जिलों में ऐसा हो रहा है । मैं तो गोंडा जिलें में बता सकता हूं कि तुलसीपुर में इस समय गन्ना किसानों पर अत्याचार हो रहा है । एक तो उनका लाखों मन गन्ना खेत में खड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है, पर्चियां बेची जा रही हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मंत्री जी ने कहा कि संचालक मंडल जब पास करता है उसके पश्चात् लागू होता है, अगर वह चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बताना चाहता हूं, और मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि उसमें कौन लोग रहते हैं जिन के पास ५०० या १००० बीघे की काश्त होती है, ऐसे ही लोग डायरेक्टर्स होते हैं और छोटे काश्तकार के लिये वह प्रस्ताव किया है, तो उसे वह वापस क्यों लेंगे ऐसी हालत में ? क्या सरकार कोई परिपत्र भेजेगी यूनियन्स को कि यह कटौती न की जाय ?

डाक्टर सीताराम—

सरकार से आदेश तो नहीं जायगा, लेकिन केन कमिश्नर से पूछा गया है कि इस पर वह रिपोर्ट दें ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—

ताशकन्द समझौते के बाद पहले की कटौती ही वापस की जायगी या जो अब कटौती हो रही है वह वापस की जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

अभी कटौती हो रही है । उसमें आगे और पीछे का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

किसानों की पास बुक में तथा यूनियन्स के रजिस्टर्स में चन्दे की रकम लिख दी जाती है जब कि सुरक्षा निधि के लिये जिलाधीशों द्वारा प्रेषित निश्चित रसीद बही पर चन्दा वसूल करने का नियम है । तो इसमें नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

हर एक काश्तकार का रेकार्ड रखना होगा । अगर लौटाया जायगा तो कैसे लौटाया जायगा जबतक कि उनके पास पास बुक न हो । फिर यूनियन के द्वारा वह जिलाधीश के पास जमा किया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

भारत सरकार द्वारा निश्चित आज्ञा है कि केवल राजपत्रित अधिकारी द्वारा सुरक्षा कोष वसूल किया जा सकता है और भारत सरकार द्वारा छापी हुई रसीद बुक पर ही वह वसूल किया जा सकता है तो फिर यहां यूनियन द्वारा यह अवैधानिक कार्य क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

हर काश्तकार का कोई रेकार्ड होना चाहिये। लिहाजा जो पास बुक होती है उसमें उसकी कटौती एंटर की जाती है। साथ ही साथ यूनियन के पास रेकार्ड होता है और उसको वह जिलाधीश के पास भेज देता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

गन्ना बोर्ड का जो संचालक मंडल है उसको कटौती करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून या नियम इसके संबंध में नहीं बतलाया जाता है तो फिर मैं कल विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा।

जहां तक साधारण सभा का सवाल है, उसको सिर्फ शिक्षा के लिये और औषधियों के लिये अधिकार है, दूसरी मदों के लिये वह कटौती नहीं कर सकती। सुरक्षा फंड के लिये कटौती जबरिया है और बिना केन कमिश्नर की स्वीकृति के वह की नहीं जा सकती। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब स्वीकृति केन कमिश्नर की नहीं थी तो कटौती कैसे हो सकती है ?

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, रेजोल्यूशन पास करके केन कमिश्नर के पास भेजते हैं और जब वे उस पर कह देते हैं तब कोई काम होता है। लेकिन उनके कहने का मतलब यह नहीं है कि किसी यूनियन के ऊपर उन्होंने कोई बात लादी हो। यह प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि स्वेच्छा से कटौती हो सकती है। एक यूनियन के बारे में बताया गया है कि इस यूनियन ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया और न कटौती ही की। इस तरह से किसी यूनियन को बाध्य नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने १४ जनवरी, १९६६ को मीटिंग हुई और कह दिया कि यह ऐच्छिक है और किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कलेक्टर का पत्र मेरे पास है। अगर आप कहें तो मैं सदन में पढ़कर सुना दूं। अब चाहे बोर्ड आफ डायरेक्टर हों या कोई भी हो उनकी जिम्मेदारी है कि वे कटौती करें। इस तरह से यह है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर)

तालिका

डायर मीकिन लिमिटेड, लखनऊ में भरे गए सैम्पुल का विवरण

वर्ष	सैंपुलों की संख्या	पीने योग्य पाये गये सैंपुलों की संख्या	न पीने योग्य पाये गये सैंपुलों की संख्या
१९६२–६३	८८	८६	२
१९६३–६४	१०७	१०७	..
१९६४–६५	१४१	१४१	..

डायर मीकिन लिमिटेड, मोहन नगर, गाजियाबाद में भरे गए सैंपुलों का विवरण

१९६३–६४	७६	६७	९
१९६४–६५	११६	११०	६
१९६५–६६	१०४	१०४	फरवरी के अन्त तक

साइडर का निर्माण जनवरी, सन् १९६५ से प्रारम्भ हुआ, इस हिसाब से सैम्पुलों का विवरण

१९६४–६५	७	७	..
१९६५–६६	४७	४७	फरवरी के अन्त तक

विगत दो वर्षों में बियर अच्छी होने के कारण इसका कोई नमूना नहीं भेजा गया। इस वर्ष १९६५–६६ में २२ नमूने भेजे गये जो सब के सब पास हुये।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

इस समय उत्तर प्रदेश में स्थित कपड़ा उद्योग के ९ प्रतिष्ठान बन्द है । जिनका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम-सं० बन्द प्रतिष्ठानों के नाम	दैनिक उत्पादन क्षमता	नियोजित श्रमिकों की लगभग सं०	टिप्पणी
१—मेसर्स म्योर मिल्स कं०लि०, कानपुर	१,२८,६४२ मीटर कपड़ा और ४०,००० पौंड सूत प्रतिदिन	६,०००	राज्य सरकार ने इस प्रतिष्ठान को चलाने के लिए एक अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है ।
२—मेसर्स जनरल फाइबर डीलर्स लि०, लखनऊ	१८,००० पौंड सूत प्रतिदिन	१,४५०	सरकार इस कारखाने को इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट तथा रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लेकर स्वयं चलाने के लिये आवश्यक जांच करा रही है ।
३—बनारस काटन मिल, वाराणसी	अज्ञात	२,०००	कारखाने की सभी मशीनें उत्पादन के योग्य नहीं हैं तथा नई मशीनें लाने की कठिनाई के कारण सेवायोजक इसे नहीं चला पा रहे हैं ।
४—मेसर्स एन०के० काटन मिल्स, हाथरस	५,००० पौंड प्रतिदिन	९३४	
५—मेसर्स आंके क्लाथ ऐंड जेनरल मिल्स, हाथरस ।	९,००० पौंड प्रतिदिन	१,६९६	इन सब मिलों की मशीनरी की कार्य क्षमता समाप्त हो गई है ।
६—मेसर्स अग्रवाल ऐंड कं०, हाथरस	९,००० पौंड प्रतिदिन	१४७	
७—मेसर्स जांस मिल नं० २, आगरा	६,००० पौंड सूत प्रतिदिन	४२१	अतएव उनका सरकार द्वारा चलाने का प्रश्न नहीं उठता है ।
८—मेसर्स जांस मिल नं०३, आगरा	४,००० पौंड सूत प्रतिदिन	२९२	
९—मेसर्स जांस मिल्स नं० ४, आगरा	१०,००० पौंड सूत प्रतिदिन	६२७	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

सहकारी समिति निबन्धक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में नियुक्त उप-निबन्धकों, कृषि अधिकारियों तथा इंसपेक्टरों के वर्ष १९६५–६६ (१ फरवरी, १९६६ तक) के दौरा से सम्बन्धित विवरण।

नाम तथा पद	दौरा की तिथि	यात्रा भत्ता की धनराशि	आगमन का स्थान
१	२	३	४
श्री एस०एस०गुप्ता, एग्रीकल्चर आफिसर	१६–५–६५ से १९–५–६५	६८–९९	इलाहाबाद
	६–६–६५ से २१–६–६५	२४८–३८	देहरादून, हरद्वार, गोरखपुर
	२०–७–६५ से ३१–७–६५	१७३–६२	गोंडा, मुरादाबाद, बरेली, पंचपरवा (गोंडा)
	२०–८–६५ से ३०–८–६५	२२४–३२	बनारस, बदायूं, आगरा
	१३–९–६५ से २२–९–६५	४०४–०२	कलकत्ता, रुरकेला (रूरकेला)
	७–१०–६५ से १६–१०–६५	१४९–००	मुजफ्फरनगर, मेरठ
	२२–११–६५ से २५–११–६५	७०–१५	फतेहगढ़
	३–१२–६५ से ३१–१२–६५	३२२–६५	जौनपुर, बनारस, बुलन्दशहर, झांसी, ओरई
	१८–१–६६ से २७–१–६६	१९८–५०	गोरखपुर, बनारस, कसिया
	योग ..	१,८५९–६३	
२—श्री डी०एस० त्रिवेदी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर आफिसर डिप्टी रजिस्ट्रार	२०–९–६५ से २५–९–६५	१२२–३७	मथुरा और आगरा

१—श्री महिपत प्रसाद, डिप्टी रजिस्ट्रार	६–४–६५ से १६–४–६५	१९०–१७	बनारस, बलिया
	१८–५–६५ से ३०–५–६५	६०–३९	गोंडा, बस्ती
	३–६–६५ से १५–६–६५	११४–९५	अलीगढ़, फैजाबाद
	२–७–६५ से २३–७–६५	१०३–३७	बक्शी का तालाब
	११–८–६५ से १८–८–६५	२००–५४	मेरठ, बनारस
	१६–९–६५ से ५–११–६५	४९९–८६	अलीगढ़, झांसी, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, रिशीकेश, बरेली, पिथौरागढ़ अलमोड़ा ।
	८–११–६५ से १–१२–६५	३९०–९५	हल्द्वानी, बरेली, आगरा, बनारस, फैजाबाद , इलाहाबाद ।
	७–१२–६५ से २१–१२–६५	३०३–००	अलीगढ़, दिल्ली, मेरठ
	१२–१–६६ से १४–१–६६	११३–०५	दिल्ली
	योग ..	१,९७६–२८	
२—वी० पी० सिंह, उप-निबन्धक	७–४–६५ से १०–४–६५	११३–३९	गाजियाबाद
	५–५–६५ से ९–५–६५	१४४–७०	कानपुर, दिल्ली
	३०–५–६५ से १०–६–६५	१९२–५८	कोटद्वारा, अलीगढ़
	२–७–६५ से ३०–७–६५	२५५–५१	कानपुर, जौनपुर, अलीगढ़, बिलारी
	१–८–६५ से २९–८–६५	१८२–७६	आगरा, गोरखपुर, कानपुर
	१३–९–६५ से २१–९–६५	४८–०७	कानपुर
	६–१०–६५ से ८–१०–६५	४९–४८	फैजाबाद
	११–१२–६५ से	३१–३०	,, ,,
	योग ..	१०१७–७९	

१	२	३	४
३—श्री के०सी० वर्मा, उप-निबन्धक	९–४–६५ से १३–४–६५	७२–०४	रामपुर
	१७–५–६५ से २२–५–६५	११७–२६	नैनीताल
	८–६–६५ से १३–६–६५	१२४–०५	फैजाबाद, अलीगढ़
	६–७–६५ से ८–७–६५	६८–६७	बनारस
	१०–७–६५ से २–१०–६५	२०२–९९	बनारस, देहरादून
	२१–११–६५ से २६–११–६५	८१–४५	बिलारी
	३–१२–६५ से १०–१२–६५	२६७–६५	देहली, राजपुर (देहरादून)
	योग ..	९३४–११	
४—श्री बी० बी० एल० वर्मा, उप-निबन्धक	२३–८–६५ से २४–८–६५	८६–६६	हाथरस
	११–१०–६५ से २१–१०–६५	१७६–९३	मथुरा, बनारस
	३०–९–६५ से ..	५०–००	लखीमपुर खीरी
	७–११–६५ से २२–११–६५	३३३–९५	मैनपुरी, एटा, इलाहाबाद, गोरखपुर हापुड़, मेरठ।
	२३–१२–६५ से २७–१२–६५	११५–१०	फैजाबाद, कासगंज, गंजडुंडवारा,
	१६–१–६६ से १९–१–६६	८१–७०	झांसी
	२०–१–६६ से ३०–१–६६	११६–४०	मेरठ, बरेली
	योग ..	९१५–७४	
५—श्री रामेश्वर सहाय, उप-निबन्धक	१–४–६५ से ५–४–६५	१५९–५०	दिल्ली
	१९–४–६५ से २१–४–६५	१३२–३६	दिल्ली
	१७–५–६५ से १९–११–६५	१२५–४८	दिल्ली
	११–१–६६ से १५–१–६६	१६०–८०	दिल्ली
	..	५७८–२४	

कोआपरेटिव इन्सपेक्टर ग्रुप वन

१—श्री के० बी० नरायन, निरीक्षक	२८–४–६५ से २६–५–६५	२५९–७०	आगरा, वाराणसी, कानपुर
	१३–७–६५ से २०–७–६५	९५–०७	आगरा
	१५–८–६५ से ९–९–६५	९४–७९	इलाहाबाद
	१–१–६६ से ४–१–६६	७०–३०	मथुरा
	१०–१–६६ से ३०–१–६६	२५२–७०	आगरा, झांसी, बरेली
	योग ..	७७२–५६	
२—श्री आर० के० शुक्ला, निरीक्षक	३–८–६५ से २४–८–६५	५६–२१	हाथरस
	३०–९–६५ से—··	१८–९८	लखीमपर
	११–१०–६५ से १४–१०–६५	६१–८१	मथुरा
	१९–११–६५ से २१–११–६५	४७–९५	वाराणसी
	१८–११–६५ से २०–११–६५	७५–३५	मेरठ
	३–१२–६५ से २७–१२–६५	२५४–०५	उन्नाव, लखीमपुर, खीरी, पलिया, शिवपुर, नजमाबाद, कासगंज ।
	योग ..	५१४–३५	
३—श्री वी० पी० विश्नोई, निरीक्षक	१८–५–६५ से २३–५–६५	४७–३०	इलाहाबाद
	३१–७–६५ से २२–९–६५	२८८–३२	वाराणसी, अलीगढ़, बिस्तोली, धरौरा, मेरठ, झांसी ।
	२८–१०–६५ से ३०–१०–६५	४५–३५	बरेली
	योग ..	३८०–९७	

१	२	३	४
४—श्री जे० एल० सिन्हा, निरीक्षक	२६-५-६५ से २९-५-६५	७४-११	मिर्जापुर
	२६-९-६५ से ३०-९-६५	७८-३१	मिर्जापुर
	२९-१२-६५ से १-१-६६	९०-९०	देवरिया
	२८-११-६५ से ४-१२-६५	११६-४०	आगरा, एटा
	योग ..	३५९-७२	
५—श्री आर०के० तिवारी, निरीक्षक	४-६-६५ से २७-६-६५	१५८-४९	कानपुर, छिबरामऊ, चिरगांव, मथुरा, आगरा ।
	६-९-६५ से— ..	१६-५०	कानपुर
	१५-१-६६ से १९-१-६६	६७-७५	चिरगांव
	योग ..	२४२-७४	
६—श्री मुश्ताक हुसेन, निरीक्षक	६-६-६५ से १०-६-६५	९४-४५	देहली
	१७-११-६५ से १८-११-६५	२६-३१	सहारनपुर
	१६-१-६६ से १७-१-६६	३३-१५	"
	योग ..	१५३-९१	

७—श्री बी०डी०प्रसाद मिश्रा, निरीक्षक	६–४–६५ से ११–४–६५	१०५–१२	गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद
	३०–९–६५ से ८–१०–६५	४३–४८	कानपुर
	योग ..	१४८–६०	
८—श्री डी० एस० गौड़, निरीक्षक	१९–७–६५ से २१–७–६५	६६–९०	जलालपुर ट्रेनिंग सेंटर
	१–११–६५ से ४–११–६५	३७–६६	हरदोई
	योग ..	१०४–५६	

कोआपरेटिव इन्सपेक्टर ग्रुप टू

१—श्री उमा शंकर सिंह, निरीक्षक	१०–८–६५ से १५–८–६५	९२–७३	देहरादून
	२६–१०–६५ से २८–१०–६५	५०–६६	गोरखपुर
	३–११–६५ से ३–१२–६५	२९५–४५	मोहनलालगंज, वाराणसी, बुलन्दशहर, मझौला (पीलीभीत), मुरादाबाद, इलाहाबाद।
	५–१२–६५ से ३१–१२–६५	१९३–५५	इलाहाबाद
	९–१–६६ से २३–१–६६	१४६–००	मेरठ, इलाहाबाद।
	योग ..	७७८–३९	

१	२	३	४
२—श्रीमती प्रेमलता शर्मा, महिला निरीक्षक	१५–७–६५ से २५–७–६५	७६–४१	मोहनलालगंज, इंटौजा, गोरखपुर
	१९–८–६५ से २५–८–६५	१००–९२	हरद्वार, देहरादून
	२३–९–६५ से २८–९–६५	६३–९५	वाराणसी, मोहनलालगंज
	१३–१०–६५ से ३०–१०–६५	१०८–३३	बलरामपुर, नाजिरपुर, हादीपुर, कांकर खेरा ,
	७–१२–६५ से १६–१२–६५	१००–९५	गोरखपुर
	१७–१–६६ से २५–१–६६	७०–९८	मोहनलालगंज, इंटौंजा, उरई
	योग ..	५२१–२४	
३—श्री ब्रह्मस्वरूप जौहरी, निरीक्षक	२५–६–६५ से २७–७–६५	३४–४८	उसकाबाजार, बस्ती ।
	१५–११–६५ १९–११–६५	३८–९५	मिसरिख, सीतापुर, महोली
	१२–१२–५५ से १९–१२–६५	७५–९५	ललितपुर, झांसी, मौरानीपुर, राठ,
	१५–१–६६ से २३–१–६६	११६–३५	चिरगांव, चांदपुर
	३०–१–६६ से २–२–६६	५५–१०	चंदौसी
	योग ..	३२०–८३	
४—श्री मोहम्मद दीन अन्सारी, निरीक्षक	३०–४–६५ से ४–५–६५	५७–३६	अलीगढ़
	३१–७–६५ से ७–८–६५	७५–२४	अलीगढ़, बिस्तोली
	९–११–६५ से १४–११–६५	३६–१०	लखीमपुर, सीतापुर
	७–१–६६ से ११–१–६६.	६४–३५	अलीगढ़
	योग ..	२३३–०५	

५—श्री अईनुलहक, निरीक्षक।	१५–४–६५ से १६–४–६५	१०–६४	बाराबंकी
	८–१०–६५ से १०–१०–६५	१२–३६	देवा
	२५–१०–६५ से २६–१०–६५	४९–२८	झांसी
	७–११–६५ से १९–११–६५	११३–८८	मोहनलालगंज, गंचार (चमोली)
	२१–१२–६५ से २३–१२–६५	३३–१०	इलाहाबाद
	योग ..	२१९–२६	
६—श्री ए० एस० सिद्दीकी, निरीक्षक	६–४–६५ से १२–४–६५	८३–२३	मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा।
	१९–१२–६५ से २१–१२–६५	५५–३०	वाराणसी
	योग ..	१३८–४३	
७—श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, निरीक्षक।	१०–१–६६ से २७–१–६६	१३८–००	मिर्जापुर, वाराणसी
८—श्री डी०के० सिंह, निरीक्षक।	२७–१२–६५ से २९–१२–६५	४२–६०	दोही (जौनपुर)
	१६–१–६६ से १९–१–६६	७०–१०	मथुरा, खारी (अलीगढ़)
	योग ..	११२–७०	
९—श्री के०वाई० मिश्रा, निरीक्षक।	२२–५–६५ से २३–५–६५	२१–४८	फैजाबाद
	२१–१०–६५ से ..	२३–६७	फैजाबाद
	२४–११–६५ से २५–११–६५	२१–९२	फैजाबाद
	योग ..	६७–०७	
१०—श्री एस० हबीब काजिम, निरीक्षक।	२५–७–६५ से २८–७–६०	६५–३७	मेरठ
	१७–१–६६ से २२–१–६६	३७–६७	आजमगढ़
	योग ..	१०२–९७	

११—श्री ज० एम० सहाय, निरीक्षक।	१७–५–६५ से २२–५–६५	..	७३–५३	नैनीताल
१२—श्री एस० के० टण्डन, निरीक्षक।	२०–९–६५ से २१–९–६५ १३–१–६६ से १६–१–६६	..	२६–५४ ३७–०५	इलाहाबाद उझानी (बरेली)
		योग	६३–५९	
१३—श्री बी० एस० चौहान, निरीक्षक।	९–५–६५ से १३–५–६५	..	३६–८५	इलाहाबाद
१४–श्री श्री राम निगम, निरीक्षक।	२९–६–६५ से.. २५–५–६५ से..		५–३८ ५–३८	बाराबंकी बाराबंकी
		योग ..	१०–७६	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४७ पर)

क्र० सं०	अप्रैल ६५ से फरवरी ६६ तक फैजाबाद जिले से बदलकर दूसरे जिले में गये सुपर० का नाम	सुपरो०का नाम जिनका वेतन बाकी है।	वेतन भुगतान न होने का कारण
	सर्वश्री १—मो० जमील खां २—जयनाथ सिंह ३—भिखारी राम शुक्ल ४—हरि शंकर सिंह ५—राम अधार सिंह ६८७-ए० ६—राम प्रताप पांडेय ७—राम सुमिरन शुक्ल ८—रमाकांत शुक्ल ९—राम नवल सिंह १०—महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ११—राम अधारसिंह१२५ टी १२—नन्हकू लाल	१—श्री चन्द्रभानसिंह २—श्री हरिपाल शर्मा	श्री सिंह प्रशिक्षित पर्यवेक्षक हैं। यह २७-९-६५ से २२-१०-६५ तक रुग्णावकाश पर थे। इनका रुग्णावकाश संबंधी प्रार्थना-पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं फिटनेश सार्टीफिकेट को अवकाश की स्वीकृति हेतु उप निबन्धक, फैजाबाद को भेज दिया गया है। अवकाश की स्वीकृति होते ही वेतन का भुगतान कर दिया जायगा। श्री शर्मा प्रशिक्षित पर्यवेक्षक हैं। इन्हें कार्यभार सुचारु रूप से न करने के कारण दिनांक ५-८-६५ से निलम्बित कर दिया गया तथा इनका मामला स्थानीय अनुशासन समिति के सुपुर्द कर दिया गया। समिति ने अपने निर्णय दिनांक ११-१२-६५ के द्वारा उन्हें बहाल कर दिया तथा यह निर्णय लिया गया कि वे जब तक ३७१-२५ पैसा जो उनके जिम्मे इमामपुर संघ के खाद की वसूली का पड़ा है वसूल न हो जाये तब तक उनकी बाकी वेतन न दिया जाय। इस संबंध में श्री शर्मा को लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
	१३—राम धनी पाठक १४—पारसनाथ सिंह १५—सूरज लाल शुक्ल १६—गोबिन्दनारायन पांडेय १७—चन्द्रभान सिंह १८—हरिपाल शर्मा	३—श्री गोबिन्दनारायण पांडेय	श्री पांडेय प्रशिक्षित पर्यवेक्षक हैं। इनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाये गये जिसका श्री पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु कई बार स्मरण कराने के बाद भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण उनका माह जुलाई एवं अगस्त ६५ का वेतन रोक दिया गया। श्री पांडेय से गंभीर आरोप पत्रों का* यह मामला अब स्थानीय अनुशासन समिति के सम्मुख रक्खा जायगा। समिति के निर्णय के पश्चात् वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

*उत्तर प्राप्त हुआ है।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४९ पर)

सूची

	पूर्व प्रसार विकास खंड	प्रथम चरण विकास खंड
१—सरसौल	१-४-१९६२	१-४-१९६३
२—मैथा	" "	" "
३—बिथनू	१-१०-१९६२	१-१०-१९६३
४—बिल्हौर	" "	" "
५—झींझक	" "	" "

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५० पर)

इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में आवश्यक सूचना निम्नलिखित है।

(१) श्री वीरेंद्र कुमार सक्सेना, सैनिटरी इन्सपेक्टर:—इनका स्थानान्तरण दिसम्बर, १९६५ में सिकन्दरपुर करन ब्लाक, जिला उन्नाव का किया गया था। कई जगह पर कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व ही उन्होंने चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र दिये। इनको अभी तक अवकाश स्वीकार नहीं किया गया है।

(२) श्री राधे सरन श्रीवास्तव, क्लर्क—इनका स्थानान्तरण जनवरी, १९६६ में ब्लाक अकबरपुर, जिला कानपुर, को किया गया था। इन्होंने ६-१०-६५ से १०-१२-६५ तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था जिसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया।

(३) श्री कृष्ण श्रीवास्तव —इनका स्थानान्तरण नवम्बर, १९६५ में मातृ तथा शिशु कल्याण कार्यालय लखनऊ को किया था, किन्तु इनकी प्रार्थना पत्र यह स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया और इनको दिसम्बर, १९६५ में मलेरिया विज्ञान कार्यालय, कानपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया। नवम्बर में स्थानान्तरण की आज्ञा के बाद चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी चले गये। ये छुट्टी अभी स्वीकार नहीं की गई। इन्होंने ८-२-६५ को कानपुर में चार्ज ले लिया।

इनका स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोप पर नहीं बल्कि दूसरे प्रशासकीय कारणों से हुआ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५४ पर)

प्रश्न संख्या ५ में उल्लिखित सूची

क्रम-सं०	नाम भट्ठा	लाभ	हानि
१—	गोरया	९१९९००	..
२—	बांसी (कुदारग)	६५०५—००	..
३—	मुडेरया	३००३—००	..
४—	रेहरा	..	१०८६३—००
५—	वर्डपुर	..	१३५६३—००
६—	विक्रमजोत	४०००—००	..
७—	नौगढ़	६१७४—००	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २५ एल० ए०—१९६६—८६२।